खण्ड-222, अंक-4
गुरूवार, 23 चैत्र, शक संवत् 1883
(13 अप्रैल, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 222 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १३ अप्रैल, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३२०

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस०अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र,श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा,श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगा प्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री

चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जहवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टोकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगर सिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त,श्री एस० जी०
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम,श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशोधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री

भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीसिंह वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदन मोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नोटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री

लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी भी उपस्थित थीं ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १३ अप्रैल, १९६१

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सेंट्रल जूट वेज बोर्ड की संस्तुतियों का कार्यान्वयन

*१—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि क्या सेन्ट्रल जूट वज बोर्ड की अन्तरिम सहायता की सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये मार्च,१९६१ के प्रथम पक्ष में प्रदेश के श्रमायुक्त ने जूट मिलों के मजदूरों की यूनियनों के प्रतिनिधियों की कोई मीटिंग बुलाई थी ? यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय लिये गये ?

श्रम उपमंत्री (श्री वसी नकवी)—जी हां ।

श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या श्रम मंत्री जी को मालूम है कि सेन्ट्रल जूट वेज बोर्ड ने जूट मजदूरों के लिये कोई सिफारिश की है ? यदि हां, तो सरकार ने उसको कार्यान्वित करने के लिये क्या कोशिश की ?

श्री वसी नकवी—जी हां, अन्तरिम रिलीफ देने के लिये कुछ सिफारिशें की हैं । ये सिफारिशें यूनानीमस थीं । उस सिलसिले में दोनों पक्षों के लोगों को बुलाया गया था २९ मार्च को । उसमें सेवा नियोजकों के प्रतिनिधियों ने कहा कि हरएक डिवीजन में फ्लैट रेट होने से बड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन श्रम मंत्री जी ने कहा कि क्यों कि यह यूनानीमस फैसला है इसलिये इसको इम्प्लीमेन्ट होना चाहिये ।

श्री उमाशंकर शुक्ल—श्रीमन्, जो सवाल था उसमें मैंने यही पूछा था कि इस सिलसिले में क्या कोई मीटिंग बुलाई गयी थी, लेकिन उसका उत्तर मुझे मिला—जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष—आपने अपने सवाल में लिखा है "प्रथम पक्ष में प्रदेश के श्रम आयुक्त ने जूट मिलों के मजदूरों की यूनियनों की कोई मीटिंग बुलाई थी ?" प्रथम पक्ष तो वह हुआ नहीं क्योंकि उन्होंने कहा कि मीटिंग २९ तारीख को बुलाई गयी थी ।

श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या श्रम मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो वार्तालाप का परिणाम निकला उस सिलसिले में आगे सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है जिससे जो सिफारिशें की गयी हैं उनसे मजदूर लोग लाभान्वित हो सकें ?

श्री वसी नकवी—१५ अप्रैल तक का उनको समय दिया गया है । १५ अप्रैल तक देखा जायगा कि इस सिलसिले में वे उनको लागू करने के लिये क्या कदम उठाते हैं।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनको ये सिफारिशें कब प्राप्त हुई थीं और मजदूरों के प्रतिनिधियों ने उस मीटिंग में अपनी ओर से क्या मांग प्रस्तुत की थी और अब सरकार ने मालिकों को अन्तिम क्या आदेश दिया है ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने २५ जनवरी, १९६१ को मंजूर किया था उसके बाद यह हमारे पास आया ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—२६ जनवरी, १९६१ को जो सिफारिशें मन्जूर हुईं, उस के बाद २ महीने तक सरकार ने इस पर किन कारणों से कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मीटिंग पहले ६ मार्च को रखी गई थी, मगर लेबर ट्रेड यूनियन्स अपने प्रतिनिधियों के नाम नहीं भेज पाये। फिर २२ मार्च रखी गई थी जिसमें भी पूरे नाम नहीं आये। इसलिये २९ मार्च रखी गई ।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—इस बात को देखते हुए कि जूट वेज बोर्ड, सीमेंट वेज बोर्ड, कपड़ा वेज बोर्ड और चीनी वेज बोर्ड, इन सब की सिपारिशें हुए कई महीने हो गये फिर भी मिल मालिक लागू नहीं कर रहे हैं, क्या सरकार ने इसको सोचते हुए केन्द्रीय सरकार से सिपारिश की है कि वह इसके ऊपर लेजिस्लेशन बनावें ताकि उनको स्टेटयूटरी शक्ल दी जा सके और यह सिपारिशें लागू की जा सकें ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ऐसा विचार तो गुलजारीलाल नन्दा जी खुद ही कर रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मंत्री जी बतायेंगे कि प्रथम पक्ष में जो मीटिंग बुलायी गई थी यह त्रिदलीय मीटिंग थी या द्विदलीय मीटिंग थी? क्या उसमें मिल मालिकों के प्रतिनिधि नहीं थे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ट्रिपारटाइट मीटिंग थी, जिसमें दोनों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज थे ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित प्रश्न]

कोआपरेटिव केन डेवलपमेन्ट यूनियन लिमिटेड, बिसवां द्वारा नलकूपों के लिये ऋण मांगना

*१—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि कोआपरेटिव केन डेवलपमेन्ट यूनियन लिमिटेड, बिसवां, जिला सीतापुर के अन्तर्गत दिनांक २३ दिसम्बर, १९६० तक १६ ट्यूबवेल बने हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उपर्युक्त ट्यूबवेलों में से केवल ३ ट्यूबवेल डीजल इंजिन द्वारा और एक विद्युत द्वारा संचालित है ? शेष ट्यूबवैलों के न चलने का क्या कारण है ?

सूचना उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—जी हां। यह भी ठीक है कि केवल ४ ट्यूब वेल चालू दशा में है। शेष १३ नल कूपों को यूनियन धनाभाव के कारण नहीं चला सकी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या यह सत्य है कि कोआपरेटिव केन यूनियन लिमिटेड, बिसवां ने सरकार को ऐसा पत्र लिखा है कि वह इन ट्यूब वैलों को चलाने के लिये सहायता प्रदान करे ?

श्री रऊफ जाफरी—यह तो सही है कि उन्होंने भेजा है। सहायता सरकार से नहीं मांगी है, बल्कि यह कि वह १,००,०००रु० कर्जा कोआपरेटिव बैंक से लेना चाहती है। उसकी इजाजत गन्ना आयुक्त ने उनको दे दी है।

[१३ अप्रैल, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

टायर ट्यूबों पर नियंत्रण करने का सुझाव

*१—**श्री मदन पाण्डेय**—क्या सरकार को ज्ञात है कि राज्य के प्रमुख बाजारों में भी ट्रकों तथा ट्रैक्टरों और डनलप गाड़ियों के टायरों तथा ट्यूबों का कृत्रिम अभाव पैदा हो गया है तथा उक्त वस्तुयें चोर बाजार में महंगें भावों पर ही लोगों को प्राप्त हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सम्बन्ध में स्थिति को सामान्य स्तर पर लाने के लिये सरकार की ओर से क्या प्रयत्न किये गये अथवा किये जा रहे हैं ?

सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री (श्री धर्मसिंह)—बड़े साइज के टायरों तथा ट्यूबों के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। इनकी कमी के कारण इनके मूल्यों में कुछ वृद्धि हो गई है। इस सम्बन्ध में हमारे अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने कुछ उत्पादकों को इस प्रदेश का कोटा बढ़ाने के लिये लिखा है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादकों के प्रतिनिधियों और कुछ जिलों में बिक्रेताओं के संघों ने वास्तविक उपभोक्ताओं को कम्पनी के निर्धारित मूल्य पर बेचना आरम्भ कर दिया है। आशा है स्थिति में शीघ्र ही सुधार हो जायगा।

श्री मदन पाण्डेय—मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो अकाल टायर और ट्यूब्स का पड़ा था यह कृत्रिम था अथवा वास्तव में इनकी पूर्ति कम हुई थी ?

श्री धर्मसिंह—उसके तो बहुत से कारण हैं। एक तो जनरल शार्टेज हो गई, दूसरे कुछ इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन की दिक्कत थी, कुछ फारेन एक्सचेंज की दिक्कत हुई और कुछ सेन्ट्रल टैक्सेज और रेलवे फ्रेट बढ़ गया]

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—मंत्री जी बतायेंगे कि यह अकाल कब से खत्म हुआ है, क्योंकि मुझे यह मालूम है कि मार्च और अप्रैल के महीनों में टायर खरीदने की अपनी गाड़ियों के लिये जरूरत पड़ी लेकिन कहीं भी नहीं मिल रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—स्थिति तो उसी प्रकार की है, लेकिन उतनी खराब नहीं है जितनी पहले थी। जब बहुत ज्यादा खराब थी तो प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा, जिस पर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन्स भेजे हैं।

श्री अध्यक्ष—पहले अगर ६ महीने ठहरना पड़ता था तो अब ३ महीने ठहरना पड़ेगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—मंत्री जी इस बात की जानकारी करायेंगे कि लखनऊ में ही और कुछ सरकारी दफ्तरों के नजदीक ही दुगनी कीमत पर टायर बेचे जाते हैं ? और इस बात की जानकारी कराकर उस पर नियंत्रण लगाने की मेहरबानी करेंगे जिससे लोगों को मिल सकें ?

श्री धर्मसिंह—यह तो जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं ठीक हो सकता है लेकिन जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उसकी तरफ से पूरी तौर से कोशिश की गयी है और गवर्नमेंट आफ इंडिया को इस बारे में लिखा जायगा, क्योंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया के हाथ में यह है। उत्तर प्रदेश से ज्यादा सम्पर्क उसका नहीं है।

श्री मदन पाण्डेय—जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा कि अकाल अब भी है बावजूद इसके कि सरकार ने कदम उठाये हैं, तो इस बात को देखते हुए क्या माननीय मंत्री इस टायर तथा ट्यूब के आयात तथा वितरण के काम को अपने हाथ में ले रहे हैं और गवर्नमेंट आफ इंडिया से इसकी सिफारिश करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—हमसे सम्बन्ध नहीं है। केन्द्रीय सरकार इसे कर रही है। केन्द्रीय सरकार को हम लिख देंगे कि इसमें वह और सुधार करने की कोशिश करे।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—आज भी ब्लेक पर टायर मिल रहे हैं, लिहाजा ब्लेक को रोक कर सही दामों पर टायर मिल सके इस बात के लिये सरकार कोई खोज कर रही है ?

श्री धर्म सिंह—हम कुछ नहीं कर सकते, केन्द्रीय सरकार ही इसे करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार को जब ये बातें मालूम हुई तो केन्द्रीय सरकार को लिखा गया और कम्पनियों को उसने लिखा। फिर कोटा इत्यादि भी बढ़ा।

श्री गेंदासिंह—जनता की इन सब परेशानियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या कठिनाई है भारत सरकार को लिखने में कि इस पर नियंत्रण किया जाय ?

मुख्य मंत्री(श्री चन्द्रभानु गुप्त)—नियंत्रण के विषय में लिखने में भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य स्वतः जानते हैं नियंत्रणों को लगा देना तो आसान है, लेकिन उन पर पूरी तौर से ठीक तरह से अमल हो यह आसान नहीं होता। इस लिये अभी नियंत्रण लगाने के विषय में भारत सरकार को लिखा नहीं है। यदि माननीय सदस्यगण और यह हाउस यह चाहता है कि केन्द्रीय सरकार को प्रदेशीय सरकार की तरफ से यह लिखा जाय तो अवश्य लिखा जायगा कि यह हाउस यह चाहता है कि इनके ऊपर नियत्रण लगा दिया जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय स्वयं इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि नियंत्रण लगा देना आसान है, लेकिन उस पर अमल करना मुश्किल है, तो नियंत्रण को हटाने पर वे विचार कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां बिलकुल जरूरी होता है वहीं नियंत्रण लगाया जाता है और कहीं नियंत्रणों को लगाने की प्रान्तीय सरकार चेष्टा नहीं करती।

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग में गड़बड़ियां

*२—श्री मदन पाण्डेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जून, १९६० से वर्तमान समय तक राजकीय प्रेस, ऐशबाग में गड़बड़ियों के सम्बन्ध में विवरण तथा सूचना देने वाले कितने पत्र उद्योग सचिव को प्राप्त हुए हैं ? क्या सरकार उक्त पत्रों में वर्णित गड़बड़ियों का संक्षिप्त विवरण तथा उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से सदन को अवगत करायेगी ?

श्री रऊफ जाफरी—इस विषय के कुल पांच पत्र प्राप्त हुए। उनमें वर्णित गड़बड़ियों तथा उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३५९ पर)

श्री मदन पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस लम्बे चौड़े जवाब में ५ पत्रों का हवाला दिया गया है जिनमें पुष्पा देवी से सम्बन्धित मामले का विशेष तौर से जिक्र है और इसके बाद उसमें कर्मचारियों के पक्षपात की नीति तथा सरकारी क्वार्टरों के बिना किराये के प्रयोग के बारे में शिकायत की गयी थी ? इसमें एक पोर्शन है कुमारी पुष्पा से सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों को, जैसा ऊपर बतलाया गया है, उचित दंड दिया जा चुका है। लेकिन इसी का दूसरा अंश जो है जिसमें कर्मचारियों की पक्षपात की नीति तथा सरकारी क्वार्टरों के बिना किराये के प्रयोग करने के बारे में शिकायत की गयी थी उसके बारे में यह कहा गया है कि उन सरकारी कर्मचारियों से पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि इस प्रकार के किसी पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये जाने अथवा इस प्रकार का कोई प्रतिवेदन देने से इंकार कर दिया। चूंकि प्रतिवेदन देने वालों के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हो सकी तो उनकी शिकायतों के बारे में कोई विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी। क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि पत्र के एक ही अंश पर कार्यवाही की गयी और कुछ अंशों पर जिनमें भेदभाव, पक्षपात का आरोप है उनके ऊपर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री रऊफ जाफरी—जहां तक जांच कराने का सम्बन्ध है, सरकार की नीति है कि जो गुमनाम दरख्वास्त हो उस पर जांच नहीं की जाती है, लेकिन जहां तक क्वार्टर्स में बिना किराये रहने की बात है उस सम्बन्ध में सदन में जवाब दिया जा चुका है। यह चीनी मिल खरीदी गयी तो उसमें कुछ क्वार्टर्स बने हुये थे। कोठी बनी हुई थी और उसकी हालत बहुत खराब थी।

और जब इलाहाबाद से कुछ लोग यहां काम करने के लिये बुलाये गये तो चूंकि उनको करीब में रहना था इसलिये वे रहने लगे और उस वक्त यह फैसला हुआ था कि फिलहाल जब तक उनकी मरम्मत न हो तब तक कोई किराया नहीं लिया जायगा। बीच में एक दफा फिनेन्स डिपार्टमेंट ने लिखा और कहा कि किराया लिया जाय, लेकिन उसका फिर रिकंसीडरेशन हुआ और यह हुआ कि जब तक मरम्मत न हो किराया न लिया जाय। अब ७७ क्वार्टर्स की मरम्मत हो गयी है और तभी से किराया वसूल किया जाता है।

श्री मदन पांडेय—क्या यह सत्य है कि इन क्वार्टरों को अनसर्विसेबिल होने की घोषणा करके उनसे किराया नहीं लिया जाता है और उनमें जो ऐशबाग प्रेस के हाईली पेड कर्मचारी हैं वे ही रखे जाते हैं और उसी के बगल में जो उससे इनफीरियर दर्जे के क्वार्टर हैं उनसे ज्यादा किराया वसूल किया जाता है और हाईली पेड कर्मचारियों के दबाव के कारण ही उनके क्वार्टरों के बार म कोई फैसला नहीं हुआ ?

श्री रऊफ जाफरी—ऐसा नहीं है। सिर्फ कोठी और दो काटेजेज की मरम्मत नहीं हो पायी है। ऐसा नहीं है कि किसी दबाव की वजह से किराया नहीं लिया जाता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन क्वार्टरों का किराया नहीं लिया जाता है उनमें जो लोग रहते हैं उनकी कम से कम तनख्वाह क्या है ?

श्री रऊफ जाफरी—इसकी सूची मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उनका इरादा कोठी की मरम्मत कराने का है या नहीं और अगर है तो कबतक मरम्मत करायेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी—इरादा तो पहले भी था और एक दफा पहले मरम्मत के लिये तय हुआ था, पर धनाभाव के कारण, मरम्मत नहीं हो सकी, लेकिन उसकी मरम्मत करायी जायगी।

कुमायूं क्षेत्र को आकर्षक बनाने की योजनायें

*३—श्री मदन पाण्डेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या कुमायूं क्षेत्र के रमणीक पहाड़ी स्थानों को यात्रियों के लिये अधिक आकर्षक बनाने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री वसी नकवी—कुमायूं क्षेत्र के रमणीक स्थानों को यात्रियों के लिये अधिक आकर्षक बनाने के लिये योजनायें पहले से ही अमल में लाई जा रही हैं।

श्री मदन पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन स्थानों को रमणीक बनाने के लिये किस प्रकार की योजना अमल में लायी जा रही है और क्या उसका संक्षिप्त विवरण सदन के सामने रखेंगे ?

श्री वसी नकवी—१५ लाख केबिन्स बनाये जा रहे हैं जिनमें से कुछ बन कर तैयार हो गये हैं और कुछ बन रहे हैं और ६ स्थानों पर यात्रियों के लिये शेड्स बनाये गये हैं और नैनीताल में चीना पीक के ऊपर एक रेस्टरां खोला गया है और बदरीनाथ जी और केदारनाथ के रास्ते में शेड्स बनाये जा र हे हैं। इसी तरह की योजनायें हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय मंत्री जी ने जो योजना की बातें बतायी हैं वे तो यात्रियों की सुख-सुविधा बढ़ाने वाली हैं, लेकिन रमणीक बनाने के लिये क्या बात की ज रीहै हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मेरा अन्दाज है कि यह जगह नेचर ने खुद ही रमणीक बनायी है, सिर्फ यात्रियों को सहूलियत देने की बात है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अल्मोड़ा जिले में काली कुमायूं और पिंडारी ग्लेशियर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अगर एक, दो होटल बन जायं तो बहुत ज्यादा लोग जायं और कश्मीर जाना भूल जायं, तो अशोक होटल जैसा न सही, कोई छोटा-मोटा होटल बनाने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—ग्लेशियर के ऊपर ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जी नहीं, ग्लेशियर के नीचे जगहें हैं, काली कुमायूं है, वहां बनवा दें।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—हमारे विभाग के पास ज्यादा पैसा है नहीं। जो पैसा है उसे गरीबों के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है, मसलन होस्टल्स, लाग केबिन्स, ऐसी ऐसी चीजें बनायी जा रही हैं। जब पैसा ज्यादा होगा तो और चीजें बना सकेंगे।

प्राइमरी हेल्थ यूनिटों की गाड़ियां

*४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—दिनांक ३१ जुलाई, १९५९ के प्रश्न संख्या ८८ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० एन० आई० सी० ई० एफ० और डब्ल्यू० एच० ओ० तथा प्रदेशीय सरकार के मध्य हुए समझौते के अनुसार राज्य के प्राइमरी हेल्थ यूनिटों को जो शेष २० गाड़ियां मिलनी थीं वह ४ अगस्त, १९५९ तक मिल गयी थीं या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

*५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त समझौते के द्वारा जो यह गाड़ियां प्राप्त हुई हैं क्या उनके बदले में राज्य सरकार को भी कुछ देना पड़ा है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

*६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सहायता किस प्रकार की है, यानी समझौता क्या है ?

श्री धर्मसिंह—यू० एन० आई० सी० ई० एफ० से हुए समझौते के अनुसार राज्य सरकार राज्य में प्राइमरी हेल्थ यूनिट स्थापित करेगी तथा उनमें निर्दिष्ट संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। यू० एन० आई० सी० ई० एफ० इन प्राइमरी यूनिटों की उपयोगिता बढ़ाने के लिये आवश्यक यन्त्र, दवायें तथा गाड़ियां निःशुल्क प्रदान करेगी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्न में पूछी गई तारीख तक गाड़ियां प्राप्त नहीं हुई थीं तो क्या उत्तर देने के समय तक गाड़ियां प्राप्त हो चुकी हैं ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, कुछ प्राप्त हो चुकी हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यह गाड़ियां किन-किन जिलों को एलाट की गई हैं और उनके साथ-साथ किस-किस प्रकार की दवाइयां भी एलाट की गई हैं ?

श्री धर्मसिंह—मेरे पास इस समय सूचना नहीं है कि गाड़ियां किन-किन जिलों को एलाट की गई हैं और क्या-क्या दवाइयां हैं ?

लखनऊ व मथुरा के संग्रहालयों में गड़बड़ी

*७—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ व मथुरा के सरकारी अजायबघर आजकल किसकी संरक्षता में हैं ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—लखनऊ तथा मथुरा के संग्रहालय प्रादेशिक सरकार की संरक्षता में हैं।

***८—श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने सर्वश्री ए० एन० सप्रू व बी० डी० सनवाल की कोई कमेटी लखनऊ के अजायब घर के लिये कुछ ऐतिहासिक वस्तुओं की खरीदारी के सम्बन्ध में जांच करने के लिये नियुक्त की थी ? यदि हां, तो कब ? क्या वह उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—ऐसी कोई कमेटी नियुक्त नहीं की गई थी, परन्तु श्री बी० डी० सनवाल ने संग्रहालय के निदेशक पर जो आरोप लगाये थे उनकी जांच की थी और अपनी रिपोर्ट सन् १९५२ में दी थी। इस रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना उचित न होगा, क्योंकि यह एक अधिकारी के कार्य के सम्बन्ध में है।

***९—श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार को पता है कि लखनऊ के अजायबघर में बादशाह जहांगीर के समय के पन्द्रह हजार रुपयों में से चांदी के दो हजार तथा गुप्त काल की तीन हजार मुहरों में से सौ मोहरें बदल दी गई हैं व मथुरा के अजायबघर की देखरेख के लिये जो व्यक्ति नियुक्त किये गये थे, वह सरकारी व्यय पर स्मारक सम्बन्धी ट्रेनिंग के लिये कश्मीर भेजे गये थे और उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अमरीका भेजने की तजवीज थी जबकि कई अनुभवी लोग उपलब्ध थे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—सन् १९४८ में ९,७४७ रुपये में दो चांदी के घड़े मुगल-कालीन कहकर क्रय किये गये थे। गुप्त काल के और अन्य पुरातत्व सोने के सिक्कों में से विशेषज्ञों की राय में ९७ सिक्के झूठे साबित हुए हैं। इनके बारे में जांच हो रही है। मथुरा संग्रहालय के विशेष कार्याधिकारी पुरातत्व सम्बन्धी ट्रेनिंग के लिये अन्य अधिकारियों की तरह काश्मीर भेजे गये थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये उनको अमेरिका भेजने की कोई तजवीज नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी ? यदि हां, तो क्या और किन के सम्बन्ध में ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—श्री बी० डी० सनवाल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे. उन्होंने आरोप लगाकर जांच कराई थी। उसकी देखभाल सेक्रेटरी ने की थी और बाद में वह शिकायत सही नहीं पाई गई और उनके खिलाफ कोई आरोप सही नहीं पाया गया।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो दो घड़े ९,०४७ रुपये में खरीदे गये थे वह मुगलकालीन नहीं थे और लखनऊ के बने घटिया घड़े रख दिये गये थे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—ऐसी कोई सूचना नहीं है लेकिन जांच हो रही है वही घड़े थे या नहीं। लेकिन इस समय यह कहना मुश्किल है कि वह कैसे थे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मंत्री जी ने अभी कहा कि कुछ सिक्के झूठे पाये गये तो वह खरीदे गये थे, यदि हां, तो कितने दामों में ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—बहुत से सिक्के काफी कीमत पर खरीदे गये थे लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि ९७ सिक्के सही नहीं हैं। अभी तक जांच हो रही है कि जिस समय वह खरीदे गये थे तो यही थे या बाद में बदल दिये गये थे।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कथित ९७ सिक्के जाली साबित किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में पुलिस में रिपोर्ट की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि की गई है तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--श्रीमन्, मैंने जैसा पहले कहा कि जांच अभी चल रही है, लेकिन ऐसी राय है कि यह सिक्के ठीक नहीं हैं। अभी और भी सिक्के हैं जिनके बारे में जांच खत्म नहीं हुई है। हमारी कमेटी उनको देख रही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--मंत्री जी ने अभी बताया कि सनवाल साहब की रिपोर्ट पर जो जांच बिठाई गई थी उसमें वह शिकायत सही नहीं निकली, तो कोई और जांच बिठाई गई थी या इस मामले को समाप्त कर दिया है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--मैंने जैसा बताया, उन्होंने जांच रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में कोई सार उस वक्त नहीं पाया गया। उस वक्त वह समाप्त कर दी गयी थी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री महोदय जांच समाप्त हो जाने पर जांच का परिणाम सदन के समक्ष रखेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--अगर आप चाहेंगे तो रख देंगे। सदन की इच्छा पर है।

चावल की खरीद

*१०--**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या गत वर्ष की भांति इस वर्ष ३१ दिसम्बर, १९६० से खाद्य कमिश्नर ने २५ हजार मन चावल खरीदे जाने का आदेश वाराणसी के लिये दिया है? क्या यह आदेश वर्ष भर चलता रहेगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं। चावल की खरीद आवश्यकतानुसार जारी रहेगी।

*११--**श्री ऊदल** (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने वाराणसी को कमी का क्षेत्र मानकर गत वर्ष २५ हजार मन चावल खरीद करने के बाद बन्द कर दिया था? यदि हां, तो इस वर्ष लेवी (Levy) लगाने का कारण क्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं।

कुमायूं विकास कार्य समिति की संस्तुतियां

*१२--**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लगभग १९५६ में जो कुमायूं के सर्वांगीण विकास कार्यों के संकलन हेतु एक कमेटी श्री जगमोहन सिंह नेगी की अध्यक्षता में सरकार ने बनाई थी उसकी कौन-कौन सी बातें सरकार ने मान ली हैं? क्या उस कमेटी की रिपोर्ट की एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री रऊफ जाफरी--कमेटी की रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर १९ सितम्बर, १९५७ को श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट के प्रश्न संख्या ७६ का उत्तर देते हुए रक्खी जा चुकी हैं। मोटे तौर से यह कहा जा सकता है कि जितनी धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव इस कमेटी ने किया था उससे अधिक धन की विकास योजनायें सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिये स्वीकार की हैं।

(प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने से पहले)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस सारे सवाल का जवाब ही नहीं मिला है। कहा गया है कि उसकी प्रतिलिपि पहले रखी जा चुकी है। कल जब जवाब मुझे मिला तो मैंने प्रतिलिपि को देखना चाहा, लेकिन वह देखने को नहीं मिल सकी। वहां (कार्यवाही में) भी वह नजर नहीं आयी। इसलिए इसको स्थगित कर दिया गया। सवाल दीगर है और जवाब दीगर है।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कह दिया है कि कमेटी की रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर १९ सितम्बर, १९५७ को श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट के प्रश्न के उत्तर में रखी जा चुकी हैं। उसमें आप देख लीजिये ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—रिपोर्ट की एक प्रति दे दें ।

श्री अध्यक्ष—बार-बार आपको रिपोर्ट की प्रति दे दें यह जरूरी नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मेरे खयाल में वह प्रोसीडिंग्स में भी छपी नहीं होगी।

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसकी खास-खास सिफारिशें क्या हैं और उसमें सरकार ने अब तक क्या-क्या ऐक्शन लिया है ?

श्री रऊफ जाफरी—पानी पीने की सुविधा, हार्टिकल्चर का प्रोग्राम, कम्युनिकेशन बनाना, टूरिस्ट सेंटर कायम करना, पब्लिक हेल्थ की सुविधाएं मुहइया करना, ऐनिमल हस्बेंड्री के मुताल्लिक सिफारिशें थीं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के मुताल्लिक सिफारिशें थीं, कम्युनिटी डेवलपमेंट के सिलसिले में उन्होंने सिफारिशें की थीं, यह उनकी खास-खास सिफारिशें थीं । उन्होंने कुछ में ५ साल के लिए और कुछ में १० साल के लिए तजवीज की थी और कुल तजवीज ५ करोड़ २६ लाख रुपये की थी। जो खर्चा हुआ है, १ करोड़ ७५ लाख ७५ हजार रुपये दूसरी योजना में खर्च हो चुके हैं । तीसरी योजना में ५० करोड़ रुपये का खर्चा रखा गया है । सब मिला कर ५१ करोड़ ७५ लाख ७५ हजार रुपये का प्रोग्राम है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि श्री नेगी की रिपोर्ट के मुताबिक जो वर्तमान कुमायूं डिवीजन है उसमें ३/४ खर्च होना चाहिए था लेकिन इसके बरअक्स उत्तराखंड में ज्यादा खर्चा हो गया और कुमायूं डिवीजन को नेगसेक्ट किया गया ?

श्री रऊफ जाफरी—उत्तराखंड में जो खर्च हुआ है, जो इसमें शामिल है, वह २८ करोड़ रुपया कुल है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—१ करोड़ में २८ करोड़ ?

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि ५१ करोड़ में २८ करोड़ उत्तराखंड पर खर्च हो चुके हैं और बाकी दसरी जगह ।

अल्मोड़ा जिले में भूमि बिक्री कार्यवाही का बन्द किया जाना

*१३—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि २३ फरवरी, १९५९ से अल्मोड़ा में U. P. Regulation of Agricultural Credit Act, 1940 (ऐक्ट नं० १४, सन् १९४०) की धारा २४ के अन्तर्गत भूमि के विक्रय की आज्ञा देना बन्द कर दिया गया है और उपर्युक्त बात उत्तराखंड व कुमायूं के शेष जिलों में लागू नहीं की गयी ? क्या यह सही है कि उपर्युक्त दोनों पर्वतीय कमिश्नरियों में भूमि सम्बन्धी सारे कानून एक ही से लागू हैं ? यदि हां, तो अल्मोड़ा के लिये यह भेदभाव क्यों किया गया ?

राजस्व उपमंत्री (श्री उदयशंकर)—U. P. Regulation of Agricultural Credit Act, 1940 की धारा २४ के अन्तर्गत भूमि विक्रय सम्बन्धी कार्यवाही समस्त प्रदेश में राजस्व परिषद् के आदेश द्वारा सितम्बर, १९४९ में बन्द कर दी गई थी । जिन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० लागू हुआ वहां सन् १९५८ में उक्त आदेश वापस ले लिये गये, पर उत्तराखंड तथा कुमायूं के सभी जिलों में यह कार्यवाही स्थगित रही । जिला अल्मोड़ा में जिलाधीश ने किसी गलती की वजह से उक्त कार्यवाही

सन् १९४९ में स्थगित नहीं की । गलती मालूम होने पर फरवरी, १९५९ से उपरोक्त कार्यवाही वहां भी स्थगित की गई ।सरकार ने हाल ही में उक्त कार्यवाहियों को समस्त पर्वतीय क्षेत्र में चालू करने के आदेश दे दिये हैं । यह सत्य है कि पर्वतीय कमिश्नरियों में भूमि सम्बन्धी सारे कानून एक ही से लागू हैं ।

प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में ट्रान्सफर इसलिये रोक दिये गये थे कि लोग अपनी जोतों को छोटा करके रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट न मांग सकें ? अगर यह सही है तो कुमायूं डिवीजन के लिये जब ऐक्ट नहीं बना ५९ में यह क्यों लागू किया गया ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)—वह बात सही है कि ट्रांसफर करके अपनी जोतों का रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट का रेट बढ़ा न ले इसलिये उस वक्त लागू किया था । वहां भी इस वजह से लागू किया कि पहले खयाल यह था और जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में एक प्राविजन है कि यही ऐक्ट एडाप्ट करके कुमायूं में लागू कर दिया जायगा लेकिन बाद में सोचा गया लागू नहीं हो सकता लिहाजा दूसरा ऐक्ट लाये । इसलिये कुमायूं में स्थगित किया गया ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब वह ऐक्ट मुकम्मल तौर से पास हो गया और लागू हो गया फिर क्यों इसको वैकेट किया गया और १० साल तक क्यों रहने दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—जहां-जहां जमींदारी अबालिश नहीं हुई थी वहां पर इसको लागू कर दिया । अब ऐक्ट बन गया और कुमायूं डिवीजन में हम कोई रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट देंगे नहीं लिहाजा जरूरत नहीं रही । इसलिये वैकेट कर दिया ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कुमायूं जमींदारी अबालिशन ऐक्ट पास हुये एक साल हो गया और इतने ही अरसे से मैंने उनकी सेवा में, उनके सचिव, उनके उप-सचिव की सेवा में पत्र भेजे कि क्यों ऐसा किया गया और क्या वजह है कि इतनी डिले की गई ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—इस वक्त मुझे पत्रों का कोई पता नहीं है ।

किशनी, विकास खण्ड अधिकारी, जिला मैनपुरी के विरुद्ध शिकायत

*१४—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या भूतपूर्व विकास खंड अधिकारी, किशनी, जिला मैनपुरी के खिलाफ मैनपुरी जिले के कुछ विधायकों ने तथा प्रधान जिला कांग्रेस कमेटी, मैनपुरी ने १३ सितम्बर, १९६० को उपमन्त्री, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेशीय सरकार को रिश्वत तथा चरित्र सम्बन्धी लिखित शिकायतें दी थीं ? यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वसी नकवी—जी नहीं ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार मेरी इस सूचना को सही मानकर कि मैंने और श्री बादशाह गुप्त, प्रेसीडेंट जिला कांग्रेस कमेटी, मैनपुरी ने स्वयं अपने हाथ से जाकर भूतपूर्व माननीय उपमंत्री, नियोजन विभाग श्री सुल्तान आलम खां को उनके बंगले पर दरख्वास्त दी थी और ४ विधायकों के उस पर हस्ताक्षर थे और उसकी कापी मेरे पास मौजूद है तो सरकार इन सब बातों को देखते हुये उस दरख्वास्त का पता लगाकर जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री वसी नकवी—आपके बयान के मुताबिक आपने वह दरख्वास्त साबिक उपमंत्री के बंगले पर दी थी। हमारे रिकार्ड में छानबीन करने के बाद भी वह अभी तक नहीं मिली है। फिर छानबीन कर ली जायगी लेकिन दो दरख्वास्तें डेवलपमेंट कमिश्नर के यहां आई थीं उसके अलावा, डेवलपमेंट कमिश्नर ने उनकी जांच करा ली है और उस बी० डी० ओ० का ट्रान्सफर कर दिया गया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी इस छानबीन के बाद उप-मंत्री जी के बंगले पर रिसर्च करायेंगे कि वहां तो वह कागज पड़ा नहीं रह गया ?

श्री अध्यक्ष—जो उसका तरीका है उसी तरह से वह करेंगे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो शिकायतें उनके बारे में हैं उसकी भी कोई छानबीन कराई गई है या वैसे ही ऐडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उनको वहां से ट्रान्सफर कर दिया गया है ?

श्री वसी नकवी—जी हां, छानबीन कराई गई। अधिकतर शिकायतें निराधार पाई गईं। शिकायतों में यह बात पाई गई कि वह जबान के तेज और मिजाज के गर्म आदमी थे। इसलिये उनका वहां से ट्रान्सफर कर दिया गया।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अगर मिजाज गर्म और तेज था तो जहां पर वे स्थानान्तरित किये गये हैं वहां पहुंच कर क्या मिजाज में ठंडक आ जायगी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप बहस कर रहे हैं। अगर किसी सदस्य की ऐसी शिकायत हो तो उसे कहां ट्रान्सफर किया जायगा।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि चरित्र संबंधी शिकायतों के मुताल्लिक बी० डी० ओ० साहब के बारे में जो बयानात हुए हैं वह यहां हैं ? क्या मंत्री जी उन्हें सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री वसी नकवी—चरित्र संबंधी जो शिकायतें थीं वह गलत साबित हुईं। उसकी वजह यह थी कि जो वहां के सरपंच थे वह एक अपने रिश्तेदार को समाज कल्याण प्रोजेक्ट स्कीम में रखाना चाहते थे और वह बहुत नामुनासिब व्यक्ति थीं जिनको वह रखाना चाहते थे। वह नहीं रखी गयीं और उन्हीं की यह शिकायत थी।

*१५—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

सौंदी ग्राम के किसानों का आवेदन-पत्र

*१६—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या परगनाधीश घोसी, जिला आजमगढ़ के पास ३ जनवरी, १९६१ का भेजा हुआ सौंदी ग्राम के किसानों का आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें गांव समाज की सार्वजनिक सम्पत्ति के दुरुपयोग करने की शिकायत है ? यदि हां, तो उसपर कौन सी कार्यवाही की गई है ?

श्री उदयशंकर—जी हां। प्रार्थना-पत्र में किये गये आरोपों की जांच की गई जिससे यह ज्ञात हुआ कि गांव समाज के कुछ पेड़ों को गांव के तीन व्यक्तियों द्वारा अनियमित रूप से काट लिया गया था। गांव समाज के प्रधान को इन तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का निदेश दे दिया गया है।

*१७—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और क्या प्रार्थियों से भी बयान लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदयशंकर—उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच तहसीलदार, घोसी द्वारा कराई गई। प्रार्थियों में से पांच व्यक्ति जांच के समय उपस्थित थे, उनका बयान लिया गया। शेष अनुपस्थित थे इसलिये उनका बयान नहीं लिया गया।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने पेड़ों का काटना प्रमाणित हुआ है और कितने पेड़ों के संबंध में दरख्वास्तें पड़ीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—३ बबूल के पेड़ों का पता चला है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस जमीन के संबंध में भी कोई अनियमितता पायी गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

भीखमपुर गांव में कुछ किसानों पर लगान बन्दी

*१८—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या भीखमपुर ताल, परगना कसवार राजा, जिला वाराणसी में, जिसमें गांव अदमा, महनाग अर्जुनपुर, अमिनी, लालपुर, रामपुर, वारिधपुर, दिलावलपुर, भटुका के किसानों की भी जमीन (धान) पड़ती है, सरकार लगान (मालगुजारी) बढ़ाने जा रही है या बढ़ा दी है ? यदि हां, तो मालगुजारी बढ़ाने का कारण क्या है ? क्या इसके सम्बन्ध में अमीनों एवं लेखपालों द्वारा कागज भी तैयार कराया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्राम भीखमपुर में कुछ धान की खेती योग्य निचली भूमि ग्राम अर्जुनपुर, रामपुर, मटुका तथा दिलावलपुर के किसानों के जोत में थी जिनका लगान वे लोग भूमि-अभिलेखों में आवश्यक इन्दराज न होने के कारण नहीं दे रहे थे। सी० एल० आर० डी० योजना के अन्तर्गत आवश्यक इन्दराज हो जाने के फलस्वरूप उक्त किसानों से उन जोतों के संबंध में अब लगान लिया जाने लगा है। इसी कारण उक्त किसानों की देय मालगुजारी की कुल धनराशि में वृद्धि हो गई है।

राजकीय सचिवालय में बचत योजना

*१९—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिसम्बर, १९६० से चलाई गई बचत योजना (Ecoromy drive) में राजकीय सचिवालय के कौन-कौन पद कम किये गये, उन पर काम करने वाले लोग कहां भेजे गये व इस कार्य से कितनी बचत हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—राजकीय सचिवालय में दिसम्बर, १९६० से बचत योजना के अन्तर्गत जिन पदों को समाप्त किया, अथवा अवनत किया या नहीं भरा, उनकी वांछित सूचना संलग्न तालिका में दे दी गई हैं। इससे राज्य कोष को करीब ८४,४९५ रुपये सालाना की बचत हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३६० पर)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो स्टेडिशियल सक्रटरी और पेटीशन्स आफिसर की जगहों पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है और ये दो आदमी छुट्टी पर प्रोसीड कर गये हैं यह पोस्ट एबालिश नहीं हुई तो सरकार का इन पोस्टो को रखने का इरादा है या टेम्पोरेरीली एक साल के लिये बचत दिखाने का इरादा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस ग्रेड के अफसर को वहां रखने का कोई इरादा सरकार नहीं रखती, जरूरत नहीं समझती। उन पदों पर इस ग्रेड के अफसर अब नहीं रखे जायंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये अफसर जो छुट्टी पर चले गये हैं, तो क्या सरकार उनकी तनख्वाह नहीं दे रही है जो यह बचत दिखायी गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---छुट्टी पर अफसरों को नियमानुसार जो तनख्वाह दी जाती है वह दी जायगी, लेकिन वह वापस नहीं आयेंगे और उनका खर्च यहां सचिवालय पर नहीं पड़ेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस इकोनामी ड्राइव में जो पद कम किये गये हैं उनमें कुछ ऐसे पद भी हैं जो गजेटेड अफसरों के पद हैं ? यदि हां, तो कितने और उनके संबंध में कितनी बचत हुई है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप के पास लिस्ट नहीं है। आप देख लीजियेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं सिर्फ गजेटेड अफसरों के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि सभी गजेटेड होंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह लोग जो अपनी पुरानी जगह पर रिवर्ट कर दिये गये हैं उन्हें वेतन तो सरकारी कोष से ही दिया जायेगा, उसमें बचत किस तरह से होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अधिकारियों की संख्या जो सचिवालय में थी उसको घटा दिया गया ह और उन अधिकारियों को दूसरी जगह जहां पर उनकी जरूरत थी, भेज दिया गया है। अगर उनको यहां पर कम न करते, तो जहां पर जरूरत थी वहां के लिये दूसरे व्यक्तियों की नियुक्ति करनी पड़ती और वह हमें नहीं करनी पड़ी जिससे काफी बचत हो गयी और नये लोगों को नहीं रखना पड़ा।

डाक्टरों की कमी पूरी करने की योजना

*२०---श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिये क्या सरकार कोई योजना बनाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, प्रदेश में डाक्टरों की कमी को पूरा करने हेतु तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कदम उठाये जाने का निर्णय किया गया है:---

(१) इलाहाबाद में राजकीय मेडिकल कालेज खोला जायगा।

(२) एक अन्य स्थान में भी मेडिकल कालेज खोला जायगा।

(३) पी० एम० एस० (द्वितीय) के वेतन क्रम में वृद्धि की जायगी।

(१) तथा (३) में चालू वित्तीय वर्ष से कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त प्रदेश के सारे अस्पतालों में कितने डाक्टरों की कमी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---करीब २२५ डाक्टरों की कमी है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---इस बात को देखते हुए कि डाक्टर हो जाने पर वे लोग देहातों में जाना पसन्द नहीं करते, उनकी ट्रेनिंग से पूर्व यह शर्त लगा दी जाय कि उनको ३ साल तक या कुछ साल तक देहातों में कार्य करना पड़ेगा, इस प्रश्न पर क्या सरकार विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हमारा विचार तो ऐसा ही था, किन्तु ऐसा करने में विधान हमारे बीच में अड़ जाता है । विश्वविद्यालय ऐसा नहीं कर सकते कि वे इस तरह की कोई शर्त उनके दाखले के समय रख दें । मैंने इस प्रश्न की जांच करवाई थी, उसके फलस्वरूप मुझे यह बताया गया कि यदि हम इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगायेंगे तो विद्यार्थी हाईकोर्ट में रिट लेकर चले जायेंगे और वहां से हमारे विपरीत फैसला हो जायेगा । वह प्रतिबन्ध अवैध घोषित हो जायेगा ।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डाक्टरों की कमी को पूरा करने की जो योजना इस समय है उसके अनुसार उसके खयाल से यह कमी कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस प्रश्न के ऊपर हमें फिर से विचार करना है क्योंकि हम बराबर इस कोशिश में लगे रहे हैं कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई जाय और हम उस कमी को पूरा कर सकें जो आज हमारे सामने दिखाई देती है । परन्तु हमारा तजुर्बा ऐसा है कि हम ज्यों-ज्यों संख्या बढ़ा रहे हैं त्यों-त्यों हमको उतना फायदा नहीं मिल पा रहा है जितना कि मिलना चाहिये । जैसे लड़कियों की शिक्षा के लिये हमने डाक्टरी अस्पतालों और कालेजों में प्रबन्ध किया, किन्तु हमने ऐसा अनुभव किया है कि जितनी लड़कियां डाक्टरी पास करके निकलीं, बाद में वे उतनी ही उस पेशे में नहीं रहीं । जब उन्होंने शादी कर ली, तो वह जो कुछ शिक्षा उनको दी गयी, जितना धन व्यय किया गया, वह प्रदेश के लिये बेकार गया । तो इस प्रश्न के ऊपर भी हमको विचार करना पड़ेगा कि हम लड़कियों को डाक्टरी पढ़ाने में जो धन व्यय करते हैं, क्या वह सही व्यय होता है या उसमें किसी तरह का प्रतिबन्ध लगाने की जरूरत है ? जैसे कि अगर वे डाक्टरी पेशा करें तो शादी न करें और शादी करें तो शादी के बाद भी अपने खाविंद के साथ वे उस पेशे में रहें । इन सब बातों पर विचार किया जायेगा ।

श्री नवलकिशोर---क्या सरकार इस बात को जानते हुये कि हमारे डाक्टर साहबान देहातों में जाना पसन्द नहीं करते, इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी कि उनको गांव में भेजने के लिये, जब तक वे वहां रहें, तब तक एक स्पेशल एलाउन्स दिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---देहात के लिए भी ७० रुपया एलाउंस रखा गया है, अब कितने हमें मिलते हैं यह अभी नहीं कहा जा सकता । यह पिछले ही साल से एलाउंस देने की व्यवस्था की गयी है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि सर्विस रूल्स में क्या कठिनाइयां आती हैं अगर वह यह व्यवस्था करते हैं कि जो देहात में इतने दिन काम नहीं कर सकेगा उसको सरकारी सर्विस नहीं मिल सकेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---पहले तो वे सर्विस में ही नहीं आते हैं । शिक्षा प्राप्त करके अगर सर्विस में आवें तब तो प्रतिबन्ध लगा ही लेंगे ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या मंत्री जी डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए ए० एम० बी० एस० और बी० एम० बी० एस० के विद्यार्थियों को मेडिकल कम्पटीशन में बैठने की आज्ञा देने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक बी० एम० बी० एस० का सवाल है, पहले वे पी० एम० एस० की नौकरी में नहीं रखे जाते थे। सरकार ने इस सम्बन्ध में आदेश दिये हैं और स्वीकृति के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के पास गये हैं। आशा की जाती है कि पब्लिक सर्विस कमीशन भी बी० एम० बी० एस० की उपाधि प्राप्त किये हुये डाक्टरों को पी० एम० एस० टू के लिये स्वीकृति दे देगा।

श्री गेंदासिंह---गांव में डाक्टरों की कठिनाई को देखते हुए क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि गांव में ही मेडिकल कालेज खोले जायं और ४-५ वर्ष तक गांव में ही उनको अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिले और मैं गोरखपुर का प्रस्ताव करता हूं कि उस पर विचार किया जाय जब गांव में मेडिकल कालेज खोलने का विचार किया जाय, ऐसी सरकार कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हां, मेडिकल कालेज १-२ कमरे वाले और एक आध जहां बिस्तर हो तो शायद उस पर कोई भी सरकार गौर कर सकती है, लेकिन मेडिकल कालेज वहां खोलना और वहां की शिक्षा उस स्तर की होगी, यह तो संभव नहीं है। रहा गोरखपुर के विषय की चर्चा, तो गोरखपुर कोई गांव नहीं है, वह तो शहर है वहां भी रूरल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गयी है। वह कहां तक सफल हुई है और कहां तक रूरल यूनिवर्सिटी की मांग को सिद्ध करती है यह भी विवादास्पद विषय है।

*२१-२२---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---[स्थगित किये गये।]

*२३---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---[११ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न १०२ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*२४-२५---**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)---[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

काशीपुर तहसील तथा थाना के दरवाजों पर बिटिश ताज के कथित चिन्ह

*२६---**श्री झारखण्डेराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या काशीपुर (जिला नैनीताल) की तहसील तथा थाना भवन के बाहर के दरवाजों पर अभी तक ब्रिटिश ताज के चिन्ह बने हुए हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं।

*२७---**श्री झारखण्डेराय** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन विदेशी राज के चिन्हों को हटाने के लिये वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रश्न नहीं उठता।

वृद्धावस्था पेन्शन परामर्श समिति

*२८---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार ने जो वृद्धावस्था पेंशन परामर्श समिति बनाई है उसकी अब तक कितनी मीटिंगें हुई हैं ?

श्री वसी नकवी---तीन।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन तीन मीटिंगों में कितने प्रार्थना-पत्र आये और कितने स्वीकार हुए ?

श्री वसी नकवी---इन मीटिंगों में प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं होता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--अगर इन प्रार्थना-पत्रों पर विचार नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ इन मीटिंगों में ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--इन मीटिंगों में नीति तय की जाती है । अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी दरख्वास्तें आयीं जनवरी तक तो २४,४४३ अप्लीकेशंस आयी हैं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो तीन मीटिंगें हुई हैं उनमें इस बात पर विचार किया गया कि जो वृद्धावस्था पेंशन देने की उम्र है उसमें किसी प्रकार की कमी की जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--हर मीटिंग में थोड़ा-थोड़ा रिलेक्सेशन किया गया है, वह नाते संबंधी और निषेध संबंधी कैटेगरीज में रिलेक्सेशन किया गया है। दो-तीन रह गये हैं, बाकी सब हटा दिये गये हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि रिलेक्सेशन जो हुआ है वह किन-किन बातों का हुआ है ?

श्री अध्यक्ष--यह उन्होंने बता तो दिया ।

आम चुनाव में काम करने वाले जिला बोर्ड बस्ती के अध्यापकों को टी० ए०, डी० ए० न मिलना

*२९--**श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या १९५७ के विगत आम चुनाव में जिला बोर्ड, बस्ती के जिन अध्यापकों ने काम किया था उनमें से बहुत से अध्यापकों को अभी तक उनका टी० ए० व डी० ए० नहीं दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, १९५७ के सामान्य निर्वाचन में जिला परिषद् बस्ती के जिन अध्यापकों की सेवायें ली गई थीं उनमें से २७५ अध्यापकों को अभी तक टी० ए० तथा डी० ए० का भुगतान नहीं हुआ है। कारण यह है कि इन अध्यापकों के टी० ए० बिलों में जो अन्तरिम जिला परिषद् बस्ती के कार्यालय से प्राप्त हुए थे उनमें बहुत सी अशुद्धियां थीं । इन बिलों को संशोधन हेतु अन्तरिम जिला परिषद् के कार्यालय को दिनांक १८ जून, १९५८ को वापस कर दिया गया था तबसे यह बिल संशोधित होकर अभी तक वापस नहीं आये हैं यद्यपि अन्तरिम जिला परिषद कार्यालय को इस संबंध में कई स्मरण-पत्र भेजे जा चुके हैं ।

*३०--**श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त आम चुनाव में कितना रुपया जिला बोर्ड, बस्ती के अध्यापकों को चुनाव के भत्ते के रूप में मिलना था, उसमें से कितना रुपया दिया गया और कितना बाकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अनुमानतः ३०,६००, रुपये अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों को सामान्य चुनाव के संबंध में देना था जिसमें से रुपये २३,७०० अभी तक दिये जा चुके हैं और शेष बाकी हैं ।

जिलेवार नवीन विकास खण्डों की सूची तथा ए० डी० पी० ओ० की नियुक्तियां

*३१--**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९६०-६१ में जिलेवार कितने नये विकास खन्ड खोले जायंगे ?

श्री वसी नकवी--इस संबंध में सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३६१-३६२ पर)

*३२--श्री विश्रामराय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में अब तक ए० डी० पी० ओ० की नियुक्ति हो चुकी है ?

श्री वसी नकवी--केवल निम्नलिखित १० जिलों में ए० डी० पी० ओ० नियुक्त हैं:--

१--आजमगढ़ २--देवरिया ३--गोंडा
४--जौनपुर ५--मिर्जापुर ६--बहराइच
७--बुलन्दशहर ८--आगरा ९--लखनऊ
१०--वाराणसी

श्री विश्राम राय--क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के अन्य जिलों में ए० डी० पी० ओ० रखे जायंगे या नहीं, इसके बारे में सरकार की क्या नीति है?

श्री वसी नकवी--जिन जिलों में ब्लाक ज्यादा हैं या बड़ी आबादी होने की वजह से ज्यादा जरुरत है वहां पर रखे जा रहे हैं। अब तक १० जिलों में रखे जा चुके हैं। आगे जहां जरूरत होगी रखे जायंगे।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने की मांग

*३३--श्री प्रतापसिंह (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक ९ मार्च, १९६१ को भारतीय आयुर्वेदिक विद्यार्थी यूनियन ने कोई मांग-पत्र राज्यपाल व मुख्य मंत्री को पेश किया है ? यदि हां, तो उसमें किन-किन प्रमुख बातों की ओर इशारा किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। हां, प्रेसीडेन्ट आल इंडिया नेशनल मैडीकल स्टूडेन्ट्स, यूनियन पीलीभीत ने एक पत्र १० मार्च, १९६१ को भेजा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि प्रदेश के आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाय।

*३४--श्री प्रतापसिंह (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त मांगों पर सरकार ने अब तक क्या किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है।

मुकदमों का निर्णय हिन्दी में लिखने का सुझाव

*३५--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन ने जिलों में ऐसे आदेश भेजे हैं जिसके अनुसार प्रथम श्रेणी के तथा अन्य मैजिस्ट्रेटों को अपने निर्णय हिन्दी में लिखने की आज्ञा दी गई हो ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--इस संबंध में आज्ञा तो नहीं दी गई है और न दी ही जा सकती है, किन्तु सरकार ने जिला मैजिस्ट्रेटों को यह सुझाव दिया है कि मैजिस्टीरियल और पंचायत संबंधी अदालतों में विचारपति (presiding officers) यथा संभव हिन्दी में फैसले लिखने की वांछनीयता (desirabilty) को ध्यान में रखें, इस प्रतिबन्ध के साथ कि फौजदारी के मुकदमे जटिल न हों और उनके हाई कोर्ट के सामने की जाने की संभावना न हो।

इसी सिलसिले में माननीय हाई कोर्ट से और राजस्व परिषद् से भी निवेदन किया गया है कि यदि उन्हें आपत्ति न हो तो अपने अधीन क्रमशः दीवानी और माल की अदालतों के फैसलों के संबंध में इसी आशय की कार्यवाही करें।

श्री राजेन्द्रसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिलाधीशों को ये आदेश कब दिये गये थे और जिलाधीशों ने किस सीमा तक इन आदेशों का या सुझावों का पालन किया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---ये आदेश पहले सन् ४७ में, जब यह तय हुआ था, तब दिये गये थे। जून ६० में फिर विचार करने के बाद वह आदेश भेज दिये गये थे कि पंचायतराज के मुकदमें हिन्दी में ही हों, यदि दूसरी कोई दिक्कत उनको न हो। जैसा कि मैंने बताया हाई कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट्स को भी लिखा गया था। उनका अभी कोई उत्तर नहीं आया है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि आदेश नहीं दिये गये, सुझाव दिये गये हैं, तो प्रदेश के किन जिलों के अधिकारियों ने उनके उस सुझाव या निवेदन को स्वीकार किया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन जब यहां से लिखा गया है तो जरूर किया होगा और इसलिये यहां से सुझाव भेजा गया था कि उसके अनुसार कार्य किया जाय।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार जिलाधीशों को यह आदेश भेजने की कृपा करेगी कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट और हाकिम परगना अपने निर्णय हिन्दी में ही लिखा करें और जिन फैसलों की अपील हाई कोर्ट में हो जाय उन फैसलों का अंग्रेजी में अनुवाद करा कर भेज दिया करें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जैसा कि बताया गया है उन लोगों का, उन जलसों में, जो समय-समय पर यहां बुलाये जाते हैं, ध्यान आकर्षित कर दिया गया है और अब भी सरकार, जब भी इस प्रकार कान्फ्रेन्सेज बुलाई जायंगी, फिर से उनका ध्यान आकर्षित कर देगी। सरकार को यह आशा है कि सरकार उन्हें जिस कार्य को करने के लिये आमंत्रित करती है, उसकी क्षमता वे अपने अन्दर पैदा करते हैं।

*३६-३७---**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)---[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

कासिमाबाद चिकित्सालय में डाक्टर न होना

*३८---**श्री विश्रामराय** तथा **श्री प्रतापसिंह**---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला गाजीपुर के कासिमाबाद के राजकीय चिकित्सालय में डाक्टर छः मास से नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, जिला गाजीपुर के कासिमाबाद के राजकीय चिकित्सालय में १९-९-१९६० से डाक्टर नहीं है। इसका कारण डाक्टरों की कमी है।

श्री विश्रामराय---क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे कि चिकित्सालय में कब तक डाक्टर भेजने की व्यवस्था हो सकेगी ?

श्री धर्मसिंह---जैसा अभी सदन में बताया गया डाक्टरों की कमी है। लेकिन सरकार जल्द से जल्द डाक्टर भेजने की कोशिश करेगी।

आनन्द नगर तथा तुलसीपुर चीनी मिलों द्वारा बढ़नी तथा परसा क्षेत्र का गन्ना न लेना

*३९---**श्री दशरथप्रसाद** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के बढ़नी तथा परसा क्षेत्र के गन्ना किसानों से चीनी मिल तुलसीपुर

(गोंडा) तथा आनन्दनगर (बस्ती) इस वर्ष गन्ना नहीं ले रहे हैं जिसके कारण गन्ना किसानों को लगभग २ लाख रुपये का घाटा हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या उचित व्यवस्था कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वर्तमान सीजन में आनन्दनगर चीनी मिल ने ११-३-६१ में और तुलसीपुर चीनी मिल ने १५-३-६१ से बस्ती जिले के बढ़नी तथा परसा क्षेत्र के किसानों से गन्ना खरीदना इस वजह से बन्द कर दिया था कि इन स्थानों पर सी० ओ० २८५ किस्म का गन्ना है जो सरकार द्वारा काश्त के लिये निषिद्ध घोषित किया जा चुका है किन्तु अब इन मिलों ने इस गन्ने की खरीद जारी कर दी है ।

रसड़ा जनाना अस्पताल में डाक्टरनी का न होना

*४०—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को विदित है कि रसड़ा जिला बलिया के जनाने अस्पताल में लेडी डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, रसड़ा, (जिला बलिया) जनाना अस्पताल में ५-७-१९५९ से लेडी डाक्टर नहीं है । इसका कारण लेडी डाक्टरों की कमी है ।

गन्ना सोसाइटी, रौजा में गबन

*४१—श्री रूम सिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला शाहजहांपुर में गन्ना सोसाइटी, रोजा में १९५१ से १९६० तक की बिना चुकाई हुई पर्चियों का किसानों का ५०,००० रुपया, जो कर्मचारियों ने जाली पर्ची बनाकर भुना लिया था और जिसके लिये कर्मचारी दन्डित भी किये गये, किसानों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो न देने की क्या वजह है ?

श्री रऊफ जाफरी—यह सत्य नहीं है कि जिला शाहजहांपुर में गन्ना सोसाइटी रौजा में सन् १९५१-से सन् १९६० तक की बिना चुकाई हुई पर्चियों को कर्मचारियों ने जाली पर्ची बना कर किसानों का ५०,००० रुपया भुना लिया था अपितु ४४,८१०.८० नए पैसे का गबन वर्ष १९५९-६० के सीजन में जाली पर्चियां भुना कर हुआ है और वे जाली पर्ची बिना चुकाई हुई पर्चियों में से नहीं बनी हैं अतः किसानों को पुनः भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता ।

यह भी सत्य नहीं है कि इस केस से संबंधित कर्मचारियों को दंडित किया गया था ।

श्री देवनारायण भारती—क्या सरकार बतायेगी कि १९५९-६० में जिन कर्मचारियों ने ४४,८१० रु० ८० नये पैसे का गबन किया अथवा जो उसके लिये जिम्मेदार ठहराये गये उनको, जैसा कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि यह भी सत्य नहीं है कि इस केस से संबंधित कर्मचारियों को दंडित किया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको गबन करने के लिये इनाम दिया गया ?

श्री रऊफ जाफरी—जी नहीं, इनाम नहीं दिया गया ।

श्री रूमसिंह—मंत्री जी बतायेंगे कि वे कौन-कौन कर्मचारी हैं जिन्होंने गबन किया और उनके नाम क्या थे ?

श्री रऊफ जाफरी—जिन लोगों ने गबन किया उनके नाम यह हैं—सर्व श्री पी० के० सहाय, वंसबिहारी लाल, तुलसीराम मिश्र, फकीरचन्द, जयपाल सिंह और जगदीश प्रसाद गुप्ता ।

यह मैं बतला देना चाहता हूं जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनाम नहीं दिया गया, बात यह है कि इनको मुअत्तल किया गया था लेकिन मामला इतना अहम है कि उसको पुलिस में दे दिया गया और सी० आई० डी० उसकी जांच कर रही है और पुलिस ने यह सलाह दी कि इसमें देर लगेगी, इनकी मुअत्तली खत्म कर दी जाय। इसलिये वह अभी दंडित नहीं किये गये । मामला बहुत गंभीर है, उसकी जांच हो रही है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---तो क्या सरकार बतायेगी कि जब मामला बहुत गंभीर है, पुलिस की भी रिपोर्ट है तो मुअत्तली समाप्त करके क्या उनको सहारा नहीं दिया गया ?

श्री रऊफ जाफरी---जी नहीं, सहारा नहीं दिया गया । उनकी वहां मौजूदगी जरूरी है जांच के सिलसिले में। तो जब मुअत्तल कर दिया है उनकी हाजिरी वहां जरूरी है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---मंत्री जी बतायेंगे कि जिन कर्मचारियों के ऊपर गबन का दोष साबित हुआ और जिनका मामला पुलिस को सुपुर्द है उनके खिलाफ कोई पुलिस में रिपोर्ट बाकायदा दर्ज करायी गई ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री रऊफ जाफरी---जाहिर है कि साबित अभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ कि किसने यह किया । यह मामला सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दिया गया, वह जांच कर रही है कि कौन इसमें जिम्मेदार है । इसलिये मैंने जो नाम पढ़े हैं यह नहीं है कि इनके खिलाफ कोई जुर्म साबित हो गया है । जांच हो रही है । इन लोगों का उस काम से संबंध था लिहाजा जांच में उनका नाम आ गया ।

श्री राजनारायण---सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि सरकारी सर्विस रूल्स के मुताबिक जब मुअत्तली होती है तो उस पीरियड में कर्मचारी बाकायदा कार्यालय में हाजिर रहते हैं । तो फिर सरकार ने कैसे कह दिया कि मुअत्तली इसलिये समाप्त कर दी गई ताकि वह हाजिर रहें ?

श्री रऊफ जाफरी---मैंने जैसा पहले कहा कि ये संबंधित लोग हैं, पता नहीं सब शामिल हैं या एक दो शामिल हैं इसलिये सबको एक साथ मुअत्तल करना इन्साफ के खिलाफ होता । इस वजह से मौका भी दे दिया गया । इसमें यह है कि वह हाजिर भी रहेंगे और जांच भी हो रही है ।

श्री रूमसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इतना जबर्दस्त गबन का मामला होते हुये और सन् १९५९-६० का यह मामला है, अब तक इसमें उचित कार्यवाही क्यों नहीं की गई और सजा क्यों नहीं दिलवाई गई ?

श्री रऊफ जाफरी---यह मामला ५९-६० का है लेकिन जिस वक्त गबन हुआ फौरन तो पता चला नहीं और जब मालूम हुआ उसके बाद से जांच हो रही है । जब सी० आई० डी० के द्वारा जांच हो रही है तो जब तक उनकी रिपोर्ट न आ जाय तब तक कोई कार्यवाही करना मुमकिन नहीं ।

*४२---**श्री प्रभूदयाल** (जिला बस्ती)---[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

सुल्तानपुर जिले में सी० एल० आर० डी० योजनान्तर्गत उज्रदारियां

*४३---**श्री गुरू प्रसाद सिंह** (जिला सुल्तानपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर की प्रत्येक तहसील में कितने किसानों ने सी० एल० आर० डी० में लगाये गये उनके ऊपर लगानों के विरुद्ध उज्रदारी की और इस समय तक इस प्रकार के कितने मामले उज्रदारी के पक्ष या विपक्ष में निर्णीत हुये हैं और कितने अभी अनिर्णीत हैं ?

नोट---तारांकित प्रश्न ४१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--आवश्यक सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३६३ पर)

*४४-४५--श्री घनश्याम डिमरी (जिला गढ़वाल)--[२० अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न ९०-९१ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

सगड़ी क्षेत्र के विकास के संबंध में पत्र

*४६--श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या आजमगढ़ विकास भवन की भूमि संबंधी गड़बड़ियों के संबंध में ५ अक्तूबर, १९६० को प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा हुआ कोई पत्र जिलाधीश, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी नहीं ।

*४७--श्री इन्दु भूषण गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सगड़ी क्षेत्र के विकास के संबंध में ८ जनवरी, १९५९ का भेजा हुआ कोई पत्र कमिश्नर, गोरखपुर डिवीजन को मिला था ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी हां, । इस संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ड०' आगे पृष्ठ ३६४-३६६ पर)

*४८--श्री इन्दुभूषण गुप्त--क्या सरकार उक्त दोनों पत्रों की प्रतिलिपियां सदन की मेज कर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--८ जनवरी, १९५९ के पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ड०' आगे पृष्ठ ३६४-३६६ पर)

*४९--श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--[हटा दिया गया ।]

सहारनपुर के वैद्यों व हकीमों की ऐक्शन कमेटी की मांग

*५०--श्री शिवराम (जिला बिजनौर)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें सहारनपुर के ड्रग इन्सपेक्टर द्वारा ७ दिसम्बर, १९६० व १० जनवरी, १९६१ को दिये गये नोटिसों के विरुद्ध सहारनपुर के वैद्यों और हकीमों की ऐक्शन कमेटी की ओर से २१ जनवरी, १९६१ को भेजा हुआ कोई अभ्यावेदन (Representation) मिला है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य मांगे क्या हैं और उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, सहारनपुर के वैद्यों और हकीमों की ऐक्शन कमेटी ने अपने अभ्यावेदन में मांग की थी कि केन्द्रीय शासन के ड्रग्ज ऐक्ट, १९४० के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा रजिस्टर्ड वैद्यों तथा हकीमों को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर माना जाय ताकि वे जब आवश्यक समझे एलोपैथिक औषधियों का प्रयोग कर सकें । इस मांग पर विचार किया गया तथा यह निर्णय हुआ कि ऐसे रजिस्टर्ड वैद्यों और हकीमों को पूर्व की भांति ही एलोपैथिक औषधियां प्रयोग करने का अधिकार रहे । इस विषय में आवश्यक आदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशक, उत्तर प्रदेश को १७ मार्च, १९६१ को दे दिए गए हैं ।

जौनपुर जिले में उद्योग प्रोत्साहन योजना

*५१--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन छोटे उद्योगों को जौनपुर की प्रत्येक तहसील में प्रोत्साहन देने की योजना है और वे कब तक चालू हो जायेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जौनपुर जिले की विभिन्न सहसीलों में लघु-स्तरीय व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये ९ योजनायें हैं जिनका संक्षिप्त विवरण तथा उनके चालू होने की अनुमानित तिथि संलग्न परिशिष्ट 'क' मे दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३६७-३६८ पर)

*५२---**श्री सजीवनलाल**---[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

सीतापुर जिले में क्षतिग्रस्त फसल के लगान में छट देने का विचार

*५३---**श्री छेदीलाल** (जिला खीरी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील व जिला सीतापुर में माह फरवरी, १९६१ में ओला तथा वर्षा किन-किन गांवों में हुई और किन-किन गांवों में ५० नये पैसे से अधिक फसल का नुकसान हुआ तथा उसकी जांच किस कर्मचारी द्वारा कराई गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---संबन्धित ग्रामों की एक सूची संलग्न है । इस सूची के प्रथम १३४ ग्रामों में रबी की फसल को रुपये में ५० नये पैसे या उससे अधिक की क्षति का अनुमान है । जांच ऐडीशनल हाकिम तहसील (Additional S.D.O), तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार सीतापुर द्वारा कराई गई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३६९-३७१ पर)

*५४---**श्री छेदीलाल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त जिन गांवों में ५० नये पैसे से अधिक फसल का नुकसान हुआ है उन गांवों में सरकार की ओर से क्या सहायता दी गयी है तथा क्या किसी और प्रकार की सहायता देने के बारे में विचार किया जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---ऐसे गांवों में नियमानुसार मालगुजारी में छूट देने का विचार है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३६९-३७१ पर)

*५५---**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)---[२४ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

कानपुर की मिलों में टैक्सटाइल वेज बोर्ड की सिफारिशों का लागू होना तथा श्रम कार्यालय में क्लर्कों का स्थायित्व

*५६---**श्री उमाशंकर शुक्ल**---क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या कानपुर ऊलन मिल में सेन्ट्रल टेक्सटाइल वेज बोर्ड की रिपोर्ट लागू नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या इस उद्योग के लिये कोई अलग वेज बोर्ड बनाने का इरादा सरकार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी हां, टैक्सटाइल वेज बोर्ड की रिपोर्ट केवल सूती वस्त्र उद्योग की मिलों पर ही लागू हो सकती है ।

ऊनी वस्त्रोद्योग के लिये वेज बोर्ड बनाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है, यह प्रश्न अखिल भारतीय है ।

*५७---**श्री उमाशंकर शुक्ल**---क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या कानपुर की अथर्टन वेस्ट मिल में सेन्ट्रल टेक्सटाइल वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू किया जाना सरकार ने रोक दिया है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—भारत सरकार द्वारा चलायी जाने वाली मिलों पर वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने का प्रश्न अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

*५८—श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में कानपुर रीजन के श्रम कार्यालय में काम करने वाले हेड क्लर्क्स व सीनियर तथा जूनियर क्लर्क्स के पदों के स्थायीकरण (Permanency) के लिये आदेश राज्य सरकार द्वारा दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त आदेश लागू कर दिये गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में कानपुर रीजन के श्रम कार्यालय में हेड क्लर्क तथा सीनियर कलर्क्स के पदों को स्थायी करने के कोई आदेश नहीं दिये गये । केवल २ जूनियर क्लर्क के पदों के स्थायी करने के आदेश दिये गये थे। इनमें से एक पद पर स्थायीकरण हो गया है तथा दूसरे पद पर विचार किया जा रहा है ।

बलरामपुर तहसील में अग्नि-पीड़ितों को सहायता

*५९—श्री दशरथप्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गोंडा की तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत १ जनवरी, १९६० से ३१ अगस्त, १९६० तक किन-किन गांवों में आग लगी, कितना-कितना नुकसान हुआ तथा सहायता के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है ।

सरकार द्वारा पीड़ितों को ३७० रुपये अहेतुक सहायता के रूप में दिया गया तथा २०० रु० की लकड़ी मकान बनाने के लिये दी गई और २,२३५ रुपये की तकावी भी बांटी गई ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३७२-३७४ पर)

*६०-६२—श्री रघुनाथसहाय यादव (जिला फतेहपुर)—[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

जनसंख्या तथा साक्षरता में वृद्धि

*६३—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या हाल की जनगणना के प्रारम्भिक आंकड़े सरकार को प्राप्त हो चुके हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

*६४—श्री रामदुलारे मिश्र—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के अन्तर्गत जनसंख्या और साक्षरता में किस जिले में कितनी वृद्धि और कमी हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मांगी गई सूचना एक नोट में विस्तृत रूप से दे दी गई है और जिसकी *प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

पेंपर मिल मजदूर संघ, लखनऊ का चुनाव

*६५—श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि U. I. C. पेपर मिल मजदूर संघ, लखनऊ का वार्षिक चुनाव किस वर्ष से नहीं हुआ ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस संबंध में रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—(क) संघ का चुनाव प्रत्येक वर्ष होता है। इस वर्ष (१९६०-६१) भी चुनाव हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

---

*प्रतिलिपि छापी नहीं गई ।

*६६-६८--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

लखनऊ जिले में वृद्धावस्था पेन्शन

*६९--श्री खयालीराम (जिला लखनऊ)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जनवरी, १९५७ से अब तक निराश्रित वृद्धों को लखनऊ जिले तथा शहर में अलग-अलग कितनी वृद्धावस्था पेन्शनें दी गईं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--वृद्धावस्था पेंशन योजना १ दिसम्बर, १९५७ से लागू की गई थी । प्रारम्भ से लेकर ३१ मार्च, १९६१ तक लखनऊ जिले में १३९ व्यक्तियों को पेंशनें दी गईं जिनमें से १०३ पेंशनर लखनऊ शहर के हैं ।

*७०-७२ श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)--[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

सीतापुर जिले में पुराने गजटेड अफसर

*७३--श्री मूलचन्द्र (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि सीतापुर जिले में कितने गजटेड अफसर ऐसे हैं जो अपने पदों पर तीन वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और किन-किन विभागों में किन-किन पदों पर हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सूचना एकत्र की जा रही है ।

*७४--श्री भगवतीसिंह विशारद--[१९ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७५--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७६-७७--श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)--[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

मेडिकल कालेज, कानपुर के लिए रेडियम की खरीद

*७८--श्री गौरीशंकर राय--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या मेडिकल कालेज, कानपुर में १९६० में रेडियम खरीदा गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--रेडियम के खरीदने के लिए १९६० में मेसर्स इन्टर नेशनल जनरल एलक्ट्रिक कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई को आर्डर दिया गया है मगर इम्पोर्ट लाइसेन्स की कठिनाइयों के कारण सामान अभी तक न आ सका ।

*७९--श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त रेडियम के लिये किस-किस फर्म से कितने -कितने का कोटेशन आया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिन फर्मों से कोटेशन आया उनका नाम व मूल्य नीचे दिया गया है :—

	रुपया
१—मेसर्स इम्पीरियल सर्जिकल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई ..	१,५६,१३८
२—मेसर्स इन्टर नेशनल जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई ।	१,४१,६४५
३—मेसर्स फिलिप्स इन्डिया, कलकत्ता ..	१,२९,४६८
४—मेसर्स स्कार्ट्स लिमिटेड, नई दिल्ली ..	१,२५,२६०

*८०—श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस फर्म से यह रेडियम खरीदा गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेसर्स इन्टर नेशनल जनरल एलेक्ट्रिक कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई, से यह रेडियम खरीदा जा रहा है ।

शाहजहांपुर जिले में वर्षा व बाढ़-पीड़ितों को सहायता

*८१—श्री रूर्मासिह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में अक्तूबर, १९६० में वर्षा तक सैलाब के कारण जिन मकानों को क्षति हुई उसके सम्बन्ध में क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को कितनी सहायता दी गई और कहां-कहां ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—क्षतिग्रस्तों को अनुदान व तकावी व कर्जे के रूप में दी गई सहायता का विवरण इस प्रकार है:—

तहसील	रुपया
सदर	४६,०४७.३७
तिलहर	५३,१९९.००
जलालाबाद	१३,२५७.२५
पुवायां	२९,०८०.००

इसके अतिरिक्त जरूरतमन्दों को बांस, फूस इत्यादि भी दिया गया।

*८२—श्री रूर्मासिह—क्या यह सही है कि उपर्युक्त मकानों की क्षति के सम्बन्ध में कस्बा मीरानपुर कटरा तथा कस्बा तिलहर में किसी व्यक्ति को कोई सहायता नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों नहीं दी गई ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता।

*८३—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ) तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय—[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

प्राविन्शियल मार्केटिंग आफिसर तथा स्टेट ऐग्रीकल्चर मार्केटिंग आफिसर के पद

*८४—श्री देवनारायण भारतीय, श्री रामस्वरूप वर्मा तथा श्री उग्रसेन—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्राविन्शियल मार्केटिंग आफीसर (P. M. O) तथा State Agricul.ural Marke:ing Officer के दो बड़े पदों को economy measure के रूप में वह एक करने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गन्ना सोसाइटियों का मिलों से सट्टा

*८५--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कितने मिलों के हाथ गन्ने बेचने का जो सट्टा गन्ना सोसाइटियां मिलों से और किसानों से करती हैं उसकी क्या सरकारी प्रक्रिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस प्रदेश में गन्ना सोसाइटियां मिलों के हाथ गन्ना बेचने के लिये किसानों से जो सट्टा करती है उसकी सरकारी प्रक्रिया यह है कि प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में किसानों का "बेसिक कोटा" उनके पूर्व क्रमशः ३ व ५ वर्षों की औसत सप्लाई के आधार पर निश्चित किया जाता है। इसके बाद मिल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये वह बेसिक कोटा के आधार पर समिति द्वारा गन्ने का आफर मिल को दिया जाता है और मिल आफर मिलने के बाद गन्ना समिति से एग्रीमेंट करती है। यदि 'बेसिक कोटा' की मात्रा मिल की आवश्यकता से कम होती है तो किसान अपने अतिरिक्त गन्ने का सट्टा जमानत के आधार पर गन्ना समिति से करते हैं और फिर सट्टा ((additional bonding) हो जाने पर गन्ने की सप्लाई उसी आधार पर होने लगती है।

*८६-८८--श्री रामलखन (जिला वाराणसी)--[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*८९-९०--श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*९१-९२--श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)--[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

फर्रुखाबाद जिले में बिना डाक्टर तथा इमारत के अस्पताल

*९३--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में कौन-कौन अस्पताल बिना डाक्टर और बिना सरकारी इमारत के चल रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--डाक्टरों की अधिक कमी के कारण फर्रुखाबाद जिले में निम्नलिखित सरकारी अस्पताल कुछ समय से बिना डाक्टर के हैं:--

(१) नवाबगन्ज
(२) सौरिख,
(३) विशुनगढ़,
(४) शमशाबाद (महिला)
(५) कायमगंज (महिला)

इस जिले में निम्नलिखित अस्पताल बिना सरकारी इमारत के चल रहे हैं:--

(१) नवाबगंज,
(२) सौरिख,
(३) विशुनगढ़,
(४) कमालगंज।

*९४-९५--स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)--[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

बोरिंग मैकेनिकों को मैकेनिकल इन्स्पेक्टर बनाने पर विचार

*९६--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९५४ से दिसम्बर, १९६० तक अल्प सिंचाई योजना के बोरिंग मेकेनिकों व सहायक तथा गोता खोरों के कितने पद स्थायी किये गये और उनमें से कितने व्यक्ति उन पदों पर स्थायी घोषित किये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जुलाई, १९५४ से दिसम्बर, १९६० तक निजी अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत ९७ बोरिंग मेकैनिक, २० सहायक बोरिंग मैकेनिक तथा १५ गोताखोरों के पद स्थायी किये गये। इन पदों पर अभी कोई व्यक्ति स्थायी घोषित नहीं किया गया है।

*९७--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार ने बोरिंग मेकेनिकों को बोरिंग इंस्पेक्टर के पद पर उन्नति देने के विषय में कोई निर्णय किया है ? यदि नहीं तो कब तक निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--यह मामला शासन के विचाराधीन है।

प्रतापगढ़ जिले में वर्षा तथा ओला-पीड़ितों को सहायता

*९८--श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसीलवार प्रतापगढ़ जिले के किन-किन गांवों में ओला और पानी से फरवरी, १९६१ में फसल और मकानों को क्षति हुई और कितने गांवों में कितनी-कितनी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--फरवरी, १९६१ में ओला और पानी से जिला प्रतापगढ़ में मकानों तथा फसल में हुई क्षति का ब्योरा संलग्न तालिका में दिया गया है।

ग्रामवार क्षति का विवरण हमारे कार्यालय में मौजूद है उसको यहां रखने में जो श्रम व समय लगेगा वह होने वाले लाभ से अधिक ही होगा। अतः उसका ब्योरा कार्यालय में देखा जा सकता है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३७५ पर)

*९९--श्री रामकिंकर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त उपल वृष्टि से हुई हानि के सम्बन्ध में उक्त जिले में अब तक कितना धन तकावी और कितना धन अहेतुक सहायता के रूप में तहसीलवार वितरित किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अहेतुक सहायता और तकावी के रूप में अब तक वितरित की गई धनराशि तहसीलवार विवरण प्रश्न संख्या ९८ के उत्तर में दी गई तालिका के कालम ४ व ५ में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३७५ पर)

चिकित्सा विभाग में परिगणित तथा बैकवर्ड क्लास के कर्मचारी

*१००--श्री रामदीन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ३१ दिसम्बर, १९६० को चिकित्सा विभाग में कितने अधिकारी तथा कितने कर्मचारी किस-किस पद पर कार्य कर रहे थे और उनमें कितने परिगणित जाति के तथा कितने बैकवर्ड क्लास के थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सूचना एकत्र की जा रही है।

बलिया जिले में नलकूप

*१०१—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के अन्तर्गत प्रत्येक शैडो व एन० ई० एस० ब्लाकों में अब तक कुल कितने ट्यूबवेल लग चुके हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वांछित सूचना निम्न प्रकार है:—

ब्लाकों के नाम	बने नलकूपों की संख्या
शैडो ब्लाक—	
१—मनियर	६
२—पन्दह	३
३—रेवती	७
४—चिल्कहर	९
५—टुबहड़	९
६—मुर्ली छपरा	३
७—बेलहरी	१०
एन० ई० एस० ब्लाक—	
१—हनुमान गंज	६
२—रसड़ा	२३
३—सीयर	२
४—नगरा	२२
५—रतनपुरा	१६
६—गढ़वार	७
७—बैरिया	५
८—सोहांव	१४
९—बेरुआखबारी	३
१०—बांसडीह	४
कुल ..	१४९

अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के ग्राम सेवक तथा ग्राम सेविकायें

*१०२—श्री लायकसिंह चौधरी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने ग्राम सेवक तथा ग्राम सेविकायें हैं? उनमें से कितने अनुसूचित जाति के तथा कितने पिछड़े वर्ग के हैं?

*१०३—उपर्युक्त ग्राम सेवक तथा ग्राम सेविकाओं में कितने शहरवासी हैं तथा कितने ग्रामवासी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना एकत्र की जा रही है।

सदर तहसील (फर्रुखाबाद) में चकबन्दी कार्य

*१०४--श्री कोतवाल सिंह भदौरिया--क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले की सदर तहसील में जहां चकबन्दी हो रही है, अब तक कितना काम हो गया है और कितना बाकी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--फर्रुखाबाद जिले की सदर तहसील में २८ फरवरी, १९६१ तक लगभग १९ प्रतिशत चकबन्दी कार्य समाप्त हो चुका था।

*१०५--श्री कोतवालसिंह भदौरिया--क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में जहां चकबन्दी हो रही है वहां जनवरी, १९६० से अब तक कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शिकायतें सरकार को मिली हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आवश्यक सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३७६-३७७ पर)

नौगढ़ तथा बांसी तहसीलों के पुराने लेखपाल

*१०६--श्री मथुराप्रसाद पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की नौगढ़ व बांसी तहसील में कितने-कितने लेखपाल ऐसे हैं जो उसी हलके पर आज भी मौजूद हैं जिस पर वे जमीन्दारी उन्मूलन के पहले पटवारी थे?

श्री हुकुमसिंह विसेन--नौगढ़ तथा बांसी तहसील में क्रमशः २३ और ३५ लेखपाल ऐसे हैं जिनके वर्तमान हलके में कुछ गांव ऐसे भी पड़ते हैं जिनके वे जमीन्दारी उन्मूलन के पहले पटवारी थे। इसके अतिरिक्त नौगढ़ तहसील में ३ लेखपाल ऐसे हैं जिनके वर्तमान हलके में कुल वही और उतने ही गांव हैं जिनके वे जमीन्दारी उन्मूलन के पहले पटवारी थे।

*१०७--श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय--क्या सरकार कृपया ऐसे लेखपालों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूची प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी "ट" आगे पृष्ठ ३७८-३७९ पर)

लखनऊ जिले में चकबन्दी अधिकारियों का शेष वेतन

*१०८--श्री रामशरण यादव--क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जिले में २४ फरवरी, १९६१ तक कितने चकबन्दी अधिकारियों की तनख्वाह ६ महीने से अधिक समय से बकाया पड़ी है? उसकी अदायगी न होने के क्या कारण हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--२४ फरवरी, १९६१ को लखनऊ जिले के चकबन्दी कार्यालय के किसी कर्मचारी की मासिक तनख्वाह ६ महीने से अधिक समय से बाकी नहीं थी। केवल कुछ कर्मचारियों की छुट्टी की तनख्वाह (Leave Salary) का भुगतान बाकी था।

राजपत्रित अधिकारी

*१०९--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में १५ नवम्बर, १९६० को कुल कितने राजपत्रित अधिकारी थे और उनमें कितनी औरतें, कितने पिछड़े वर्ग एवं कितने परिगणित जाति के थे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सूचना एकत्र की जा रही है।

अजमतगढ़ के शान्ति सरोवर की सुरक्षा के लिये प्रार्थना

*११०—**श्री इन्दुभूषण गुप्त**—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के ग्राम अजमतगढ़ के ग्राम-समाज ने अपने प्रस्ताव दिनांक ८ नवम्बर, १९५८ द्वारा शांति सरोवर नामक पोखरे को ईंटों का भट्ठा लगाने के लिये एक व्यक्ति को दे दिया और तभी से उस पोखरे से जो सिंचाई आसपास के खेतों की होती थी वह नहीं हो पाती और जो मछलियां उसमें पलती थीं वह भी नहीं रह गई हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। परन्तु आस-पास के खेतों की जैसे सिंचाई पहले होती थी, वैसे ही अब भी होती है। चूंकि इस तालाब से सिंचाई होती है इसका पानी दिसम्बर, जनवरी तक सूख जाता है। अतः इस तालाब में न तो पहले ही मछलियां पलती थीं, न अब हैं।

*१११—**श्री इन्दुभूषण गुप्त**—क्या यह सच है कि इस आशय का शिलालेख उस पोखरे पर उसके जीर्णोद्धारक ने लगवाया था कि उसमें मछलियां मारना वर्जित है ? यदि हां, तो गांव समाज मैनुअल के तृतीय संस्करण के पैरा ५६(३) की जो अवहेलना उस पोखरे की मछलियों और फलों को नष्ट करके की गई है और जिसकी सूचना सरकार को है और उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। यह १९२४ की बात है। सरकार को जो सूचना मिली है, उसके अनुसार पोखरे की मछलियों और फलों को नष्ट नहीं किया गया और गांव समाज मैनुअल के पैरा ५६—३ की कोई अवहेलना नहीं हुई। जैसा कि प्रश्न संख्या ११० के उत्तर में बताया गया है, इस तालाब में मछलियां रहती ही नहीं। सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

आगरे में कोयला, स्टील, पिग आइरन का परमिट

*११२—**श्री आदिराम सिंघल** (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा शहर में किस-किस लिमिटेड कम्पनी (Limited Company) को कितना-कितना कोयला, स्टील व पिग आइरन पांच वर्षों में परमिट से दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—†सूचना संलग्न है।

---

*११३—**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी** (जिला देवरिया)—[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

श्री टीकाराम पुजारी द्वारा कृषि अनुदान के लिये तीन घंटे के समय निर्धारण पर आपत्ति तथा सदन त्याग

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमान जी, कल कृषि अनुदान के लिये सदस्यों को केवल तीन घंटे मिले। कृषि ही इस प्रदेश का खास काम है। अगर किसान का बेटा मुख्य मन्त्री होता तो कृषि अनुदान के लिये तीन या ढाई घन्टे न दिये जाते। यह सदन का अपमान किया गया है....

श्री अध्यक्ष—आप तो भाषण देने लगे।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, इस सरकार ने किसानों पर जो तीन आने सिंचाई की छूट थी उसको खत्म कर दिया....

---

†—सूचना छापी नहीं गई।

श्री अध्यक्ष—आप स्थान ग्रहण करें।

श्री टीकाराम पुजारी—सरकार ने जो तीन घंटे का समय कल कृषि अनुदान के लिये दिया, उसपर हमारे सब भाइयों को सदन का त्याग करना चाहिये था....

श्री अध्यक्ष—आप स्थान ग्रहण करें।

श्री टीकाराम पुजारी—और चीजों पर तो बीस-बीस घंटे मिले। यह बड़े शर्म की बात है। सरकार को डूब कर मर जाना चाहिये। मैं सरकार के खिलाफ दो घंटे के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(श्री टीका राम पुजारी सदन के बाहर चले गये।)

मिर्जापुर के शिफटन मिल के मालिकों द्वारा मजदूरों की मुअत्तली तथा तालाबन्दी के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब मिर्जापुर में शिफटन मिल में ऊनी कम्बल की जगह सूत मिला हुआ कम्बल बनाने तथा मिल में ताला बन्दी करने के संबंध में श्री राजनारायण द्वारा दिनांक ११ अप्रैल, १९६१ को दी गई सूचना पर श्रम मंत्री का वक्तव्य होगा।

श्रम उप मंत्री (श्री वसी नकवी)—श्रीमन्, शिफटन मिल लिमिटेड, मिर्जापुर भारत सरकार के सुरक्षा मंत्रालय की मांग के अनुसार ऊनी कम्बल तैयार करता है। यदि कम्बल में कोई मिलावट या शिकायत हो तो उसका निर्णय भारत सरकार कर सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार के पास उक्त माल की खराबी या उसमें मिलावट की जांच करने का कोई आधार नहीं है। जहां तक गैर-कानूनी तालाबन्दी की बात है, सेवायोजकों ने यह इन्कार किया है कि उत्पादन में कमी और माल की खराबी के कारण हुई है। उनका कहना है कि यह श्रमिकों द्वारा गो-स्लो (go slow) करने के फलस्वरूप हुई है जो गैरकानूनी हड़ताल का एक रूप है। उन्होंने ४-३-६१ से तालाबन्दी करने की यथोचित सूचना श्रम अधिकारियों के पास भेज दी थी। मामले में आपसी समझौता कराने का कई बार प्रयत्न किया गया परन्तु दोनों पक्षों के विचारों में समता न होने के कारण कोई समझौता नहीं हो सका। अन्त में ७-४-६१ को इस मामले के समस्त विवादग्रस्त प्रश्न जैसे माल में मिलावट, श्रमिकों की मुअत्तली व बैठकी और उन्हें नौकरी से निकालना और तालाबन्दी, सहायक श्रम आयुक्त इलाहाबाद श्री के० के० पान्डेय को समझौता बोर्ड में समझौता कराने के लिये भेज दिये गये हैं। बाद में सेवायोजकों ने ११-४-६१ से उक्त तालाबन्दी समाप्त कर दी है। अतः अब उनके विरुद्ध तालाबन्दी के संबंध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है। अभी श्रमिकों की हड़ताल चल रही है और वह मामला समझौता बोर्ड में भेज दिये जाने के बाद पूर्णतः गैर कानूनी है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं सरकार का ध्यान इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट जो सब से आखीर का संशोधित है उसकी धारा १५ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है—

"Notwithstanding anything contained in the Second Schedule to the Code of Criminal Procedure 1898, any Police Officer may arrest without warrant any person who is reasonably suspected of having committed, or of committing, or of being about to commit a contravention of any rule or order made under this Act."

इस धारा के मुताबिक यह स्पष्ट है कि अगर कोई मिल मालिक जब संराधन में मामला चला जाय तो उसके एक महीने के अन्दर अगर तालाबन्दी करे तो पुलिस बिना किसी वारंट के उसको

[श्री राजनारायण]

गिरफ्तार कर सकती है। तो जब सरकार के पास यह अधिकार था और ४ मार्च को मिल मालिकों ने बिना किसी बात के तालाबन्दी कर दी तो क्या कारण है कि उनकी गिरफ्तारी की कोशिश हम लोगों के बार-बार कहने के बावजूद भी नहीं की गई ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—इसलिये नहीं कि हमारे आफिसर उनसे हमदर्दी रखते थे बल्कि वह यह चाहते थे कि उनके पास एक मजबूत केस हो जिसकी बुनियाद पर प्रासीक्यूट करें। उन्होंने जो तालाबन्दी की थी तो उसमें मालिकों का कहना था कि इन लोगों ने "गो स्लो" किया है इसलिये तालाबन्दी करनी पड़ी है। दूसरी तरफ से कहा गया कि खराब माल देने की वजह से काम आहिस्ता हुआ। यह बात डिस्प्यूटेड है कि वह लाकेआउट है या नहीं। अगर लाक आउट न हुआ और प्रासीक्यूट किया गया तो हमारी पोजीशन अच्छी नहीं होगी। सारा मामला कंसीलियेशन में जांच होने के बाद ही प्रासीक्यूशन करना उचित है ऐसी हमारी राय है। मिल मालिकों की तरफ से जो नोटिस दी गई उसे उन्होंने विदड्रा कर लिया है। इस वक्त स्ट्राइकर्स की तरफ से नोटिस जारी है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, वस्तुस्थिति पर पर्दा नहीं पड़ना चाहिये। जब सुचेता जी ने इस विभाग को सम्हाला तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि मजदूरों के साथ न्याय होगा। श्रीमन्, ७ तारीख को जब हमारी और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की इलाहाबाद में बातचीत हुई तब तक उनके पास मिल मालिकों की ओर से यह कोई सूचना नहीं थी कि ४ तारीख को नोटिस देकर तालाबन्दी की है। वस्तुस्थिति यह है कि जब हमने उनको यह कानूनी प्वाइन्ट बताया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर यह घोषणा की कि तालाबन्दी अगर गैर कानूनी है तो मुकदमा चलेगा तो लेबर डिपार्टमेन्ट के लोगों ने मिल मालिकों से इस तरह की सांठ-गांठ की कि यह कह दिया जाय कि "गो स्लो" हो रहा था इसलिये यह किया गया तो क्या सरकार बताएगी कि यह सब बात सही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यह स्थिति नहीं है। अगर उनके दिल में शंका है तो ज्यादा छान-बीन करके देख लूंगी।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, यह मिलावट वाला माल देने के कारण मजदूरों का जो उत्पादन होता था वह कम होता था और उनको मजदूरी कम मिलती थी। इसलिये कई महीने पहले से इस संबंध में मजदूर लिखा पढ़ी कर रहे हैं और श्रम विभाग के सभी अधिकारियों को इस मामले की सूचना थी। तो इससे पहले क्यों नहीं कदम उठाया गया ताकि यह झगड़ा होता ही नहीं ?

श्री मती सुचेता कृपालानी—जैसा कि पहले बतलाया गया, मिलावट वाली बात हमको नहीं तय करनी है, डिफेंस डिपार्टमेन्ट तय करेगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—स्पूरियस गुड्स जो फर्म्स बनाती हैं और जो बाहर भेजी जाती हैं तो उससे हमारे देश की बदनामी होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई ऐसा कानून बनाएगी कि यदि कोई ऐसी स्पूरियस गुड्स बनाए तो उस पर कोई ऐक्शन हो सके ?

श्री अध्यक्ष—यह उन्होंने बता दिया कि यह उनका बिजनेस नहीं है।

श्री भगवतीसिंह बिशारद (जिला उन्नाव)—जैसे बिना किसी प्रकार का नोटिस दिये हड़ताल करना गैर कानूनी है उसी तरह से बिना नोटिस दिये हुए तालाबन्दी करना गैर कानूनी है। तो इन मालिकों ने जो यह किया है उसके लिये उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उनको शो काज का नोटिस दिया गया। अब उन्होंने अपना लाक आउट हटा लिया है।

श्री राजनारायण—सरकार इसको स्पष्ट करे कि अभी डिप्टी लेबर मिनिस्टर साहब ने बयान दिया है कि मिल में मिलावट का मामला भी संराधन कमेटी को दिया गया और दूसरी तरफ माननीय लेबर मंत्राणी जी कहती हैं कि उनको कोई अधिकार नहीं है और यह केन्द्रीय सरकार का विषय है, तो इन दोनों उत्तरों में सामंजस्य क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह मैटर आफ डिस्प्यूट है और डिस्प्यूट के मैटर कंसीलियेशन बोर्ड को रेफर किये जाते हैं। उसको रेफर किया गया है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस यूनियन के अध्यक्ष श्री प्रभुनारायण जी, एम० पी० ने केन्द्रीय सरकार का भी ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और वहां के सुरक्षा मंत्री ने एक जांच कमेटी बैठाई है। लेकिन वहां के जो सरकारी कर्मचारी है और वहां के श्रम विभाग के जो कर्मचारी हैं, सब लोगों ने जानबूझ कर जांच में बाधा डाली और मिलवालों ने जांच नहीं होने दी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इसकी मेरे पास कोई इन्फार्मेशन नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—जिस शोकाज नोटिस का जिक्र माननीय मंत्राणी जी ने किया और उन्होंने उसके बाद तालाबन्दी हटा ली तो इसके माने हैं कि उन्होंने स्वतः समझ लिया कि उन्होंने गलती की थी। तो क्या इस मुरौव्वत में सरकार ने उनको प्रासीक्यूट करने का इरादा छोड़ दिया है ? अगर नहीं छोड़ दिया है तो उसने उनको प्राजीक्यूट क्यों नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष—यह उन्होंने बता दिया कि मामला वहां पर गया हुआ है और उसके बाद अगर सरकार समझेगी तो बाद में भी कर सकती है।

श्री गेंदासिंह—तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह शो-काज नोटिस उनको कौन सा काज बताने के लिये दी गयी थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—शो काज नोटिस तो बहुत दिन पहले उन को दिया गया था। जो काज उन्होंने बताये वह मुनासिब नहीं पाये गये थे इसलिये फिर यह मामला कंसीलियेशन बोर्ड को रेफर किया गया था। तालाबन्दी का नोटिस तो उन्होंने अभी ११ तारीख को हटाया है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ९ अप्रैल को लेबर कमिश्नर से सारी बातें निश्चित करके यह सेवक भी मिर्जापुर गया था और वहां पर श्री पान्डेय जी, उनके छोटे पान्डेय जी और कोई मिश्रा जी हैं उन्होंने वाद-विवाद में इस बात को मान लिया था कि यह सही है कि इसमें उनको बिना वारन्ट गिरफ्तार किया जा सकता था लेकिन चूंकि आज तक भारतवर्ष में कोई मिलमालिक गिरफ्तार नहीं किया गया है इसलिये इनको गिरफ्तार करके हम उत्तर प्रदेश में पहल नहीं कर सकते थे। यह उन्होंने स्पष्ट कबूल किया था ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मैं इस प्रश्न को पूछने की इजाजत नहीं दे सकता।

श्री राजनारायण--माहेश्वरी मिलमालिक कहता है कि जब तक गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर हैं तब तक उसका कोई कुछ नहीं कर सकता ।

[* * *]

श्री अध्यक्ष--आप क्या कह रहे हैं । आप इस बात को कभी नहीं सोचते कि सरकार को, आपसे किसी आफिसर ने क्या कहा, कैसे मालूम हो सकता है ? मैं इस तरह की बातों को इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री राजनारायण--यह मैंने मंत्राणी जी को बता दिया था ।

श्री अध्यक्ष--तो आपको यह पूछ लेना चाहिये था कि आपने सरकार को क्या बताया था और क्या सरकार को उसके बारे में मालूम है ।

श्री राजनारायण--क्या माननीय मंत्राणी जी इस बात से इस सदन को अवगत करायेंगी कि जब मैं मिर्जापुर से लौटा था तो मैंने इस बारे में सारी जानकारी लेबर कमिश्नर, लेबर सेक्रेटरी और स्वयं माननीय मंत्राणी जी को भी दे दी थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--यह जानकारी एक महीने से थी और बराबर कोशिश की जा रही थी । आफिसर्स बार-बार मिर्जापुर जा रहे थे . . .

श्री अध्यक्ष--वह यह जानना चाहते हैं कि इस बात की जानकारी थी कि उन्होंने इस बात को कबूल किया कि गवर्नमेन्ट प्रासिक्यूट कर सकती थी लेकिन वह पहल नहीं करना चाहती है ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी--यह बात भी मुझे मालूम है । जो बयान दिया है ध्यान से सुनते तो उनको पता चलता । मैंने कहा कि प्रासिक्यूट कर सकते थे मगर यह कदम इसलिये उठा लिया गया to be on the surer ground ताकि केस गिर न जाय ।

श्री राजनारायण--पहले लेबर कमिश्नर की ओर से यह उत्तर मिला था और इसमें लिखा हुआ है "reasonably suspected" तो क्या सरकार बतायेगी कि ऐसी हालत में यह सन्देह भी हो कि तालाबन्दी हो गयी है तब भी मुकदमा चलाया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आपका आर्ग्युमेन्ट होगा कि आप होते तो ऐसा करते, लेकिन दूसरा भी अपना डिस्क्रीशन यूज़ कर सकता है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--इस लाक आउट तथा हड़ताल के सिलसिले में मजदूरों के प्रतिनिधि और मालिकों से बातचीत हुई लेकिन यह बातचीत फेल हो गयी । उसके बाद इस मामले को कंसिलियेशन में क्यों भेजा गया, एडजुडिकेशन में क्यों नहीं भेजा गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--यह मैं नहीं बतला सकती लेकिन, वहां के लोकल आफिसर्स ने जैसा मुनासिब समझा वैसा किया ।

श्री राजनारायण--जब तालाबन्दी हटी तब . . . . .

श्री अध्यक्ष--आप बैठें । अब मैं इसे खत्म करता हूं ।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय के संबंध में जानकारी की मांग

श्री नन्द राम (जिला प्रतापगढ़)--मैंने प्रतापगढ़ के बारे में नियम ५२ के अनुसार सूचना दी थी । वह महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं ।

[* * * *]माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया ।

श्री नन्दराम—वहां ठेकेदारों ने दूकानदारों पर मुकदमा दायर कर दिया है और दूकानदार परेशान हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—मेरे कमरे में आकर बात कर लें।

१९६१-६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—

अनुदान संख्या २९—श्रम और सेवा योजन

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या २९—श्रम और सेवा योजन के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर १,४३,९८,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

यह अनुदान लेबर कमिश्नर, डायरेक्टर आफ ट्रेनिंग लेबर कोर्ट्स और पर्मानेन्ट के सिलियेशन बोर्ड इत्यादि से संबंध रखता है। इसमें १,२२,५२,२०० रुपये नान-प्लान्ड एक्सपेंडिचर में हैं और ३४,५८,००० रुपये प्लान्ड आइटम में हैं। इस डिपार्टमेन्ट के बारे में संक्षिप्त रूप से मैं दो-चार बातें कहना चाहूंगी। डिपार्ममेन्ट का काम काफी संतोषजनक है। जब मैं संतोषजनक कहती हूं, इसमें मेरी कोई तारीफ नहीं है। मैंने अभी-अभी काम संभाला है। जिस ढंग से लेबर डिपार्टमेन्ट का काम यू० पी में चल रहा है अगर हम दूसरे प्रान्तों से उसका मुकाबला करें तो हमें काफी खुशी इजहार करने का अवसर उसमें मिलता है।

इस सरकार की एक प्रगतिशील नीति लेबर के मामले में रही है। यह कोशिश हमारी रही है कि लेबर को आहिस्ता-आहिस्ता हर एक अंडरटेकिंग में फेयर वेजेज मिलें और दूसरी सहूलियतें जैसे डियरनेस अलाउन्स और बोनस इत्यादि दिलाया जाय और ओवरआल यह पालिसी रही है कि कोशिश करके लेबर तथा एम्पलायर के बीच में वालेंटरी आर्बिट्रेशन से काम कराया जाय ताकि झगड़ा कम हो।

कुछ आंकड़े पिछले सालों के अगर आप देखें तो कई बातों में हमें तरक्की दिखाई देती है। फैक्ट्रीज में एम्प्लायमेंट का जहां तक सम्बन्ध है, १९५२ में जहां २ लाख ४० हजार लोग थे वहां अब वह संख्या २ लाख ८५ हजार हो गयी है। जो रियल वेजेज वर्कर्स को मिलते हैं उसमें भी काफी तरक्की हुई है। अगर सन् १९३९ को बेस मान कर कम्पेयर करें तो हम देखेंगे कि १९५० में जो रियल वेज ११५.७ परसेंट थे वह १९५९ में १२०.८४ परसेंट हो गये। इस तरह से रियल वेजेज में २१ परसेंट की बढ़ौती हुई है। इसके अलावा अगर इंडस्ट्रीज वाइज भी देखें तो देखेंगे कि हर जगह लेबर के वेजेज बढ़ गये हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री में १९५३ में रु० ७९४ आ० ८ पा० ३ उनके वेजेज थे और १९५९ में वह ८५० रुपये २० नये पैसे हो गये। ऐसे ही टेक्सटाइल में, फूट गियर वगैरह में बढ़ौती दिखायी पड़ती है। गवर्नमेन्ट की कोशिश हमेशा यह रही है कि फेयर वेजेज फिक्स कर दिये जायं और इसके लिये पिछले सालों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये।

शुगर इंडस्ट्री के बारे में सब लोग जानते हैं कि इसमें वेजेज काफी कम दिये जाते थे। इस बारे में कई दफा सोच विचार हुआ और उनके वेजेज रिवाइज किये गये और सन् ५० तक शुगर इंडस्ट्री में मिनिमम वेज ५५ रुपये था। उसके बाद सेन्ट्रल वेज बोर्ड शुगर बैठा। उसकी रेकमेंडेशन के मुताबिक १९५९ में एक इन्टेरिम इन्क्रीज दी गयी। यह थी १०० रुपये तक पाने वाले को ५ फीसदी, १०० से २०० रुपये तक पाने वालों को ४ फीसदी, २०० से ३०० तक वालों को ३ फीसदी और ३०० से ५०० तक वालों को २ फीसदी इन्क्रीज दी गयी। इस सिलसिले में कई दफा त्रिदलीय मीटिंग भी हुई और आखिरी मीटिंग ३० मार्च को हुई थी। उसमें हमारी यह कोशिश थी कि वेज बोर्ड की रेकमेन्डेशन्स लागू की जायें लेकिन उसमें कई दिक्कतें पेश आ गईं। सब से पहली दिक्कत इस बात की आयी कि इन दिनों चीनी उद्योग कुछ मुसीबत में है। शुगर प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से उनके पास माल ज्यादा इकट्ठा है, उसको बेचने में उनको

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

दिक्कत हो रही है और बैन्कों की तरफ से जो फैसिलिटी उनको मिल सकती थी उसमें तंगी है। इसके अलावा वेज बोर्ड की रेकमेन्डेशन में यह भी देखा गया कि उन्होंने कहा है कि अगर उनकी रेकमेन्डेशन पूरी की जायं तो शायद कुछ भाव बढ़ाना पड़ेगा। ये दो मामले सरकार के सामने हैं जिनमें बहुत काफी परेशानी मालूम हुई और इसी वजह से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने माननीय प्रधान मंत्री को चिट्ठी लिखी है। हमने बहुत कोशिश की कि कोई रास्ता निकले जिससे कि शुगर वेज बोर्ड की रेकमेन्डेशन्स को पूरे तौर में अमल में ला सकें। मिल मालिक इस बात को मानते हैं कि जो लेबर का हक है वह उनको मिलना चाहिये, लेकिन मालिकों के प्रतिनिधि कहते हैं और मजदूरों के प्रतिनिधि भी स्वीकार करते हैं कि भाव बढ़ाये बिना यह करना मुश्किल है क्योंकि अगर शुगर वेज बोर्ड की रेकमेन्डेशन को अमल में लाया जाय तो करीब डेढ़ करोड़ रुपये का इंसीडेन्स शुगर इंडस्ट्री पर पड़ेगा। बहरहाल, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई न कोई तरीके से हमारे मजदूरों को जितना मिलना चाहिये उतना मिले।

टेक्सटाइल के बारे में भी वेज बोर्ड की रेकमेन्डेशन आयी और उसके बाद जुलाई, १९६० में त्रिदलीय मीटिंग हुई। उसके बाद सरकारी हुक्म के जरिये से ६ रुपये की बढ़ौती कानपुर की ९ टेक्सटाइल मिलों में और सहारनपुर में की गयी और ८ रुपये की बढ़ौती मोदी मिल में लागू की गयी। इसके अलावा वहां की ९ टेक्सटाइल मिलों में क्लर्कों की भी तनख्वाह बढ़ायी गयी। डियरनेस एलाउंस के बारे में यह फैसला किया गया कि सन् ५९ की पहले ६ महीने की औसत तनख्वाह का ३/४ वेज के साथ मर्ज किया जाय।

इसके अलावा शुगर इंडस्ट्री में बोनस का काम बहुत अच्छी तरह से हुआ है। उसमें हम मिल मालिक और मजदूरों, दोनों की प्रशंसा करेंगे क्योंकि वैसे बोनस हमेशा (award) के द्वारा दिया जाता है मगर चीनी उद्योग में यह परम्परा है कि मिल मालिक और मजदूर दोनों बैठ कर तय कर लेते हैं। और १९५९–६० में भी यह आशा की जाती है कि १ करोड़ ४ लाख रुपये का बोनस वर्कर्स को मिल जायगा।

मैं खास तौर से माननीय सदस्यों की तवज्जह इस तरफ दिलाऊंगी कि हमारे प्रान्त में इंडस्ट्रियल रिलेशन्स काफी संतोषजनक रहे हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन्स अच्छे रहे या बुरे रहे इसका निर्णय करने का तरीका यह है कि कितने मैन डेज हमने खोये हैं। अगर आप इसका १९५३ से मुकाबला करेंगे तो देखेंगे कि १९५३ में १,४६,००० मैन डेज लास्ट हुए और १९६० में १,१४,००० हुए। १९५३ में वर्कमैन अफेक्टेड ६९,००० हुए और १९६० में २१,००० हुए। इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे प्राविंस में काफी तरक्की हुई है। अब आप देखिये मैन डेज लास्ट पर थाउजेंड वर्कमैन १९५३ में ७११ थे और १९६० में ४५० हैं। प्ले आफ की वजह से मैन डेज लास्ट १९५८ में २३,००,००० हुये, १९५९ में १२,००,००० हुये और १९६० में केवल ७,००,००० ही रह गये।

कंन्सीलियेशन बोर्ड का काम भी धीरे-धीरे अच्छा होता चला जा रहा है। पिछले साल ४१७२ केसेज रेफर किये गये थे। इसके पहले साल ३८,४२ केसेज रेफर हुए थे। जो केसेज रिफर किये जाते हैं उनमें से २४ परसेन्ट केसेज तय होजाते हैं। बाकी १६७ परसेंट केसेज ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट में एडजूडिकेशन के लिये रेफर किये जाते हैं। हमारे प्राविंस में पिछले साल ६८३ केसेज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट में रेफर किये गये हैं इसी सिलसिले में दूसरे प्रान्तों के आंकड़े भी देना चाहती हूं। अगर आप इसका मुकाबला करेंगे तो आपको खुशी होगी यह जानकर कि हमारे यहां सब से ज्यादा केसेज रेफर हुए हैं १९६० में जो केसेज एडजूडिकेशन के लिये रेफर किये गये हैं वह इस प्रकार हैं–कि उत्तर प्रदेश में ६८३, सेंट्रल स्फीअर में ११०, आंध्र में ७७, आसाम में ६१। बिहार में ५२, बिहार की और

उत्तर प्रदेश की हालत करीब-करीब एक सी है क्योंकि वहां भी चीनी मिलें हैं। गुजरात में १२०, मध्य प्रदेश में १२, मदरास में ५०, महाराष्ट्र में २४२ केसेज रिफर हुए हैं। इससे मालूम होता है कि हमारे प्रदेश में सब से ज्यादा केसेज रिफर हुए हैं।

१९५७ में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में अमेंडमेन्ट किया गया और हमारे यहां पहली मर्तबा लेबर कोर्ट्स और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स कायम किये गये। १९६० में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में १८३ केसेज फैसल हुए और लेबर कोर्ट्स में ४७३ केसेज फैसल हुए हैं। ट्रिब्यूनल्स के द्वारा एवार्ड तो मिल जाता है लेकिन उसके इम्पलीमेंटेशन में बड़ी मुश्किल पड़ती है। लेकिन सरकार की बराबर यह कोशिश रहती है कि एवार्ड का इम्पलीमेंटेशन कराया जाय। लेकिन इनके इम्पलीमेंटेशन में जो दिक्कतें पड़ती हैं उनमें एक यह है कि मिल मालिकों की यह मनोवृत्ति हो गई है कि वे हर समय हर मामले में रिट ले लेते हैं। इससे केस लीगल फंदे में फंस जाता है। उस वक्त सरकार असमर्थ हो जाती है और जब तक कोर्ट से उसका फैसला न हो जाय कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन सरकार की बराबर यह कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी एवार्ड्स को इम्प्लीमेन्ट कराया जाय।

इन एवार्ड्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिये एक मशीनरी बनाई गई है। एक स्क्रीनिंग कमेटी हर एक आर्गेनाइजेशन में बनाई गई है। इसमें मालिकों की तरफ से और मजदूरों की तरफ से भी आदमी रखे गये हैं। इसमें यह कोशिश की जाती है कि आपस के झगड़े इसी लेविल पर तय कर दिये जायं। फिर अगर झगड़ा तय न हो तो कोर्ट में जायं। इसके अलावा एक इवेलुएशन बोर्ड की स्थापना की गई है जिसमें लेबर और मिल मालिक दोनों के नुमाइन्दे हैं। इसका खास काम है यह देखने का कि एवार्ड्स इम्पलीमेंट हुए हैं या नहीं और अगर नहीं हुए हैं तो कैसे किये जा सकते हैं। इसके लिये यह उचित कदम उठाता है। इसके अलावा उसका काम है कि कोड आफ डिसिप्लिन रखा गया है या नहीं, इसको देखे। इसके अलावा लाक-आउट्स और स्ट्राइक्स को बचाने की कोशिश करे। इस बोर्ड की मीटिंग हुई हैं। यह नया काम हमारे यहां शुरू हुआ है। अगर इस आर्गेनाइजेशन का कार्य अच्छा हो जाय और इसमें जान आ जाय तो बहुत से मिल मालिक और मजदूरों के मसले तय हो जायंगे।

अब मैं दो चार शब्द लेबर वेलफेयर के बारे में भी कहना चाहती हूं। पिछले दिनों में इसका काम काफी अच्छा हुआ है और इसमें काफी तरक्की हुई है। इसके ६७ सेन्टर्स हैं। २० सेंटर्स दूसरी प्लान में और बढ़ाये गये हैं। इसका बजट १८ लाख से ज्यादा है। इन वेलफेयर सेंटरों का उद्देश्य लेबर को मेडिकल, रेक्रियेशनल, सोशल, कल्चरल तथा ऐजूकेशन की सहूलियत देना है। पिछले साल में इसकी काफी प्रगति हुई है। लेबर वेलफेयर के बारे में श्री गोविन्द सहाय की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी थी। उसके सामने सारे मसले रखे गये। उन्होंने पांच-छः दिन हुये अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। उसकी जांच हो रही है। हमने उसको सरसरी निगाह से देखा है। अच्छी रिपोर्ट मालूम होती है। उन्होंने जो सुझाव दिये हैं हम भरसक कोशिश करेंगे कि वह माने जायं। लेबर वेलफेयर में तरक्की लाने के उद्देश्य से एक और कमेटी श्री राजाराम शास्त्री के चेयरमैनशिप में बनाई गई थी कि वह कानपुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स के स्वास्थ्य की जांच करके रिपोर्ट दें। उनकी रिपोर्ट में कुछ देर हो रही है। लेकिन आशा है कि वह जल्द से जल्द अपनी रिपोट दंगे। हमने कई और शहरों को उसमें शामिल कर दिया है, बनारस, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद तथा, आगरा। इन सबके इंडस्ट्रियल वर्कर्स के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में वह जांच करके रिपोर्ट देंगे।

लेबर वेलफेयर में एक बड़ा काम है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिये मकान बनाने का, क्योंकि वह देहात से आकर शहरों में इकट्ठा होते हैं। उनके रहने-सहने के हालात बहुत खराब हैं। वह ज्यादातर स्लम्स में बसते हैं। इसलिये गवर्नमेंट आफ इंडिया की पालिसी है कि वर्कर्स के वास्ते जितने हों सकें मकान बनाये जायं। इस सम्बन्ध में दो स्कीमें हैं। एक है हाउसिंग स्कीम

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

शुगर फैक्टरीज के वर्कर्स के लिये और दूसरी है सब्सिडाइज्ड इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम आफ दि गवर्नमेंट आफ इंडिया । पहली स्कीम के मातहत १, ७३० क्वार्टर्स ६३ शुगर फैक्टरीज में बनाने थे । उसमें १,३०० मकान तैयार हो गये हैं और १०० मकान तैयार होने वाले हैं ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष---समझ को तो कोई दुरुस्त कर नहीं सकता । सुनाई न दे रहा हो तो बात दूसरी है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---बाकी सब्सिडाइज्ड इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के अनुसार २५,६०० मकान ६ फेजेज में तैयार करने थे । चार फेजेज कम्पलीट हो चुके हैं और अभी तक २२,००० मकान तैयार हो चुके हैं । यह यू० पी० में जहां बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहां बने हैं ।

ट्रेड यूनियन्स के बारे में भी मुझे दो-चार शब्द कहने हैं । गवर्नमेंट चाहती है कि ट्रेड यूनियन एक हेल्दी संगठन हो । हमारे जो लेबर लीडर और वर्कर्स हैं, वह सारे लेबर कानूनों से वाकफियत रखें और किस तरह से मिल-मालिकों से बातचीत करें, उसके लिये उन्हें ज्यादा तजुरबा हो जाय, इस के लिये एक रिफरेशर कोर्स, ट्रेड यूनियन वर्कर्स को ट्रेनिंग देने के लिये रखा गया है । यह प्रोग्राम १९५७ से चल रहा है । इसके पांच-छः सेमिनार्स हो चुके हैं । यह प्रोग्राम अब भी जारी है ।

इसके अलावा तरह-तरह की ट्रेड-यूनियन कार्यक्रमों में मदद करने के लिये १५ हजार रुपया पिछले साल रखा गया था । वह ३४ ट्रेड-यूनियन्स को बांटा गया है । ट्रेड-यूनियन्स अपना काम ठीक ढंग से कर नहीं सकतीं जब तक उनके पास साथ मिलने के लिये कोई जगह न हो, कोई ऐसा हाल न हो । इसके लिये ५० हजार रुपया रखा गया था, उन ट्रेड-यूनियन्स और फेडरेशन्स को देने के लिये जो कवाल टाउंस में हाल बनाना चाहें । अभी तक एक ट्रेड यूनियन शुगर मिल वर्कर्स फेडरेशन को लखनऊ में हाल बनाने के लिये रुपया दिया गया है । यह रकम इस साल भी रखी गई है । उसमें आधा पैसा ट्रेड-यूनियन को खर्च करना पड़ता है । जो ट्रेड-यूनियन्स इस शर्त को पूरा करेंगी उनको इसके लिये रुपया दिया जायगा ।

जहां तक हो सकता है लेबर लाज को एनफोर्स किया जा रहा है । जो अलग-अलग कानून हैं, जैसे फैक्टरी ऐक्ट, पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट है, शाप्स ऐंड कामर्शियल इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट, मिनिमम वेजेज ऐक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लायमेंट ऐक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस ऐक्ट, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिये पिछले साल १४४५ प्रासीक्युशन्स एम्प्लायर्स के खिलाफ हुये हैं । राजनारायण जो कहते हैं कि मिल-मालिकों के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट कार्यवाही नहीं करता है । तो यह जो प्रासीक्युशन्स हुये हैं यह बताते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट मिल-मालिकों को नहीं छोड़ता है । अगर वह कसूरवार पाये जाते हैं तो उनको प्रासीक्युट किया जाता है । हो सकता है कि कभी थोड़ा शुरू में हम धीरज दिखायें । लेकिन थोड़ा धीरज दिखाना अच्छी बात है । केस अपना मजबूत करके पीछे हम प्रासीक्यूशन करते हैं ताकि उससे कुछ नतीजा भी निकले ।

यह हमारी सरकार की पालिसी है कि वर्क काउंसिल्स बनें ताकि मजदूर और मालिकों का सम्पर्क अच्छा रहे । जुलाई १९५८ में यह तय किया गया था कि सभी स्टेट अंडरटेकिंग्स में जहां भी १०० से ज्यादा वर्कमैन हों वहां वर्क काउंसिल बनाई जाय । नवम्बर, १९५८ में इन वर्क काउंसिल्स के बनाने का काम शुरू हुआ । अब तक २३ अंडरटेकिंग्स में यह वर्क काउंसिल्स बन गई हैं । यह काउंसिल्स हर महीने मिलती हैं और रेग्युलरली इनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट तथा परमानेन्ट कंसीलियेशन बोर्ड के पास आती रहती है ।

पब्लिक अंडरटेकिंग्ज के लेबर रिलेशंस के बारे में लोगों के दिलों में काफी प्रश्न रहा करते हैं । कोशिश यह की जा रही है कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स में लेबर के कानून जितने हैं उनका अच्छी

तरह से पालन किया जाय और लेबर रिलेशन्स अच्छे रखे जायं । चुर्क सीमेंट फैक्टरी में वर्क कौंसिल बनाई जा चुकी है । लखनऊ प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री में लेबर पार्टिशिपेशन इन मैनेजमेंट का एक नया एक्सपेरिमेंट प्रारम्भ किया गया है । उसका नतीजा क्या होगा, यह अभी हम नहीं बता सकते ।

मिनिमम वेजेज ऐक्ट के मातहत कई उद्योगों में मिनिमम वेजेज तय कर दिये गये हैं जैसे चावल, टी प्लान्टेशन, आयल मिल्स, टैनरीज, ऐग्रीकल्चरल लेबर आदि में । कुछ और उद्योग अभी बाकी हैं जिनके बारे में फैसला अभी नहीं हुआ है । वह विचाराधीन है और आशा की जाती है कि जल्द से जल्द उनका भी फैसला करके उसका भी हुक्म जारी कर दिया जायगा ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)––कुछ गड़बड़ फैसला हुआ है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी––जब आप बोलियेगा तो बताइयेगा। गड़बड़ हुआ है तो वह ठीक कर दिया जायगा और गड़बड़ नहीं हुआ है तो वह समझा देंगे ।

श्री गेंदासिंह––गड़बड़ नहीं हुआ है, यह आप न कहें । गड़बड़ हुआ है ।

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि इस तरह से बातें न हों ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी––वर्किंग जर्नलिस्ट्स के लिये वेज कमेटी की रेकमेंडेशन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने मई, १९५९ में जारी की थीं । उनकी रेकमेंडेशन २६ पत्रिकाओं पर लागू होनी थी । जिसमें से २३ ने उसे इम्प्लीमेंट किया है और बाकी तीन में वह अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है । एक ने आंशिक रूप से उसे इम्प्लीमेंट किया है और दो ने बिलकुल नहीं किया है। कोशिश की जा रही है कि इनमें भी इसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कराया जाय ।

गत वर्ष में अनेक त्रिदलीय सम्मेलन हुए । स्टैंडिंग ट्रिपार्टाइट कमेटी फार टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बैठक अप्रैल, १९६० में कानपुर में हुई । उसके अलावा कानपुर के बाहर फरवरी और नवम्बर में हुई । स्टैंडिंग लेबर ट्रिपार्टाइट कमेटी फार शुगर इंडस्ट्री की बैठक फरवरी, जुलाई, सितम्बर तथा दिसम्बर, १९६० में हुई । इनसे दोनों दलों को एक दूसरे की बात समझने और अपना सम्पर्क अच्छा बनाने में बड़ी मदद मिली ।

एम्प्लाइज स्टेट इन्श्योरेंस स्कीम का काम भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है । उसमें मेडिकल, सिकनेस, मैटरनिटी, डिसएबिलमेंट्स तथा डिपेंडेन्ट्स, इन सब बातों में बेनिफिट्स दिये जाते हैं । मेडिकल बेनिफिट वर्कर्स के परिवारों पर भी लागू कर दिया गया है । यह स्टेट इन्श्योरेंस स्कीम १५ जिलों में लागू है और अब तीन जिलों में और लागू कर दी गई है ।

एक बड़ा अस्पताल भी कानपुर में बनाया जा रहा है जिसमें पहले १०० बेड्स रखने का निश्चय किया गया था लेकिन अब वह ३०० बेड्स का होगा । वह करीब-करीब तैयार है । इसके अलावा एक टी० बी० का अस्पताल भी खोला जा रहा है । वह भी तैयार हो रहा है ।

एम्पलाइज प्राविडेंट फंड्स स्कीम सन्तोषजनक ढंग से चल रही है ।

एम्प्लायमेंट ऐंड ट्रेनिंग डाइरेक्टोरेट का बजट ९७,५७,६०० रुपये का है जिसमें नान-प्लान ५३,३३,५०० रुपये का और प्लान आइटम ४४,२४,१०० रुपये का है । इनका खास काम यह है कि जो नये-नये उद्योग खुल रहे हैं उनमें टेक्निकली ट्रेंड लोगों की जरूरत की पूर्ति करें और दूसर काम यह है कि बेरोजगार जो हैं उनको जगह दें । पिछले साल से जगह देने के लिये इम्पलायमेंट एक्सचेंज में जगहें सुरक्षित की जाती है । लोगों को जगहें दी जाती हैं । इसके अलावा कुछ और भी काम किये जा रहे हैं । कलेक्शन आफ इम्पलायमेंट मार्केट इन्फार्मेशन की स्थापना की गई है । किस-किस ढंग का काम कहां-कहां मिल सकता है इसके बारे में अनुसंधान किया जाता है । वोकेशनल गाइडेन्स ऐन्ड आकुपेशनल रिसर्च का काम भी होता है । उसके सामने क्या-क्या ओपेनिंग हैं और किस ढंग से उसको वह सब काम मिल सकते हैं, यह

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

सब बताया जाता है और इस पर अनुसंधान होता है । आकुपेशनल रिसर्च के बारे में कुछ काम हुआ है । उसको मैं आपके सामने बतलाना चाहती हूं ।

पिछले साल १९६०-६१ में इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के १४ सेन्टर खोले गये हैं । कुल जो हमारे यहां हैं वह ५५ हैं जिनमें १ रीजनल, ९ सब रीजनल, ४१ जिलों पर और ४ सब आफिसेज बनाये गये हैं । इन इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के दफ्तरों में दिनों दिन ज्यादा आदमी नाम रजिस्टर्ड कराने जाते हैं । सन् १९६० में ५,८८,०७२ आदमियों ने अपने नाम को रजिस्टर्ड कराया है । सन् १९५९ में ४,७३,४३५ आदमियों ने अपने नाम रजिस्टर्ड कराये थे । पिछले साल से इस साल प्लेसमेंट की हालत भी सुधरी है । १९६० में ६४,६९० आदमियों को काम दिलाया गया जब कि उसके पहले साल १९५९ में सिर्फ ५३,३०८ आदमियों को काम दिलाया गया था । सन् १९६० के आखिर तक २,२९,१७१ आदमियों ने अपना नाम रजिस्टर्ड कराया था ।

इस सिलसिले में एक बड़ा महत्वपूर्ण कानून बनाया गया है जिसका नाम एम्प्लायमेंट एक्सचेंज कम्पलसरी नोटिफिकेशन आफ वेकेन्सीज ऐक्ट, १९५९ है । इस कानून के द्वारा सारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जहां पर २५ आदमी से ज्यादा काम करते हों वहां यदि किसी स्थान को भरने की जरूरत होगी तो उनको एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के जरिये से अपनी वैकेन्सीज को नोटिफाई कराना पड़ता है । अभी इस बात पर विचार किया जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर के लिये इस कानून को कम्पलसरी किया जाय या नहीं ।

एम्पलायमेंट मार्केट इन्फारमेशन स्कीम के मुताबिक यह काम किया जाता है कि मैन-पावर की ज्यादा से ज्यादा सूचना दी जाय ताकि प्लान्ड इकानामी में ज्यादा सहूलियत दी जा सके । सन् १९६० में पब्लिक सेक्टर में सारे सूबे में जांच कर ली गई है । प्राइवेट सेक्टर में सूबे में १७ जिलों में जांच कर ली गई थी और १९६१-६२ में प्राइवेट सेक्टर में १२ जिलों में और जांच कर ली जायगी, यह आशा हम आयन्दा साल के लिये करते हैं ।

वोकेशनल गाइडेन्स ऐन्ड एम्प्लायमेंट काउन्सिलिंग के काम को भी काफी आगे बढ़ाया गया है । जो हमारे नौजवान लड़के स्कूल छोड़कर निकलते हैं उनके लिये कहां-कहां उनकी मर्जी का काम उनको मिल सकता है और किस तरह से उनके लिये नौकरी मिल सकती है यह उनके लिये बताया जाता है । १९६० में इसके लिये ९ यूनिट्स खोली गई थीं और आशा की जाती है कि तीसरी प्लान में ४ यूनिट्स हम और खोल सकेंगे । १९६१-६२ में दो यूनिट्स हमारे सूबे में खोली जायगी जो देहरादून और वाराणसी में खुलेंगी । इस डिपार्टमेन्ट की तरफ से हैंडबुक भी बनाये जाते हैं और उनके पास भेजे जाते हैं । उसमें यह बताया जाता है कि उनके लिये कहां पर रोजगार चालू है ।

एक और एक्सपेरीमेंट नया किया गया है यूनिवर्सिटी में । यूनिवर्सिटी के लड़कों के गाइडेन्स के लिये एम्प्लायमेंट ब्यूरो खोले गये हैं । अभी तक वह दो जगह अलीगढ़ और वाराणसी में खोले गये हैं और अगले साल तीन और यूनिवर्सिटीज में यह सेन्टर खोले जायेंगे ।

एक बात और काम की की गई है और वह यह है कि रूरल इम्प्लायमेंट इन्फार्मेशन ऐन्ड असिस्टेन्ट ब्यूरो खोला गया है । यह देखा जाता है कि देहातों में लोगों को काम नहीं मिलता है इसलिये वे शहर में आते हैं । शहर में आकर भी उनको काम मिलता नहीं है तो उनको बहुत परेशानी रहती है । इसलिये जो लोग देहात से शहरों की तरफ भागते हैं उनको रोकथाम करने के लिये ताकि उनको देहात में सहूलियत मिले इसलिये रूरल इम्प्लायमेंट इन्फार्मेशन ऐन्ड असिस्टेन्स के दो ब्यूरो १९६० में खोले गये ब्लाक एरियाज में और अब इस साल १७ ब्यूरो और खोले जायेंगे और तीसरे प्लान में ५६ ऐसे सेन्टर और खोलने का इरादा हम रखते हैं ।

दूसरा काम एक और इस डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है जिसको क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के मातहत चालू किया है । सन् १९६० में १५ ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट हमारे पास थे जिनके अन्दर ६ हजार आदमी ट्रेनिंग पा रहे थे दूसरी प्लान में जो हमारा टारगेट था उसमें ५०० आदमी

उसमें ज्यादा हो गया । तीसरे प्लान के अन्दर २९ आई० टी० आई० और बढ़ जायेंगे और १९६१-६२ में हमारे यहां ५२८ सीटें और बढ़ जायंगी । लड़कों की ट्रेनिंग के लिये यहां कानपुर में बहुत अच्छा सेन्टर खोला गया है जहां पर २३ ट्रेड्स के विषय में ट्रेनिंग दी जाती है और वहां पर एक हजार लड़के काम करेंगे। वहां पर काम चालू हो गया है । मशीन वगैरह आ गई हैं । मैं उसको जाकर देख आई हूं । अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है लेकिन बहुत-सा काम शुरू हो गया है । हमारी आइ० टी० आइ० की बिल्डिंग लखनऊ, मेरठ, गोंडा और श्रीनगर (गढ़वाल) में तैयार हो गई हैं और बाकी जगहों में तैयार होने की तैयारी हो रही है । यह जो ट्रेनिंग दी जाती है यह एक नेशनल काउन्सिल आफ ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के मातहत है और उसके काउन्टर पार्ट्स स्टेट्स में हैं । उसका केरीकुलम, स्ट्रेंडर्ड, एफीशियेन्सी, आदि बातें एक सी हों इसलिये यह सब वहीं गाइड होता है । इसके पांच सेंटर्स अगली पंचवर्षीय योजना में हमारे स्टेट में खोले जायेंगे ।

अब मैं बहुत संक्षेप में जो नई बातें तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम करने जा रहे हैं, उनका ब्योरा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी । नये लेबर वेलफेयर सेन्टर्स खोले जायेंगे, नये सेकिंड और थर्ड टी० बी० क्लिनिक्स की स्थापना होगी। वर्कर्स के फायदे के लिये, लेबर कोआपरेटिव क्रेडिट बैंक्स की स्थापना होगी जिससे लेबर को संगठित करके छोटे पैमाने पर इंडस्ट्री चालू करने के लिये उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। लेबर हालीडे होम्स खोले जायेंगे, चलते-फिरते ट्रेनिंग सेन्टर्स औरतों के लिये जो उनको हैंडीक्रैफ्ट्स की शिक्षा दे सकें, लेबर वेलफेयर सेन्टर्स में हाबी सेंन्टर्स खोले जायेंगे। क्रियेशन आफ लेबर वेलफेयर एक्सटेंशन स्कीम और यूथ वेलफेयर स्कीम चलाई जायंगी, बच्चों के लिये रेक्रियेशनल सेंन्टर्स खोले जायेंगे, वर्कर्स के ऐजूकेशनल टूर्स का इंतजाम किया जायगा । ट्रेड-यूनियन कार्यकर्त्ताओं की तरक्की के लिये जैसा मैंने पहले बतलाया, कुछ ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया है । वह काम जारी रहेगा । ट्रेड यूनियन सेमिनार्स होंगे और ट्रेड यूनियन्स को आर्थिक सहायता दी जायगी और वर्कर्स के लिये रेफ्रेशर कोर्स का भी प्रबंध किया जायगा । एक नई बात शुरू की जा रही है । यह समझा जा रहा है कि जो लेबर डिपार्टमेंट के पर्सनेल हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिये क्योंकि लेबर का काम अब बहुत ही टेक्निकल हो गया है । इसलिये इस बार उनको ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध किया जा रहा है । इस के अलावा एक लीगल एडवायजरी सर्विस शुरू की जा रही है । यह मजदूरों को मदद देने के लिये है । क्योंकि देखा जा रहा है कि आजकल मालिकों में यह भावना पैदा हो गई है कि वह हर मामले में कोर्ट में केस दायर कर देते हैं और चूंकि उनके पास सहूलियत हैं, पैसा है, सुविधा है, इसलिये वह केस लड़ सकते हैं और मजदूर लड़ नहीं पाता । इसलिये उनको मदद देने के लिये यह लीगल एडवायजरी सर्विस का इंतजाम हमने किया है ।

अगले साल १९६१-६२ में हम जो काम करने जा रहे हैं उनका ब्योरा इस प्रकार है। हम तीन डिस्ट्रिक्ट एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके में खोल रहे हैं, तीन यूनिवर्सिटी एम्प्लायमेंट ब्यूरो लखनऊ, इलाहाबाद और गोरखपुर में खोले जायेंगे, १७ एम्प्लायमेंट इंफार्मेशन और असिस्टेंट ब्यूरो देहातों में खोले जायेंगे। एक स्पेशल सेल की स्थापना होगी जो हाइली क्वालीफाइड अप्लीकेंट्स के मामलों को देखेंगे । इसके अलावा स्टाफ की ट्रेनिंग का इंतजाम हेडक्वार्टर पर किया जायगा जिनको रेफ्रेशर कोर्स दिया जायगा ।

बाकी यह मैंने बतलाया कि हम क्या-क्या काम करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि इस नये प्रोग्राम के साथ हम उनको भली प्रकार चला सकेंगे और श्रम विभाग का काम अच्छी प्रकार से चल पायेगा ।

एक डिपार्टमेंट का जिक्र मैंने अभी नहीं किया है । उसे लेबर विभाग चलाता है लेकिन इस दफा वह ग्रान्ट ३२ और ३९ में आ रहा है । यह बात वृद्धावस्था पेंशन की है । इसके लिये भी १५ लाख रुपया रखा गया है । पिछले साल तक ७ हजार आदमियों को पेंशन दी गई

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

थीं । यह संक्षेप में वे काम हैं कि जिनको श्रम विभाग करना चाहता है और जिन्हें मैंने आपके सामने रखा ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्न कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

विभागीय नीति तथा योजनायें जनहित में नहीं हैं, यह स्पष्ट करना तथा समुचित नीति बिन्दुओं का उल्लेख करना ।

अध्यक्ष महोदय, यूं हमारा तो हमारे श्रम मंत्री जी ने काम काफी हल्का कर दिया है । उन्होंने स्वयं यह कहा है कि उनका कार्यकाल अभी बहुत थोड़ा है और जो कुछ भी उनके पास करने के लिये है वह सन् ४६ से जो कांग्रेस सरकार की पालिसी है उस के अनुसार जो कुछ लेबर विभाग आजतक करता रहा है उसके सम्बन्ध में ही उन्हें कहना है, चाहे वह फख्र करने की बात हो या बोस्ट करने की या निन्दा करने की हो । यह उन्होंने स्पष्ट कहा है । मैं उनको विधिवत बतलाना चाहता हूं कि पिछले ५ वर्ष में विभाग किस प्रकार कार्य करता रहा है । इसके उदाहरण स्वरूप मैं यह कहूंगा कि अभी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने सन् १९५७ में जो वर्किंग जर्नलिस्ट के लिये एक वेज कमेटी बनाई थी और जिसकी रिपोर्ट सन् १९५९ में पेश हुई थी, उस रिपोर्ट का भी फुल इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ है । फिर कैसे यह सरकार अपने पर गर्व करने का दावा कर सकती है ?

(इस समय १२ बजकर ४९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती पीठासीन हुईं ।)

मैं यह कहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो वर्किंग जर्नलिस्ट्स वेज कमेटी है या वेज बोर्ड है उससे इस बारे में पूरी जानकारी करायें कि पिछले वर्ष कितना वायलेशन हुआ है । माननीय मंत्री जी इस बात की पूरी जानकारी करायें कि जो उनके रूल्स इस सम्बन्ध में बने हुए हैं उनमें कहां तक वायलेशन हुआ है । अगर वे इसकी जांच करायेंगे तो उनकी आंखें खुल जायेंगी और यह देखेंगी कि आज उसमें पूरी तरह रि-ओरियन्टेशन करने की आवश्यकता है, जो पिछले १५ वर्षों में हुआ है ।

अब मैं जो हाल ही में उनकी ओर से बजट के ऊपर पुस्तिका दी गयी है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । अधिष्ठात्री महोदया, हमारे प्रदेश की लगभग ७ करोड़ ४२ लाख की आबादी है और उसमें से काम करने वालों की जो संख्या है वह गांवों में २ करोड़ ५८ लाख ६ हजार है और शहरों में काम करने वालों की संख्या ३३ लाख ६ हजार के करीब है । इस तरह से कुल मिलाकर गांव और शहरों में काम करने वाले की संख्या २ करोड़ ९१ लाख १२ हजार है । इसमें आप देखेंगे कि उनके लिये, जो पहले वोट आन एकाउन्ट हो चुका है, सब मिलाकर १ करोड़ ५७ लाख १० हजार २ सौ रुपये रखे गये हैं । तो एक ओर तो हम उनसे यह उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोडक्शन ५ या १० वर्ष के भीतर दुगना हो जाय, दूसरी ओर उनकी सुख-सुविधाओं के लिये हम केवल १ करोड़ ५७ लाख १० हजार २ सौ रुपये ही बजट में रखते हैं जो प्रति व्यक्ति करीब ५० पैसे से कुछ ही अधिक पड़ते हैं । इस तरह से हम यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन उतना बढ़ जाय और कैसे हम उनको सारी सुख-सुविधायें प्राप्त करा सकते हैं ।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह कि हमारे यहां २ करोड़ ९१ लाख १२ हजार की श्रमिक शक्ति की आबादी है उसमें से कितना प्रतिशत हमारा आर्गेनाइज्ड लेबर है, इसको भी हमें देखना चाहिये । रजिस्टर्ड संस्थाओं से सम्बद्ध जो हमारे श्रमिक होते हैं, उनकी संख्या जिस देश में जितनी अधिक होती है, उस देश का श्रम विभाग उतना ही कुशल माना जाता है, यही हमेशा की परिपाटी रही है । आज भी यही परिपाटी है । इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दूसरे देशों

की तरफ दिलाना चाहता हूं। ब्रिटेन के अन्दर जहां इनकी आबादी साढ़े ४ करोड़ की है, वहां ८५ लाख रजिस्टर्ड संस्थाओं के सदस्य हैं यानी आबादी का १/४ हिस्सा वहां की रजिस्टर्ड आर्गेनाइज्ड लेबर है। चाइना जो पिछड़ा हुआ है उसमें सन् १९५४ में जो संगठित श्रमिक आबादी उनकी थी वह १ करोड़ ५४ लाख की थी और आज दिन तक २ करोड़ की हो चुकी है। इस मुकाबले में जब हम यहां के श्रम विभाग को देखते हैं और जो पुस्तिका दी गयी है इसको देखते हैं तथा उसमें जो आंकड़े दिये गये हैं उसको देखते हैं तो उसमें आर्गेनाइज्ड मजदूर २ लाख ५३ हजार १०० कुछ हैं जब कि इस प्रदेश की आबादी ७ करोड़ ४२ लाख की है।

सभी में यह कहूंगा कि अब तक जो इस सरकार की श्रम पालिसी रही है उससे कोई फायदा नहीं पहुंचा है। आज ७ करोड़ ४२ लाख की संख्या में २ लाख ५३ हजार कुछ मजदूर संगठित हैं और इसको देखकर माननीय मंत्राणी जी कहती हैं कि उन्हें खुशी है। यह देखकर उन्हें संतोष होता है। अब मैं इस सम्बन्ध में कुछ थोड़ा-सा दूसरे आंकड़ों की तरफ भी माननीया श्रम मंत्राणी का ध्यान ले जाना चाहता हूं। सारे देश में बेकारी के आंकड़े ७५ लाख के हैं और हमारे सूबे में बेकारों की संख्या १९ लाख के करीब है। इस प्रकार हमारे बेकारों की आबादी सारे देश के बेकारों की आबादी की एक चौथाई है। उनको काम दिलाने के लिये जो व्यवस्था हमें दिखाई पड़ रही है वह कमेंडेबिल कभी नहीं कही जा सकती। इस सम्बन्ध में कोई उचित योजना नहीं रखी गयी है। इस मोटी पुस्तिका में कोई उचित व्यवस्था नहीं रखी गयी है। १९५० में ८ लाख बेकारों की संख्या थी, अगर अब वह ६ लाख या ४ लाख होती तो हम समझते कि बेकारी में कमी हुई लेकिन १९ लाख जिस प्रदेश में बेकार हों, वह श्रम व्यवस्था कमेंडेबिल नहीं समझी जा सकती।

जहां तक वेलफेयर ऐक्टिविटीज का सवाल है, इस पुस्तिका में लिखा है कि ६५ वेलफेयर सेंटर्स संगठित हैं और ६३ वर्क कर रहे हैं। मंत्राणी जी ने बताया है कि ६७ उनकी संख्या है। क्योंकि पुस्तक में पिछले साल के आंकड़े हैं तो वह कम हो सकते हैं और उनके बताये सही हो सकते हैं लेकिन जहां २,५३,००० मजदूर हैं और उनमें ६३ या ६७ ही सही, उतने ही मान लिये जायं तो इनसे उतने मजदूर क्या फायदा उठा सकते हैं, इसका जरा अनुमान लगाया जाय। यह भी मालूम किया जाय कि कितने ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर आम मजदूरों की पहुंच है। मैं मानता हूं कि जहां कहीं खोले गये हैं वहां थोड़े से सफेद-पोश बाबू भले ही फायदा उठा लेते हों या दावतें देने के लिये मिल-मालिक उन कमरों को इस्तेमाल कर लेते हों, लेकिन और कहीं मजदूर करता हो, इसमें हमें संदेह है और मंत्री जी इसपर गौर करें और इंक्वायरी करायें।

आज स्टेट इंश्योरेंस की मजदूरों की जो योजना है, उसके सम्बन्ध में कुछ जगहों में लागू होने की बात है, लेकिन वह इतनी पर्याप्त नहीं मालूम होती है। जब १५–१६ वर्ष तक एक सरकार काम कर चुकी हो, वेलफेयर स्टेट होने का दावा करती हो, समाजवादी समाज की रचना करने का दावा करती हो तो जो समाज का प्रमुख अंग है मजदूर, उसके इतने कम संगठन के ऊपर इस स्कीम को लागू करना मुनासिब नहीं है।

इसी प्रकार अस्पतालों और जिन चीजों की व्यवस्था करने की बात कही गयी है, मैं उनके सम्बन्ध में इतना कहना चाहूंगा कि वह केवल घड़े में बूंद के समान हैं, उनसे पर्याप्त लाभ नहीं पहुंच सकता। अगर अगले वर्ष हो सके तो प्लानिंग डिपार्टमेंट से कह करके मजदूर वर्ग जो सबसे उपेक्षित रहा है उसके लिये ऐलोकेशन्स में बढ़ोत्तरी कराने की व्यवस्था करायी जाय। हमारा इतना बड़ा राज्य है। इसमें काम करने वाले लाखों मजदूर हैं, पी० डब्ल्यू० डी० के हों, रोडवेज के हों या हाइडिल के हो, या केसा में काम करने वाले हों, वह इस तरह के हैं जिनको कुछ चन्द लोगों की मरजी पर छोड़ दिया गया है और उन्हीं की मरजी के मुताबिक काम करना पड़ता है, लेकिन मजदूरों को अपनी ग्रीवांसेज को रिड्रेस कराने का मौका नहीं मिलता। यह जो सबसे बड़ी हमारी एस्टेट है, इसका कर्तव्य है कि उनको भी सुख-सुविधायें पहुंचायें, उनके लिये ऐडजुडिकेशन,

[श्री मदन पांडेय]

कंसीलियेशन का प्रबन्ध करें, उनके लिये स्वस्थ लेबर लाज हों और प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं उनको प्राप्त होनी चाहिये। मंत्री जी को...

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य चेयर को संबोधित करके अपने भाव व्यक्त करें।

श्री मदन पांडेय--अधिष्ठात्री महोदया, मैं दोनों को संबोधित कर रहा हूं। क्या श्रम मंत्री को नहीं ज्ञात है कि कितने चपरासी ऐसे हैं जिनको अपने अफसरों के लड़के खिलाने पड़ते हैं और ऐसा न करने पर उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है और उनको ग्रीवांसेज रिड्रेस कराने के लिये.....

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जरा धीरे बोलिये, समझ में नहीं आ रहा है।

श्री मदन पांडेय--स्टेट कर्मचारियों में हर विभाग के लोगों की मांग रही है कि उनके वेतन-ग्रेड और अन्य बातों के लिये पे कमेटी बैठाई जाय लेकिन उनकी हमेशा उपेक्षा होती रही है। मैं मंत्राणी जी से निवेदन करूंगा कि वह सरकार के ऊपर इसके लिये दबाव डालें।

हमारे सूबे की बड़ी इंडस्ट्रीज की मंत्राणीजी ने विशेष चर्चा की है। हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री शुगर की है, उसके बाद कपड़ा है। कुछ मिलें सीमेंट, जूट इत्यादि की भी हैं। चीनी की हमारे सूबे में करीब ७१ मिलें हैं। उनमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या ६९,००० है। यू० पी० के मजदूर की हालत कितनी खराब रही है, अगर सन् ३८ से सरकार ने जो कमेटियां बैठाई हैं उनकी रिपोर्टों को देखा जाय तो मालूम हो जायगा। सन् ३८ में खेतान कमेटी बैठी, जिसमें श्री शिब्बन लाल जी द्वारा दी हुई रिपोर्ट है। फिर बिहार में राजेन्द्र बाबू की अध्यक्षता में बैठी तथा सन् ४६ में निम्बकर कमेटी की और फिर बिन्दवासनी कमेटी की रिपोर्ट है। इनको देखने से लगता है कि जबसे कांग्रेस सरकार ने मजदूरों का मामला अपने हाथ में लिया है तब से अपने ही द्वारा बैठाई कमेटियों की रिपोर्टों की उपेक्षा यह सरकार करती रही है। निम्बकर महोदय मजदूरों के मसलों में कितनी अधिक जानकारी रखते थे और कितने बड़े मजदूर नेता थे, यह सभी को मालूम है। उन्होंने शुगर इंडस्ट्री के लिये और किसी भी इंडस्ट्री के लिये एक फारमूला दिया था जिससे हमेशा के लिये वेजेज के झगड़े खत्म हो जाते। उन्होंने एक बेसिक वेज प्री-वार प्राइस लेविल पर १०० मंहगाई के आंकड़े मानकर तय किया ३० रु०। उसके बाद चीनी उद्योग में २॥ आने फी आंकड़े के हिसाब से मंहगाई के आंकड़ों के ऊपर घटा-बढ़ी होती रहती है, यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई। केवल कानपुर की कपड़ा मिलों में उसकी सिफारिश का कुछ भाग लागू किया गया। कानपुर के बाहर भी हाथरस, आगरा, बनारस, सहारनपुर, मोदीनगर और रामपुर में टैक्सटाइल्स की मिलें हैं। लेकिन जिनमें ८० दिन की हड़ताल करने की शक्ति नहीं थी उनके लिये नहीं लागू किया गया। टैक्सटाइल वेज बोर्ड की सिफारिशों के बाद ६ और ८ रुपये की बढ़ोत्तरी दी गई है। मोदीनगर में ८ रुपये और बाकी जगहों पर ६ रुपये दिये हैं। कानपुर में इस समय कपड़ा मजदूर को करीब १०० रु० मिलेंगे जबकि सहारनपुर की कपड़े की मिल के मजदूर को केवल ६१ रुपये मिलेंगे। यह है श्रम विभाग का कमेंडेबिल वर्क। मेरी श्रम मंत्राणी जी से अपील है कि १५ वर्ष के अन्दर मजदूरों के साथ जो अन्याय किया गया है उसका सुधार कीजिये। निम्बकर कमेटी की रिपोर्ट अगर लागू की गई होती तो लगभग ७५ रुपये मजदूर को उसी समय मिलते, चूंकि मंहगाई के आंकड़े सन् ४८ में करीब ४०० के थे।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी निवेदन करना है कि सरकार ने यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन करो, जिसे सन् ५० की गणना में ७१ फीसदी वोट मिले थे, न बुलाकर आई० एन० टी० यू० सी० के प्रतिनिधि को त्रिदलीय सम्मेलन में बुलाया जिसे केवल २९ परसेंट वोट मिले थे। सन् ४८ से निम्बकर कमेटी की रिपोर्ट के लिये कहा गया कि लागू करेंगे लेकिन उसे न लागू करने का नतीजा यह हुआ है कि मजदूरों का नुकसान हुआ है। उसकी तनख्वाह

इस समय महज ५५ रुपये रह गई है, आज जबकि ३ रुपये इंटेरिम रिलीफ के मिलाकर और १८ रुपये और मिला कर कुल ७६ रुपया दिया जा रहा है जबकि उसे ९२ या ९३ रुपये माहवार मिलते होते। इस सबकी जिम्मेदार मौजूदा सरकार की श्रम नीति है। चीनी मजदूरों में फूट डालने के लिये २ जनवरी सन् १९४७ को एक दूसरा फेडरेशन आई० एन० टी० यू० सी० का बनाया गया। यह हमेशा मजदूरों के हित के विरुद्ध काम करता है, चाहे बोनस का या रिटेनर का या कैसा भी मामला हो। सन् ५० में लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मजदूरों और मालिकों के मामले में तय किया कि जहां १ लाख और २ लाख टन के बीच में चीनी पैदा हो वहां, बैलेंस-शीट आदि के पचड़े में न पड़कर, २॥ आने मन के हिसाब से चीनी की पैदावार के ऊपर दाम जोड़ कर उनको बोनस दिया जाय। इसी तरह २ लाख से ४ लाख और ४ लाख व ५ लाख के बीच वाले को ६ आना तथा उससे ऊपर ८ आने मन दिलाने का फैसला किया था। लेकिन बीच में आई० एन० टी० यू० सी० कूदी और सन् ५० में सारे सूबे की मिलों में मतगणना हुई जिसमें ७० मिलों में ये आंकड़े आये थे। अगर कोई इनको चैलेंज करते हैं तो मैं साबित करने के लिए तैयार हूं। मजदूरों की संख्या ८२,९९९ थी और ६८,१४२ ने वोट डाला। २०,४४९ वोट हरिहरनाथ शास्त्री जी के फेडरेशन को मिले और ४७, ६९१ वोट यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन को मिले। यानी ७१ परसेंट यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन को मिले और २९ फीसदी सरकार के चहते फेडरेशन को मिले। तो सरकार की पालिसी को बदलने की आवश्यकता है। आई० एन० टी० यू० सी० के लोगों का, जिसे मजदूरों ने रिजेक्ट कर दिया था, हर साल मालिकों से समझौता हो जाता है। सरकार को भी इसमें रस आता है, चाहे कांग्रेस के चुनाव फंड में पैसा जाता हो या और कहीं जाता हो। लेकिन हर साल एक समझौता होता है, जिसमें सरकार द्वारा रिकगनाइज्ड तथा उचित मजदूर प्रतिनिधि तय करता है, कि सौ रुपये में से साठ रुपये मजदूरों को दिलाये जायं और बाकी पैसे वह हड़प जायं। इसकी जांच करने की आवश्यकता है। इसलिये मैं श्रम मंत्राणी जी से कहना चाहता हूं कि पिछले १५ वर्षों से इस सरकार ने जो नीति ग्रहण कर रखी है उसको छोड़ना पड़ेगा। यह मेरी मांग है। जब ऐसा होगा तब सही मानों में इंडस्ट्रियल पीस हो सकेगी और लेबर पालिसी का एग्जोक्यूशन सफलता-पूर्वक हो सकेगा।

इसी तरह से बोनस और रिटेनर का मामला है जोकि सारा का सारा खटाई में पड़ गया। रिटेनर के सम्बन्ध में एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, बिहार के मजदूरों की तरफ से। यहां पर भी वार्ता चलने लगी और एक मामला यहां भी मजदूरों ने दायर किया कि रिटेनर मिलना चाहिये। आई० एन० टी० यू० सी० ने एक समझौता दाखिल कर दिया कि हम मामला उठा लेते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट से बिहार वाला मामला तय हो जायगा तब हम भी ले लेंगे। बिहार वालों को तो थोड़ा बहुत रिटेनर मिलता ही था। तो आई० एन० टी० यू० सी० के यह कृत्य हैं, जिनका बहुत जिक्र श्रम मंत्राणी जी ने किया, उनको निगाह में यह आना चाहिये।

श्रम मंत्राणी जी ने केसेज रेफरेन्स करने की बात कही और यह कहा कि और स्टेट्स से ज्यादा रेफरेन्स किये जाते हैं। उन्होंने उसके आंकड़े भी पेश किये। उन्हें मैं चैलेंज नहीं करना चाहता। नम्बर आफ केसेज जो उन्होंने बतलाये वह सही हो सकते हैं लेकिन नेचर आफ केसेज में डिफरेन्स है। दो तरह के केसेज हुए। एक सहजनवा जूट मिल है वहां एक हजार मजदूर ओवरनाइट तालाबन्दी डिक्लेयर करके जबरदस्ती मिल-मालिक द्वारा निकाल दिये गये और दूसरे मजदूरों की भरती की गई। केस सी० बी० में गया, वहां समझौता नहीं हुआ। फिर वह ऊपर गया और वहां इन-एक्सपीडिएन्ट घोषित हो गया और उसका रेफरेन्स नहीं किया गया। एक हजार मजदूरों के साथ यह किया गया। तो १५ वर्षों में सरकार ने क्या किया, यह मेरी समझ में नहीं आता।

इसी प्रकार से एक साधारण कोड आफ डिसिप्लिन है। एक परिपाटी सी बन गई है कि जो यूनियन केपदाधिकारी हों उनका विक्टिमाइजेशन न हो लेकिन मैं श्रम मंत्राणी जी को गिनाऊं

[श्री मदन पांडेय]

और वह नोट करें कि देवरिया में रामकोला पंजाबी मिल है। वहां की यूनियन मुसल्लम हमारे फेडरेशन के साथ सम्बद्ध हुई। श्री कल्पनाथ सिंह, जेनरल सेक्रेटरी को निकाल बाहर कर दिया गया। रेफरेन्स के लिये हमने बहुत कोशिश की, लेबर कमिश्नर से भी मिले लेकिन रेफरेन्स नहीं हुआ। डायमन्ड शुगर मिल के श्री राजनाथ सिंह भी निकाले जा रहे हैं। बिडला जी की हरगांव फैक्ट्री के श्री बी० डी० शुक्ला का विचित्र केस था। वह ४८ में निकाले गये। सेशन कोर्ट में उन्होंने दावा दायर किया। जज ने उनके मुआफिक फैसला कर दिया। अब सेशन कोर्ट के फैसले को टालने की शक्ति नहीं थी इसलिये १२ रोज के लिये रख लिया गया और फिर उन्हीं ग्राउन्ड्स पर जिनपर कि पहले बिकाला गया था, फिर निकाल दिया गया। हाईकोर्ट तक केस गया, हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि मिल-मालिक के इन्टेन्शन्स मैलाफाइड साबित होते हैं। यह मामला श्रम मंत्राणी जी के सामने है। अगर इन बातों पर सरकार विचार करे तो मैं समझता हूं लेबर डिपार्टमेंट मजदूरों की ओर से धन्यवाद का पात्र बन सकता है। इस प्रकार के मैं दर्जनों केसेज साइट कर सकता हूं।

इसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन का सवाल है। तीन वर्ष हो गये लेकिन अमरोहा की यूनियन में कोई न कोई ऐब निकाल कर रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से मवाना शुगर फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। तमाम फैक्टरीज का रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिया जा रहा है, रेफरेन्स नहीं होने दिये जा रहे हैं। रामपुर का किस्सा बेनजीर है। रामपुर में ३५ दिन तक शानदार हड़ताल रही। बहुगुणाजी उस समय उपमंत्री थे। अधिष्ठात्री महोदया, अगर आप रोकें तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो उस समय उन्होंने कहा था कि मैं जिस वक्त यहां बैठता हूं, आई० एन० टी० यू० सी० का हूं और वह कांग्रेस की है और उसकी मदद करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। यह फ्लोर की बात नहीं है, उनके कमरे की बात है। मौजूदा मंत्राणी जी का भी यदि यही खयाल है तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन अगर वह न्याय करना चाहती हैं तो इस ओर ध्यान दें। अभी मार्च सन् ५९ का केस है, उस हड़ताल में ४८ आदमी निकाले गये थे। उनमें से १२ आदमी अभीतक इसलिये घूम रहे हैं कि उनके जो गुनाह हैं वह माफ करने लायक नहीं समझे गये। बाकी को यह आश्वासन दिया गया कि आई० एन० टी० यू० सी० यूनियन के मेम्बर बन जायेंगे तब जगह देंगे।

जब हम लेबर यूनियन की मीटिंग करते हैं तो आई० एन० टी० यू० सी० के लोग बोस्ट करते हैं और कहते हैं कि दूसरों को हमने निकलवा दिया और तब रखा गया जब आई० एन० टी० यू० सी० को ज्वाइन किया।

इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि वर्किंग जर्नलिस्ट का जो मामला है.....

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—माननीया, जो श्रम मंत्राणी जी ने अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मैं उनको, जो उन्होंने अच्छे काम किये हैं उनके लिये धन्यवाद भी देता हूं। नमूने के तौर पर राष्ट्रीय छुट्टी विधेयक उन्होंने लाने का ऐलान किया है जिसमें तीन राष्ट्रीय छुट्टियां मानी गई हैं। यह सवाल एक लम्बे अर्से से चला आ रहा था और हर वर्ष इस प्रदेश की सरकार यहां के मालिकों से अपील करती थी कि राष्ट्रीय छुट्टियों पर मजदूरों को सवेतन छुट्टी दें, पर यहां के मिल-मालिक उस अपील को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया करते थे। मुझे प्रसन्नता है, चाहे वह कितनी ही कम क्यों न हो लेकिन तीन राष्ट्रीय छुट्टियों के लिये विधेयक प्रस्तुत किया है। इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं हालांकि मैं जानता हूं कि मालिक इसके खिलाफ तरह-तरह के आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। एम्प्लायर्स एसोसियेशन आफ नार्दर्न इंडिया ने, जैसे ही मालूम हुआ कि यह विधेयक आ रहा है, उस पर टीका की और कहा कि उत्तर प्रदेश में काम के दिन बहुत कम हैं। इससे

१७ लाख रुपया दूसरे प्रदेश के मुकाबले में मुझे ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा संडे वर्किंग की बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ और भी कई तर्क दिये हैं। यह सरकार कानून पास करके उसे लागू करा दे तब मुझे पूरी तरह इतमीनान होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के मिल-मालिकों के बारे में मुझे कोई इतमीनान नहीं है कि वह क्या करेंगे।

इसके अलावा एक बात जो और विशेष हुई वह यह हुई कि कानपुर में, जैसा कि अभी मदन पांडेय जी ने स्वदेशी काटन मिल के बारे में ९ घंटे का जिक्र किया है। इस सवाल को एक साल पहले मैंने सदन में उठाया था परन्तु जवाब यह दिया गया कि वहां ९ घंटे काम नहीं लिया जाता है। मुझे खुशी है कि नई श्रम मंत्राणी जी ने हाउस में यह माना कि वहां ४ घंटे ज्यादा काम लेते हैं और उसमें ९ घंटे रोज भी पड़ता है। ऐसी हालत में अच्छा हुआ कि वर्तमान श्रम मंत्राणी महोदया ने मजदूरों को और मालिकों को इस मामले में फैसला करने का मौका दिया और बड़ी खुशी की बात है कि अभी भी तीन हफ्ते गुजर गये हैं और वहां फ्री स्टाइल जारी है। हड़ताल बराबर हर हफ्ते होती है। अच्छा है एक बार मिलमालिक और मजदूर निपट लें, लेकिन पता नहीं कि सरकार की इस बारे में क्या नीति है। अगर वह समझती है कि अन्य मिलों में ९ घंटे काम नहीं लिया जाता है तो क्यों नहीं इन मिलमालिकों से कह देती कि तुम ९ घंटे काम लेना बन्द करो। चाहिये यह कि जो मिलमालिक ऐसा काम करते हों, जिनका दूसरों पर खराब असर पड़ता हो तो उसको रोकना सरकार का काम है क्योंकि इसी को देखते हुये एलगिन मिल नंबर २ जो कानपुर काटन मिल है वह भी वैसे ही तरीके अपना रही है। उसने तो सब के कान काट लिये हैं। मुझे पता नहीं कि उत्तर प्रदेश श्रम मंत्रालय इस बारे में क्या कार्यवाही कर रहा है। मुझे पूरी सूचना है कि जब रैशनलाइजेशन हुआ तो और मिलों ने २ रिंग फ्रेम चलवाये लेकिन उसने जबरिया ४ रिंग फ्रेम चलवाने शुरू कर दिये। और मजा यह है कि वह यह सब तब कर रहा है जब सरकार ने उसको सहूलियतें दे रखी हैं। सरकार ने उस मिल में फैक्टरी ऐक्ट तक लागू नहीं किया है। क्योंकि उसको शायद कुछ आर्थिक कठिनाई थी, सरकार ने सोचा शायद उससे पूरा हो जाय। पर मुझे ताज्जुब है कि उस मिल में इस तरह से मजदूरों पर जुल्म हो और सरकार उसको रियायत देती जाय, यह बात समझ में नहीं आती।

इसके अलावा मैं दो एक मिलों का और जिक्र करना चाहता हूं जिन्होंने वेज बोर्ड की रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया है। लाल इमली वूलेन मिल है। राजेन्द्र बाबू इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट, निम्बकर एन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट और सारे श्रम कानून, मिनिमम वेजेज इत्यादि सूती मिलों के सभी कानून सब वूलेन मिल्स में लागू हैं लेकिन लाल इमली में वेज बोर्ड की रिकमेंडेशंस लागू नहीं हैं।

इसके अलावा कानपुर की अथर्टन वेस्ट मिल है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें भी वेज बोर्ड की रिकमेंडेशंस को लागू नहीं किया गया है। पता नहीं क्यों नहीं किया गया। शायद इसलिये कि उस मिल में घाटा हो। लेकिन जहांतक मेरी जानकारी है उस मिल में मुनाफा है और वही काम, उसी तरीके के मजदूर, नेचर आफ वर्क वही, सब बातें वही लेकिन मालूम नहीं कि वहां क्यों नहीं अब तक वेज बोर्ड की रिकमेन्डेशंस लागू की गई हैं।

इसी तरह से होजरी सेक्शन जो टेक्सटाइल का अंग माना जाता है, उसमें, टेक्सटाइल मिल, कानपुर में वेज बोर्ड की रिकमेंडशन को क्यों नहीं लागू किया गया है? इसी तरह से मंत्राणी जी ने अभी कहा था कि थ्री फोर्थ आफ दि डियरनेस एलाउन्स वेजेज में मर्ज कर दिया जाय, ऐसी योजना सरकार ने प्रस्तुत की है। मेरा खयाल है कि एक मिल को छोड़ कर किसी ने कानपुर में यह सिफारिश लागू नहीं की है। मुझे दुःख है कि जो हालात कानपुर में चल रहे हैं वह अच्छे नहीं हैं।

माननीय मदन पांडेय जी ने शिकायत की है कि आई० एन० टी० यू० सी० को प्रिफरेंस दिया जाता है। मैं एक नजीर कोट करना चाहता हूं। कानपुर में एक जूट मजदूर कांग्रेस नामक

[श्री उमाशंकर शुक्ल]

संस्था है । यद्यपि किसी आल इंडिया आर्गेनाइजेशन से उसका सम्बन्ध नहीं है । वह सबसे अधिक रिप्रेजेन्टिव आर्गनाइजेशन है, वहां उसको जूट वेज बोर्ड की मीटिंग में नहीं बुलाया गया लेकिन एक दूसरी यूनियन है प्रजा सोशलिस्ट की जो बिलकुल रिप्रेजेन्टेटिव नहीं है उसको बुलाया गया । जब मैंने लेबर डिपार्टमेन्ट से जानकारी करनी चाही तो उन्होंने बताया कि सरकार ने अब यह नीति अपना ली है कि जो आल इंडिया आर्गनाइजेशन्स अफीलियेटेड हों उनको बुलाया जाय । मुझे ताज्जुब हुआ उस वक्त जबकि सूती मिल के विवाद के सम्बन्ध में सूती मिल मजदूर सभा को बुलाया गया । मैं केवल यह बतलाना चाहता हूं कि पता नहीं सरकार क्या नीति अपनाना चाहती है । सूती मिल मजदूर सभा जिसका संबंध किसी भी आल इंडिया आर्गेनाईजेशन से नहीं है, उसको बुलाया गया और जूट मजदूर कांग्रेस को नहीं बुलाया गया । मैं नहीं समझ पाया कि सरकार की यह दोहरी पालिसी क्यों है ।

अब मैं कुछ बातें श्रम कानूनों के सिलसिले में कहना चाहता हूं । १९ श्रम कानून इस प्रदेश में लागू हैं । लेकिन अभी उसमें बहुत-सी कठिनाइयां हैं । उनके बारे में इस हाउस में सवाल उठे लेकिन फिर भी बाबा आदम के जमाने का ट्रेड यूनियन ऐक्ट लागू है । उसमें बहुत सुधारों की आवश्यकता है । इसी प्रकार से पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट है, मेडिकल फिटनेस का सवाल है । डाक्टरों के पास मजदूरों को भेज दिया जाता है । वह उसको अनफिट कर देता है और उसको निकाल दिया जाता है बिना किसी मुआविजे के । इस प्रकार की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको मंत्री जी को कानूनों में लाने की आवश्यकता है । सरकार एक इंडस्ट्रियल रिलेशन्स बिल लाना चाहती थी लेकिन मैं नहीं जानता कि उसके बारे में सरकार का क्या विचार है । सरकार को इन कठिनाइयों को दूर करने की जरूरत है ।

इसी तरह मुस्तकली का भी एक सवाल है । कानपुर टेक्सटाइल मिल में मशीनें खाली पड़ी हुई हैं लेकिन मालिक लोग मजदूरों को मुस्तकिल नहीं कर रहे हैं । बहाना यह लिया जाता है कि रेशनेलाइजेशन होगा और उसमें कुछ रिट्रेन्चमेंट होगा, इसलिये मुस्तकली नहीं की जाती है । रेशनलाइजेशन का सवाल तो मुद्दत से विचाराधीन है लेकिन उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और हजारों मजदूरों को इसके बहाने से टेम्पोरेरी बना कर रखा जा रहा है । टेम्पोरेरी या सब्टीट्यूट्स के लिये अभीतक कोई कानून नहीं बनाया गया । उसका नतीजा यह है कि १०-१० साल परमनेन्ट सब्टीट्यूट्स हैं, उनको काम नहीं दिया जाता है और टेम्परेरी लोगों को काम पर लगाया जाता है । इस तरह से कानपुर में हजारों मजदूरों का सवाल उलझा है । डेढ़ साल से हजारों मजदूर मारे-मारे फिर रहे हैं । इसके बारे में लेबर डिपार्टमेंट को यह करना चाहिये कि कानपुर में जितनी मशीनें खाली पड़ी हुई हैं उन पर मुस्तकिल करने का आदेश सरकार दे और मालिक लोग जो मुस्तकिल आदमियों को हटाकर टेम्पोरेरी लोगों को रखते हैं उनके लिये एक कानून बना दिया जाय कि जो मुस्तकिल एवजीदार लौटाया जायगा उसको आधा पैसा देना पड़ेगा, तब मालिकों की अक्ल ठीक हो जायगी । आज चूंकि उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है इसीलिये मजदूरों को बराबर लौटा रहे हैं।

इसी तरह की कुछ अन्य बातों की तरफ भी मैं श्रम मंत्राणी जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । एक सवाल प्रोटेक्टेड लेबर का भी है । उसके बारे में कानून में सुधार किये जाने की जरूरत है ।

इसके साथ ही साथ यह सवाल भी है कि ट्रेड यूनियन ऐक्ट के मुताबिक मजदूरों को यह साबित करना पड़ता है कि वे ही यूनियन माने जायंगे जो फलां-फलां कानून की खानापुरी कर देंगे । लेकिन जबकि एक तरफ मजदूरों के यूनियन्स पर ऐसी पाबंदी है वहां मिल-मालिकों के संगठनों पर कोई पाबंदी नहीं लगायी गयी है । मैं चाहता हूं सरकार इस ओर ध्यान दे और

मालिकों पर भी यह बन्धन लगाये कि तुम्हारा संगठन तब माना जायगा जब फलां-फलां कानून की फारमेलिटी को पूरा करो ।

(लालबत्ती जलने पर)

माननीया, मुझे ५ मिनट का समय और दिया जाय, मैं बहुत जल्दी अपना भाषण समाप्त करूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—१४ मिनट आपके हो चुके हैं । खैर, आप बोलिये ।

श्री उमाशंकर शुकल—अब मैं मंत्रीजी का ध्यान सरकारी कारखानों की तरफ दिलाना चाहता हूं । मंत्रीजी ने बताया कि एक कारखाने में लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट किया है, प्रेसजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री में । बहुत खुशी की बात है, पर एक बात की ओर मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किसी भी सरकारी कारखाने में इंडस्ट्रियल डिसप्यूट ऐक्ट लागू नहीं है, न कोई दूसरी तरह की नेगोशियेटिंग ((Negotiating) मशीनरी है जिससे मजदूर अपने विवादों को हल कर सकें । मैं कह[illegible]स्ट्रियल डिसप्यूट ऐक्ट सरकार ने ही बनाया है मजदूरों के विवाद को तय करने के लिये । तो क्यों नहीं सरकार उसको अपने कारखानों में लागू करती है ? आपका ही बनाया हुआ कानून है । आप अपने कारखानों में लागू करने से डरते क्यों हैं ? सरकार या तो इंडस्ट्रियल डिसप्यूट ऐक्ट सरकारी कारखानों में लागू करे और अगर न लागू करे तो कम से कम कोई ऐसी निगोशियेटिंग मशीनरी बनावे जिसके जरिये मजदूर अपने मामलों को हल कर सकें ।

वर्क्स काउन्सिल का जिक्र आया । ३७ सरकार के ऐसे उद्योग हैं जिनमें २३ में वर्क्स काउन्सिल बनायी है और १४ में अभी नहीं बनायी है । यह तय हुए डेढ़ साल होने को आया है पर सरकार अभी तक फैसला नहीं कर पायी कि अपने कारखानों में पूरी तरह से वर्क्स काउन्सिल बना दे जिसके जरिये मजदूर अपनी बात उठा सकें ।

वर्क्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का उपदेश जब सरकार दूसरों को देती है तो अपने यहां क्यों नहीं करती है ? सिर्फ एक प्रीसीजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री में इसको एक्सपेरीमेंट के तौर पर लागू किया है । मैं चाहता हूं सरकार अगर समाजवादी समाज में आस्था रखती है, उसकी स्थापना करना चाहती है तो कम से कम वह खुद आदर्श मालिक का उदाहरण पेश करे और मजदूरों को मौका दे जिससे वह दिखा सकें कि वे उद्योग को चला सकते हैं, वे कम्पीटेंट हैं । इस बात का मौका सरकार को देना चाहिये ।

सरकार ने एक बात का और जिक्र किया कि कुछ कारखाने तृतीय योजना में कोआपरेटिव बेसिस पर चलाये जायेंगे । बड़ी खुशी की बात है । पर मैं चाहता हूं सरकार को चाहिये यह कि अगर वह देश में ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जिसमें मजदूर यहां के कारोबार और हुकूमत में हिस्सा ले सकें और सही माने में समाजवादी समाज की स्थापना हो, तो उसको सारे अपने कारखानों को कोआपरेटिव बेसिस पर चलाने के लिये मजदूरों को देना चाहिये ।

इसके अलावा जब वित्त मंत्री जी ने भाषण दिया तो कुछ जिक्र किया था कि पर्सनल एडवाइजर सर्विस स्थापित करने का खयाल है और वालन्टरी आर्बिट्रेशन देने का खयाल है । इसको मैं नहीं समझ पाया, चूंकि इसको डिफाइन नहीं किया गया है, अतः मैं आशा करता हूं माननीय श्रम मंत्राणी जी इसकी कुछ व्याख्या करेंगी ।

इस श्रम अनुदान के दो अंग हैं । एक तो है मजदूरों को सुख सुविधा देना, जो उद्योग धंधों में लगे हुए हैं, उनके विवादों को निपटाना, उनको राहत पहुंचाना ।

दूसरे जो बेकार हैं उनके एम्पलायमेंट की बात । इसे जब मैं देखता हूं तो मुझे अजब लगता है । जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ हुआ तब उत्तर प्रदेश में ९ लाख के

[श्री उमाशंकर शुक्ल]

लगभग बेकार थे पर जब उसका अन्त हुआ १९६० में तब मालूम हुआ कि काम दिलाने के बाद भी १९ लाख के लगभग अब भी बेकार हैं। फैमिली प्लानिंग होती है, सब कुछ होता है। प्लानिंग के मतलब अगर हम समझे हैं तो यही कि हिन्दुस्तान के बाशिन्दगान को काम मिले, कोई बेकार न रहे, उनकी आमदनी में तरक्की हो। लेकिन देखते हम यह हैं कि आमदनी में कोई खास तरक्की नहीं हुई है। मजदूरों पर काम ज्यादा बढ़ गया। वे पहले जो सहूलियतें पाते थे, बोनस पाते थे वे उनसे छीन ली गयीं। अब दो फ्रेम चार लूम चलते हैं लेकिन मालिक कहता है कि आज उसे घाटा है। ऐसी सूरत में मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आया किस मामले में मजदूर राहत पाये। बेकार मजदूरों के लिये एक भी प्राविजन इस बजट में नहीं किया गया। मुझे आश्चर्य है कि जितना काम दिलाने का अनुमान लगाया गया था वह सब पूरा नहीं हुआ और बेकारों की पल्टन बढ़ती चली जा रही है।

मैं एक शब्द यह कहना चाहता हूं कि बेकारों की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो मेरी समझ में इतिहास की यह बात बहुत साफ तौर से दिखती है कि बड़ी से बड़ी सरकार का पतन बेकार मजदूरों के कारण ही हुआ है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—जो कटौती का प्रस्ताव उपस्थित है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मुझे बहुत ही दुख के साथ आज इस सदन में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना पड़ रहा है। मैं यह उम्मीद लगाये हुए था कि जब यह विभाग श्रीमती सुचेता कृपालानी जी के हाथों में आ गया है तो मजदूरों की दशा में कुछ सुधार होगा। मगर वस्तुस्थिति पूर्णतया इसके विपरीत है। मैं देख रहा हूं कि गांधी जी के प्रभाव में और गांधी परम्परा में पला हुआ व्यक्ति भी शासन की गद्दी में बैठ कर कितना विकृत हो जाता है, उसका एक साक्षात उदाहरण श्रीमती सुचेता कृपालानी जी हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—बहुत जल्दी कांक्लूजन निकाल रहे हैं।

श्री राजनारायण—विभ्रम कहां है यह बहुत ही स्पष्ट है। अगर विभ्रम नहीं है तो श्रीमती सुचेता कृपालानी जी बतलायेंगी कि श्रम का महत्व है या धन का महत्व है। यह जो बापू जी की तस्वीर लटकी हुई है उनका कहना था कि श्रम का महत्व है पूंजी पर और पूंजी का महत्व श्रम पर नहीं है, श्रम ही पूंजी है। एक नाई की वही मजदूरी होनी चाहिये जो एक वकील की होती है।

मैं पूछना चाहता हूं कि आज अभिनवीकरण के नाम पर चारों ओर हल्ला मचा हुआ है। क्या आज अभिनवीकरण छटनी नहीं है? अगर नहीं है तो हमें बतलावें कि अभिनवीकरण के मानी क्या हैं? क्या यह गलत है कि अभिनवीकरण हो तो इन्तजामी व्यवस्था को देखना चाहिये कि बेकारों की संख्या, उद्योगों का आर्थिक ढांचा और मजदूरों का नियंत्रण भी उसमें सम्मिलित हो। क्या इसके मुताबिक अभिनवीकरण हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो जो कुछ भी अभिनवीकरण होगा वह राष्ट्र विरोधी होगा, मजदूर हित विरोधी होगा, गरीब हित विरोधी होगा। वह एक प्रकार से महंगाई को बढ़ाने वाला होगा, देश को बरबाद करने वाला होगा।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यवस्था में मजदूरों के प्रतिनिधियों को कम्पनी का हिसाब देखने का हक मिले। इसकी मांग मैंने लगातार इस अनुदान पर की है। मुझे सरकार बतलाये कि इस मांग को स्वीकार करने में सरकार को क्या आपत्ति है? एक साधु मांग है जिससे कि मिलमालिकों की लूट की प्रवृत्ति पर मजदूरों के द्वारा अंकुश लगेगा। मगर सरकार नहीं मान रही है और तिस पर भी यह सरकार कहती है कि हम मजदूरों की हित-रक्षिका हैं। मजदूरों के हित भक्षक के रूप में काम करने वाली यह सरकार अपने को मजदूरों का हित रक्षक कहती है।

इसके अलावा मैं चाहता हूं कि कुछ अदालतें विशेष रूप से स्थापित की जायं जिनमें कमीशन, बोनस, तनख्वाह और इन्तजामी कर्मचारियों की संख्या भी तय करने की बात हो। आज इन्तजामी कर्मचारियों पर कितना रुपया खर्च किया जा रहा है, इन्तजामी कर्मचारी कौन लोग रखे जा रहे हैं। वही मामा, नाना, फूफा, इन सबको भर्ती करके इन्तजामी कर्मचारियों की एक बाढ़ सी लायी जा रही है और मजदूरों की छटनी की जा रही है। इसके अलावा ये अदालतें कच्चे और पक्के माल की खरीद में भी देखरेख रखें कि किस रूप में कच्चा माल खरीदा जाय, पक्के माल की बिक्री की व्यवस्था क्या हो। ये सब बातें भी अगर विशेष अदालतें देखें तो इसमें राष्ट्र का हित है या अहित है ?

मजदूरी और बोनस के एक उपयुक्त स्तर पर न पहुंच जाने तक डिवीडेंड बढ़ाने पर रोक लगा दी जाय। क्या आपत्ति है सरकार को इसमें ? इस बारे में आज तक सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ यद्यपि सदन में हमने बार-बार इसकी मांग की है। जहां मजदूरों की मजदूरी का स्तर कमहो, हमारी स्पष्ट मांग है कि वहां किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी, जो मिल रही हो, उसके पांच गुने से अधिक मजदूरी न दी जाय। इस मांग को मान लेने में कहां गांधीवाद खतरे में है या श्रीमती सुचेता कृपालानीवाद खतरे में है ? मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्ट उत्तर सरकार की तरफ से आये। मेरी स्पष्ट मांग है कि अगर कारखाने के मालिकों के पास इतना पैसा नहीं है कि एक उचित स्तर तक मजदूरों को मजदूरी दी जा सके तो कोई भी कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी के पांच गुने से ज्यादा रकम न पाये। इसको अगर यह सरकार कर दे तो मालूम हो जायगा कि यह सरकार मिलमालिक हितैषी है या मजदूर हितैषी है।

इसके साथ-साथ मैं कुछ और बातें बुनियादी तौर पर कहना चाहता हूं और फिर बाद में उदाहरण दूंगा। आज जो बड़ा शोर मचा हुआ है और बड़े-बड़े श्रमिक लीडरों के प्रतिनिधि यहां विराजमान हैं, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कोई कमेटी बैठे, चाहे कोई बोर्ड बैठे अगर वह एक बात नहीं करते हैं तो सारी बात बिलकुल व्यर्थ हो जाती है। अस्थायी, अनियमित, स्त्री, ये दीवारें खड़ी की जाती हैं मालिकों की ओर से और इन दीवारों को खड़ा करके वे विभिन्न प्रकार की सहूलियतें देने की व्यवस्था करते हैं। आज स्थायी और अस्थायी, अनियमित और स्त्री का चक्कर क्यों है ? हमने अपने संविधान में यह माना है कि समान काम के लिये समान मजदूरी मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि इस संविधान की हत्या कौन कर रहा है ? क्या यह सरकार संविधान की हत्या नहीं कर रही है ? निश्चय कर रही है, यह हत्यारी सरकार है। यह सरकार मजदूरों के अहित में जा रही है और मिलमालिकों के हित में जा रही है। क्या यह सरकार समान काम के लिये समान मजदूरी दिलाने की व्यवस्था कर रही है। जो अस्थायी मजदूर हैं वह भी तो वही काम करेगा जो एक स्थायी मजदूर करेगा। मगर श्रम के महत्व को मानने वाली यह सरकार होती तो निश्चय ही जो सुझाव मैं रख रहा हूं उसके मुताबिक वह काम करती। मगर चूंकि यह मिलमालिक हितैषी सरकार है और मजदूरों के हितों की उपेक्षा करने वाली है इसलिये इस प्रकार के बेहूदा कानूनों को लागू कर के उल्टे और विकृत मस्तिष्क के साथ आज मजदूरों का गला घोंट रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारी इस मांग को मानने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्रीमती अधिष्ठात्री महोदया, आज मैं चाहता हूं कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट में इस प्रकार से संशोधन किया जाय कि मौजूदा आवश्यकता की चीजों की कीमत में तीन व्यक्तियों की कम से कम आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य हो जाय, इससे कम मजदूरी किसी को न मिले। इसके अतिरिक्त एक मजदूर और है जिसके बारे में कोई नहीं बोलता है। मैं इस मौके पर खेत मजदूर की आवाज बुलन्द करना चाहता हूं और कहता हूं कि यही कानून उनके लिये भी लागू होना चाहिये। वह भी इंसान है, उनके भी पेट है, उनको भी मकान, कपड़े रोटी, दवा दारू की जरूरत है। लेकिन यह सरकार चंद मुट्ठी भर लोगों के लिये समझती है कि वे जीने के लिये पैदा हुये हैं और बाकी के लिये समझती है कि उनके सिर पर मौत का पैगाम लटक रहा है और वे मरने के लिये ही पैदा हुये हैं। इस नीति पर हमारी सरकार चल रही है।

[श्री राजनारायण]

मैं यह कहना चाहता हूं कि इम्प्लाईज स्टेट ऐक्ट में भी सुधार होना चाहिये और किस बुनियाद पर हो। बीमा कराये गये मजदूर के परिवार के अन्य लोगों के लिये भी दवा दारू की व्यवस्था हो। उन लोगों के लिये जो जिन्दगी भर रहने वाली बीमारी के मरीज हैं या संक्रामक रोगों के मरीज हैं उनके लिये अलग से अस्पताल और आराम गृह की व्यवस्था की जाय। स्टेट इंश्योरेंश स्कीम की व्यवस्था मजदूरों के चुने हुये प्रतिनिधियों के हाथ में दी जाय। इसके अतिरिक्त ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे मजदूरों पर खर्च होने वा पूरे व्यय का करीब ९ या १० परसेंट एक विशेष फंड में रखा जाय ताकि जो रिटायर होने वाले मजदूर हों उनके रिटायर होते समय जितने साल उसने काम किया हो, हर साल पर एक महीने की तनख्वाह के हिसाब से उसको ग्रेचुइटी मिल सके। अगर इस मांग को सरकार पूरा कर दे तो यह मजदूर के हितों की रक्षक होगी या उनके विरोध में जायगी।

हमारी सरकार से मांग है कि कानपुर में जो हरिहरनाथ शास्त्री नगर है उसको देख लिया जाय। गुप्ता जी उसको जाकर देख लें। केवल अच्छे-अच्छे भाषण कर देने से काम नहीं चलेगा। करनी और कथनी में एक रूपता होनी चाहिये। हमारी मांग है कि एक पूंजी कर लगाया जाय और उससे जो कम आय वाले मजदूर हों उनके लिये मकान बनाने की व्यवस्था की जाय और इन मकानों का किराया आर्थिक किराये के रूप में न लिया जाय बल्कि उस मकान की सुरक्षा के लिये थोड़ा-सा मकान का किराया रख दिया जाय ताकि गरीब मजदूर उसमें रह सकें।

क्या यह सत्य नहीं है श्रीमती सुचेता कृपालानी जी, कि आज जो मजदूरों के लिये क्वार्टर्स बने हैं उनमें मजदूर रह नहीं पाते हैं क्योंकि उनका किराया बहुत ज्यादा है और उनमें अफसर रहते हैं? कहीं-कहीं तो ऐसा होता है कि क्वार्टर्स मजदूरों के नाम में होते हैं और उनमें बड़े-बड़े अफसर रहते हैं। लेबर कालोनी की व्यवस्था सरकार ने कर दी और मकान बनवा दिये और ऊंचे किराये की वजह से उनमें मजदूर न रह सके तो क्या फायदा हुआ। ऐसे मकानों की व्यवस्था होनी चाहिये जिनमें गरीब मजदूर रह सकें। इसके लिये मैं चाहता हूं कि सरकार पूंजी कर की स्कीम को चलाये, अगर सरकार अपने को कहती है कि वह मजदूर हित रक्षिणी सरकार है। इसके लिये मैं चाहता हूं कि एक ऐसी कमेटी हो जो सरकार से स्वतंत्र हो क्योंकि आज सरकार सर्वग्रासी मनोवृत्ति पर चल रही है। चाहे वह सरकार सम्पूर्णानन्द जी की हो या चन्द्रभानु गुप्त जी की हो। जैसे सांपनाथ वैसे ही नागनाथ। अगर गुप्ता जी न आये होते तो मैं यह नहीं कहता। वह यहां आ गये हैं इसलिये मैं कह रहा हूं। मैं मिर्जापुर गया तो दांतों तले उंगली दब गयी। एक महाशय माहेश्वरी जी मिल मालिक हैं। उनकी हिम्मत यह है कि वह कहते हैं कि जब तक गुप्ता जी हमारे हैं, वह भी बनिये हैं और हम भी बनिये हैं, उनके रहते हुये कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस तरह की बातें सरकार के लिये लज्जा की बात होनी चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर सरकार की ओर से रोक लगाई जाय। आज बड़े-बड़े मिल मालिक हिम्मत नहीं कर सकते लेकिन माहेश्वरी मिल के मालिक ने तालाबन्दी कर दी और सरकार बिलकुल लचर जवाब देती है। शर्म और लज्जा की बात है।

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मेरा कहना है कि १८ वर्ष के ऊपर के हमारे यहां जितने नागरिक हैं जो किसी शिक्षा संस्था में नहीं पढ़ते हैं उन सब के लिए काम की व्यवस्था हो और जिनके लिए काम की व्यवस्था न हो उनके लिए भत्ते की व्यवस्था हो। बेकारों को काम दो या बेकारी का भत्ता दो। एक योजना बीती, दूसरी योजना बीती। हमारी हड्डी पर योजना खड़ी होगी। हमसे कहा जाता है कि भविष्य सुख की कल्पना में वर्तमान समय में पिस जाने के लिये तैयार हो जाओ। कोई भी सभ्य और इंसान की सरकार इस नीति को लेकर चल सकती है? दूरी और निकटता का सम्बन्ध होना चाहिये। हमारा अल्टीमेट एम और तात्कालिक लक्ष्य क्या है, दोनों में सामंजस्य होना चाहिये। श्रीमती कृपालानी जी बतायें कि महात्मा गांधी

ने हमें क्या सिखाया है ? उन्होंने कहा था कि पवित्र साधन से ही पवित्र उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है । साधन ही साध्य है, साध्य ही साधन है । यह सारा कम्युनिस्टी तरीका अख्तियार किया जा रहा है—एंड जस्टीफाइज मीन्स, साध्य को सिद्ध करने के लिये कोई भी साधन अख्तियार किया जा सकता है । यह कम्युनिस्टी तरीका है । उसी प्रकार यह सरकार व्यवस्था चला रही है । इस समय गरीबों पर जो बोझा है वह इस लिये है कि भविष्य में सुखमय संसार आयेगा । उसको लेकर हम क्या करेंगे ? हम तो मर गये पता नहीं क्या होगा ? वह सुखमय संसार आयेगा या नहीं, यह हम देखने के लिए नहीं रह जायेंगे । इसलिए श्रीमती कृपालानी जी इन बुनियादी बातों की तरफ ध्यान दें । एक चिट्ठा उन्होंने पढ़ कर सुना दिया कि इतने-इतने केस भेजे गये । लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक भी केस, जिस पर मिल मालिक ने अपनी मोहर लगा दी, उसको सरकार ने भेजा ? हरगिज नहीं भेजा, एडजुडिकेशन में। जिस पर मिल मालिक ने एड़ लगा दी हरगिज वह केस भेजा नहीं गया क्योंकि मिल मालिकों की हित रक्षक एक संस्था इंटक बनी हुई है । वही मजदूरों के लिये कंटक है । मैं उनको इंटक से सावधान करना चाहता हूं । दिल्ली राजधानी की सरस समीर से मस्तिष्क विकसित करके वह आयी हुई हैं । जरा उत्तर प्रदेश के उष्ण वातावरण में प्रवेश करें तब मजदूरों की गर्मी का पता चल पायेगा । अगर वह दिल्ली की परम्परा चलायेंगी तो मामला गड़बड़ है, वह चलकर कानपुर में देखें । क्या यह सही नहीं है कि कानपुर में इतवार को काम होता है ? क्यों इतवार को काम लिया जाय ? मंत्राणी जी को तो छट्टी चाहिये । दौरा करके आयें तो विधान सभा में बैठने में कष्ट मालूम होता है । तो वहां पर मजदूरों को इतवार के दिन काम करने के लिये क्यों बाध्य किया जाय ? जब मैं कानपुर में रहते हुये लेबर कमिश्नर को भी फोन करता हूं कि जाओ देखो एल्गिन मिल में काम हो रहा है तो उनका इंस्पेक्टर जांच करने गया। उसने ऐसा जाल बैठाया कि जाकर कुछ का कुछ बना दिया, आम का कटहल, कटहल का आम, सारा मामला गोल । तो इस कानून की जगलरी से मजदूरों के हितों पर आघात करने वाली सरकार जरा अब होशियार हो जाय । आज तक मजदूर मिल मालिकों की आक्रमणात्मक कार्य-वाहियों को बचाता आया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मजदूर अब हमला करेगा और अब वह हमलावर होगा और उसका नेतृत्व सोशलिस्ट पार्टी करेगी । हम किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहते, हम इस चीज को स्वीकार नहीं करते कि मजदूरों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न न हो । हम तो महात्मा गान्धी के उस कथन को मानने वाले हैं कि किसान और मजदूरों के हाथ में ही राजनीतिक सत्ता हो, वह मालिक बनें । तो जब राजा मजदूर और किसान होगा तो मजदूर अगर राजनीति में भाग नहीं लेगा तो क्या भाग लेंगी श्रीमती कृपालानी जी ? मैं जानना चाहता हूं । जरा यह लाल बत्ती बुझा दें थोड़ा-सा समय मुझे और दे दें, केवल पांच मिनट के लिये.....

श्री अधिष्ठाता—आपके २० मिनट हो चुके ।

श्री राजनारायण—ऐसा तो नहीं हुआ होगा। लेकिन खैर, जरा कृपा कर दीजिएगा क्योंकि कुछ फफोले अभी रह गए हैं जो फूटने को बाकी हैं, वह भी मैं फोड़ देना चाहता हूं। अब तो 'धीरज हू कर धीरज भागा' धीरज का भी धीरज समाप्त हो रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि वस्तुस्थिति जरा साफ-साफ आ जानी चाहिये । यह बहाना अब नहीं आना चाहिये कि हम तो अभी शैशवावस्था की सरकार हैं, हम तो अभी तीन महीने की सरकार हैं । हम समझते हैं कि अगर सांप का बच्चा है तो दूध पिलाने से उसमें और भी विष बढ़ेगा । इसलिये हम तो आपकी गतिविधि का निरीक्षण करेंगे और यह देखेंगे कि दूध पिलाया जाना जरूरी है या नहीं । शक्कर मिल, चुर्क सीमेंट फैक्टरी, वाराणसी की शाहू फैक्टरी, अभी देखें श्रीमती जी हमारे पास, यह तार आये हुए हैं, इस तार की कापी हमने भेज दी थी माननीया श्रीमती कृपालानी जी के पास, यह सारे के सारे तार हैं, आठ-आठ कर्मचारी बिलकुल ही अवैधानिक तरीके से निकाल दिये गए हैं क्योंकि वह ट्रेड यूनियन के बड़े ही प्रबल कार्यकर्त्ता रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों के लिये जो सीमेन्ट मिनिमम वेजेज कमेटी की सिफारिश है

[श्री राजनारायण]

जिसको कि प्राइवेट मिलों ने कार्यान्वित कर रखा है उसको वहां लागू क्यों नहीं किया गया। सीमेन्ट फैक्ट्री, चुर्क में वहां पर एक महेन्द्रा साहब हैं, बहुत पुराने हैं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री राजनारायण—बहुत अच्छा। जरा यह लाल बत्ती बुझा दें।

वहां जब मजदूर नेता प्रभुनारायण जी जायेंगे तो उनसे कहेंगे कि गेस्ट हाउस में आप नहीं रुक सकते हैं। उसमें कौन रुकेगा? शराबी, कबाबी, जो दूसरे स्थानों से अनैतिक काम करते हुए, अपराध करते हुए, लड़कियों को भगाकर ले जायगा। आप जरा चलकर देखें तो श्रीमती जी कि कितना भ्रष्टाचार उसमें हो रहा है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो और यह सरकार हमसे कहे कि हम इनको बर्दाश्त करें। अनेकों उदाहरण इसके मैं रखने को तैयार हूं। सरकारी बंगलों में आज क्या हो रहा है? उनको (प्रभुनारायण जी एम० पी०) वह नहीं दिया गया, कहा गया कि आप पोलिटिकल काम से आये हुये हैं, इसलिये आपको नहीं मिल सकता। अब उनको चिट्ठी लिखी गई दिल्ली कि उस समय बंगला खाली नहीं था। यह सब देश को रसातल में ले जाने वाली बातें हैं। क्यों नहीं सरकार इन पर कार्यवाही करती है? कहां के लाड़ले हैं ये?

चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का बैलेन्शशीट इस सरकार ने आज तक सदन में प्रस्तुत नहीं किया। कितना सीमेंट बना, कितनी बिक्री हुई, कितना स्टाक में है, कुछ पता नहीं। हमारी ही कमाई से, जनता के ही पैसे से यह चुर्क सीमेंट फैक्ट्री चले और गुलछर्रे उड़ावें बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी जो कि मंत्रियों के स्वागत पर पैसा खर्च करते हों। मैं कहता हूं कि यह चीज अब नहीं चल सकती। मैं चाहता हूं कि जो सुझाव मैंने बताये हैं उन पर विचार किया जाय और एक कमेटी सदन की बना दी जाय। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार का श्रम विभाग शक्कर मिल-मालिकों से मिला हुआ है। कभी हमको यह सूचना नहीं दी गई कि मिर्जापुर सेफ्टन मिल में मजदूर गो स्लो जा रहा था। अब बहाने बनाये जा रहे हैं। माननीया कृपालानी जी, आपने पहले हमको किसी भी स्तर पर नहीं बताया कि मजदूर गो स्लो जा रहा था। मिल-मालिकों के नाजायज अनौचित्य को साबित करने के लिये आज लेबर विभाग कह रहा है कि लेबर गो स्लो चल रहा था।

डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—अधिष्ठात्री महोदया, जो श्रम विभाग का अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं डिपार्टमेन्ट के अफसरों को जिन्होंने कि विभाग की रिपोर्ट को तैयार किया है मुबारबाद देता हूं। दो साल पहले की बात है। जो उसकी कमियां थीं उनकी तरफ मैंने उनको तवज्जह दिलाई थी। इस साल उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बहुत अच्छी और सब तरह की इत्तिला देने की कोशिश की है।

दूसरी बात मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि अभी जिन माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा था उन्होंने एक बन्द किताब को खोल दिया। वे उसको न खोलते तो अच्छा था। मैं बतलाना चाहता हूं कि जिन वाकयात का उन्होंने तजकिरा किया वह सरासर गलत हैं और इस हाउस के अन्दर एक ऐडजर्नमेंट मोशन के सिलसिले में उनकी तफसील पर बहस हो चुकी है। आज मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता परन्तु एक बात बतलाना चाहता हूं कि जो हमारी आल इंडिया लेबर कान्फ्रेन्स हुई थी उसने यह उसूल तय किया था कि जो अपनी ऐनुअल रिटर्न के अन्दर अपनी यूनियन की जितनी तादाद दिखायेगा उस संख्या के अनुसार उस संस्था को मजदूरों का प्रतिनिधि माना जायगा। इसी हिसाब से हमारे हिन्दुस्तान में कुछ नुमाइन्दे मजदूरों की जमातों के जाते हैं। इसी उसूल पर सब सरकार यह तय करती हैं कि किस इंडस्ट्री के अन्दर कौन संघ नुमाइन्दगी करेगा। जब हमारे मित्र माननीय सदस्य ने खुद अपने हाथ से यह लिख कर दिया कि हम अल्पमत में हैं तो फिर सरकार पर यह इलजाम क्योंकि हम बुलाये नहीं जाते हैं।

बोनस के बारे में जो बात कही गई उसके विषय में मेरा यह निवेदन है कि अदालत ने उसके बारे में एक स्टैंडर्ड तय किया है। आई० एन० टी० यू० सी० उसके खिलाफ कभी नहीं गई। त्रिदलीय सम्मेलन ने उसके मुताल्लिक तय किया। जो रिटेनर का मुकदमा बिहार में चला था उसी तरह की चीज हमारे यहां के मजदूर भी चाहते थे। तो यहां पर त्रिदलीय सम्मेलन के जरिये से मिलमालिकों के साथ यह समझौता हुआ था कि उपरोक्त फैसले के मुताबिक जो भी सहूलियत मजदूरों को मिलनी है वह देंगे। जब एक चीज हमको मिलने जा रही है तो फिर उस पर क्या लड़ने की जरूरत है। अगर उस पर हम नहीं लड़ते हैं तो वह चीज कायम रहेगी। आई० एन० टी० यू० सी० के अन्दर बुराई अगर है वह है।

आपने एक बात रामपुर स्ट्राइक के बारे में कही। उसी के साथ उन्होंने हंगर स्ट्राइक की भी बात कही जो उनके दोस्त वहां पर कर रहे थे। इस हंगर स्ट्राइक की मजे की बात यह थी कि ज्यों-ज्यों हड़ताल के दिन बीतते जाते थे त्यों-त्यों उन सज्जन का वजन बढ़ता जाता था। उन मांगों को लेकर वहां आई०एन०टी०यू०सी० ने कोशिश की और जो उनकी मांगें थीं उनमें से बेशतर मनवाने की कोशिश की और जो बची हैं उनके लिये कोशिश हो रही है। वह उस फैसले से मुत्तफिक हैं पर उन्होंने आप की लीडरशिप का खूब मजा देखा। आज वह हमारे साथ आ गये हैं। यह भी हमारा ही कसूर है और इस कसूर को मैं तसलीम करता हूं।

इसके बाद हमारे दूसरे बड़े भाई बोलने के लिये खड़े हुये। मैं उनसे सिर्फ यह अर्ज करता हूं कि अगर वह हमारे श्रम विभाग की सालाना रिपोर्ट को पढ़ लिये होते तो आधे सवाल जो उन्होंने उठाये हैं उनको उठाने की जरूरत नहीं होती। मिनिमम वेज के बारे में कहा कि वह कहीं नहीं दी जा रही है। तो फिर यह यूनियन किस मर्ज का इलाज है। कांग्रेस सरकार ने एक रास्ता दिखा दिया। उससे फायदा उठाइये। अगर उससे फायदा नहीं उठाया जाता है तो उसका काम नहीं है। क्या सरकार घर-घर जाकर मजदूरों को मजदूरी दिलाये? सरकार का जो काम था वह उसने कर दिया। आपके बाप ने यह सोचा कि बेटा लायक हो। उसने आपको स्कूल में भरती कर दिया, अच्छी किताब लाकर दे दी, अच्छे मास्टर रख दिये। बाकी अगर यह सोचा जाय कि बाप ही इम्तहान में जाकर बैठ जाय तो यह काम उसका नहीं है। गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, आपको हक दे दिया। अब आप उसके जरिये से अपने हक को मनवा लें। अगर यह कहा जाय कि नहीं साहब यह काम आपको ही करना होगा तो यह मुनासिब नहीं है। सरकार का काम सरकारी है और वह अपना काम करती है और उसने कर भी दिया, ट्रेड यूनियन का जो काम है यह उसको ही करना चाहिये।

यह भी कहा गया कि जब यह सरकार चलती है तो स्टीम रोलर की तरह से चलती है। कुछ भी सामने आये देखती नहीं है। यह बहम आपके दिल में हो गया है। आप यह समझते हैं कि आई० एन० टी० यू० सी० के साथ यह कुछ रियायत करती है। मैं कहता हूं कि आई० एन० टी०यू०सी० के हाथ में खुद डंडा होता है। मैं इसके लिये सबूत वाली बात बतलाना चाहता हूं। जो रिफरेन्स होते हैं उनके फिगर को निकाल कर देखा जाय कि कितने केस दूसरी यूनियन के हैं और कितने आई० एन० टी० यू० सी० के हैं। उससे आपको अंदाजा हो जायगा कि आई० एन० टी० यू० सी० का कितना फेवर किया जाता है।

अब चुर्क सीमेंट फैक्टरी का जो जिक्र किया गया उसके संबंध में मुझे कहना है कि वेज बोर्ड ने जो रेकमेन्डेशन्स की हैं, उनके लिये गवर्नमेन्ट ने एलान कर दिया है कि वहां लागू होंगी। जहां तक पत्थर मजदूरों का ताल्लुक है उनके लिये मिनिमम वेजेज ऐक्ट में प्राविजन है और उसे आप यूनियन के द्वारा दिलवा सकते हैं। उसमें शिकायत करने की गुंजायश नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सब लोग यहां पर आकर सरकार सरकार पुकारें यह ठीक नहीं है।

दो बातें मैं अर्ज करना चाहता हूं। मान लीजिये कि आई० एन० टी० यू० सी० जो काम यहां करती है और जितनी बड़ी तादाद के मजदूरों का मामला और इतनी फैक्टरियों की बात त्रिदलीय सम्मेलन से हर साल तय करा लेती है, उसे अगर आप बड़ा नामुनासिब समझते हैं और

डाक्टर जयगोपाल]

समझते हैं कि वह गलत काम करती है तो उसके लिये आप के हाथ में ताकत है। मजदूरों से कहलाइये कि वे बोनस नहीं लेंगे। उसके बाद मामला ट्रिब्यूनल में जायगा और वहां जाने पर आप साबित कर सकते हैं कि आपको और ज्यादा मिलना चाहिये। इसमें कठिनाई क्या है? लेकिन वाकया क्या है इसे देखा जाय। जिस वक्त वेज बोर्ड यह गवाहियां लेता फिर रहा था कि हमें कितनी तनख्वाह मुकर्रर करनी चाहिये, हमें क्या-क्या सहूलियतें मजदूरों को देनी चाहिये, उस वक्त तो तीन-तीन बार बुलाने पर भी आप आते नहीं थे और वह सब काम हम को करना पड़ा, और उसके बाद आज जब गाली देने का मौका आया तो भाई लोग सब से आगे हैं। अगर इस काम में कोई लम्बी जबान चलाये तो मैं उसे कम्पीट नहीं कर सकता और न हमारी जमात ही कर सकती है।

एक बात भाई ने यह कही कि मिनिमम वेज का ५ गुना दिया जाय। मुझे इससे पूरा इत्तफाक है। अच्छी बात है, दिया जाय। लेकिन हमारे पड़ोसी भाई यह पूछते हैं कि मिनिमम वेज है ३० रुपये, उसका ५ गुना हुआ १५० रुपये। क्या मैकेनिकल इंजीनियर आप को मिल सकेगा? नहीं मिलेगा। तो फैक्टरी चलाने के लिए कोई नहीं रहेगा, उसकी जगह आप एक मजदूर खड़ा कर देंगे क्योंकि वह पायेगा तो पांच गुना। जब यह सवाल उठेगा तो फिर सरकार से कुछ कहने की गुंजायश नहीं रहेगी।

यह बात भी कही गयी कि सरकार मिल मालिक से हिसाब दिखाने के लिये कहती नहीं, बैलेंस शीट तो देखने को मिलता ही है। हिसाब दिखाने की बाबत एक मिलमालिक से बात हुई तो उसने कहा कि मुझे तो कोई एतराज नहीं है, सरकार कहेगी तो दिखला देंगे, लेकिन बात यह है कि उसमें बहुत से मजदूरों के जो दूध पीते मजनू लीडर हैं उनके नाम भी लिखे हुए मिलेंगे, इसलिये अच्छा है कि उस पर परदा ही पड़ा रहे।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह मजदूर वाला मसला ऐसा नहीं है जैसा भाई लोगों ने समझा है। वाकया क्या है? मजदूर की तहरीक एक चौतरफा मसला है। जब तक आप एक मरकज पर खड़े होकर चारों तरफ घूम कर नहीं देखेंगे आपको सब कुछ दिखायी नहीं पड़ेगा। हमारे माननीय मंत्री जी ने बहुत सी चीजें पेश की हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सी चीजें पेश होने से रह गयी हैं। जैसे हमारा इम्प्लीमेंटेशन ७९ परसेंट है। पिछले साल में और इस साल के अन्दर मजदूरों की आमदनी .७ परसेंट बढ़ी है। इसके अलावा हमारे जो एक्सीडेन्ट्स होते हैं, उनमें इस साल कमी हुई है। महंगाई १९५८ से तो कम है, लेकिन १९५९ से थोड़ी ज्यादा है, कुछ ऐसी खास बढ़ी हुई नहीं है और अब, जब आपके वेज बोर्ड से सीमेन्ट, जूट, टेक्सटाइल और शुगर कवर हो जायगी तो आपके बहुत थोड़े से मजदूर बच जायंगे और वह सब मिनिमम वेज से कवर हो जाते हैं। वह कोई लम्बी प्राबलम नहीं है और हल हो सकती है।

जो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता था वह यह कि आप मजदूरों की प्राबलम्स को चौमुखी दृष्टि से देखें तो सही स्थिति का पता चलेगा। हाउसिंग के मामले में बतलाया गया कि यह सूबा हिन्दुस्तान में सबसे आगे है।

(इस समय २ बजकर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

और एक बात जो हमारे सूबे की सरकार ने की है वह यह कि वर्क लोड के नार्म्स तय कर दिये हैं। किन बुनियादों पर हम यह तय करें कि कहीं वर्क लोड है या नहीं?

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी फैक्टरियों में जो गैरहाजिरी होती थी वह भी पिछले सालों में कम हुई है। पहले वह ९.३६ थी, अब १९५९ में वह ८.८५ हो गयी है। इसी तरह से E. S. I. में हित लाभ भी १२६ दिन से ३०९ दिन हो गया है। यह खतरनाक किस्म की बीमारियों के लाभ के लिये है, जो पैसा उनको मिलता था अब उसे दुगना कर दिया गया है। और भी काफी तब्दीलियां की गयी हैं, मजदूरों की सुविधाओं को ध्यान

में रखते हुये । ई० एस० आई० के अन्तर्गत भी जो लोग काम करते हुये परमानेन्टली डिसएबिल्ड हो जाते हैं उनको पेन्शन दी जाती है । जो लोग पारशियली डिसएबिल्ड हो जाते हैं उनको भी पारशियली पेन्शन मिलती है ।

यह सब होने के बावजूद भी कहीं कुछ कमी जरूर है और उस तरफ मैं यह जरूर समझता हूं कि सरकार की तवज्जह दिलाई जाय । सबसे पहले तो मैं जो हमारी श्रम मशीनरी का डिसेन्ट्रलाइजेशन हुआ है उसके बारे में कहना चाहता हूं । मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस बात का अन्दाजा लगा कर देखें कि डिसेन्ट्रलाइजेशन करने से काम में कुछ तरक्की हुई है या नहीं, या डुप्लीकेशन आफ वर्क हो गया है ? अगर तरक्की नहीं हुई है तो यह अच्छा होगा कि उसमें कुछ परिवर्तन किया जाय ।

दूसरी बात मैं लेबर डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूं । इस विभाग का अपना एक अलग तरीका रहा है, उसका एक अलग से कल्चर है, अलग एटीच्यूड रहा है । उसी को जारी भी रहना चाहिये । इस महकमे में जो दूसरे विभागों की तरह अफसरियत बढ़ती जा रही है वह जरूर मजदूरों की तरक्की के रास्ते में बाधक है । जो रेफरेन्स का काम करने वाला विभाग है अगर उसकी जानकारी की जायगी तो मालूम होगा कि वह एक रेवेन्यू विभाग की नकल करता है, जो गलत है ।

एक बात मैं इंसपेक्टोरेट के बारे में कहना चाहता हूं । जो आपके बुआइलर और फैक्टरी इंसपेक्टर हैं उनको अलग कार्य करना चाहिये और कन्सिलिएशन विभाग और ऐडजूडिकेशन विभाग से अलग रखना चाहिये क्योंकि दोनों के काम करने के तरीके अलग-अलग हैं, दोनों का ढंग अलग-अलग है । इनको अलग-अलग कार्य करना चाहिये, एक जगह नहीं ।

एक बात मैं ट्रेड यूनियनवालों से भी कहना चाहता हूं और उसको सरकार के सामने भी रखना चाहता हूं । जो हमारा वेजबोर्ड है उसका यह इम्प्लीकेशन है कि वह यह तय करे कि कौन मजदूर किस कैटेगरी में आता है और जब हम यह तय करेंगे तो इससे २५ फीसदी मजदूरों की समस्या तो हल हो जायेगी, मगर ७५ फीसदी झगड़े फिर भी रह जायेंगे और उन झगड़ों को तय करने के लिये जो मशीनरी है वह काम में लाई जायेगी । बुनियादी उसूल यह होना चाहिये कि वह मजमूई तरीके से कार्य करें, मजमूई तरीके से चले मगर इन हालात में सब अपने-अपने काम करेंगे, अकेले ही हित की बात करेंगे, जिससे जो फायदा होने वाला है, वह नहीं हो पाता । उनको मिल कर काम करना चाहिये । इसी से उनके वेलफेयर के काम हो सकते हैं और मैं वेलफेयर के काम के बारे में सरकार को मशविरा दूंगा कि जो गोविन्द सहाय कमेटी की रिपोर्ट है, उसकी नयी बातों को इम्पलीमेंट करने की कोशिश करें और इस तरफ ज्यादा ध्यान दें। अगर नहीं देंगे तो हमारा ट्रेडयूनियन मूवमेंट टुकड़े टुकड़े हो जायगा और फिर मल्टीफेरियस यूनियंस पैदा होंगी जो कि ट्रेड यूनियनिज्म के खिलाफ है । जो ट्रेड रिलेशंस बिल है इसको जल्दी से जल्दी लाये ताकि इसमें रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की बात हो सके ।

भाई उमाशंकर जी ने एक बात कही प्रोटेक्टेड वर्कमेन के बारे में । उसमें दिक्कत यह है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट में वह मौजूद है, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट एक तारीख मुकर्रर करता है जिस तारीख तक अप्लाई किया जाता है और जो अप्लाई करते हैं उनको डिक्लेयर करार दिया जाता है, बाद वालों को नहीं । जो यूनियन अप्लाई नहीं करतीं, वह उसका फायदा नहीं उठा पाती हैं । तो प्रोटेक्टेड वर्कमेन का मामला मौजूद है, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ वक्त से अप्लाई करने की बात है जिससे फायदा उठाया जा सके ।

एक कानपुर के अन्दर दूसरी समस्या यह पैदा हुई है कि टेक्सटाइल बोर्ड ने सेमी-क्लार्क बीच में रख दिया है । उससे इतनी गड़बड़ी मची है कि मैनेजमेंट ने सभी को सेमी क्लार्क बना दिया है, क्योंकि वह ४० रुपये से काम करता है और एक क्लार्क ६० रुपये से चलता है और

[डाक्टर जयगोपाल]

उसको मंहगाई देकर काफी पड़ जाता है । तो जहां तक हो सके इसे वेज बोर्ड से हटा दिया जाय तो बड़ी भारी मदद मिलेगी और वहां की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो सकेगी जिसकी वजह से इस समय दिक्कत हो रही है ।

एक प्राब्लम सरकार के सामने और आ गया और वह यह कि वेज बोर्ड के मुताबिक जो तनख्वाह मिलती थी और बोनस मिलता था, और दोनों का कंटेंटम वह रहा और आगे को बोनस न दे सके तो मजदूर के अन्दर उनी रहेगी और उसको देने के लिए जरूरी यह है कि जहां और चीजों पर हम तवज्जह दें वहां रेशनलाइजेशन आफ दि मैनेजमेंट की तरफ भी तवज्जह दें । वहां फिजूल खर्ची बहुत हो रही है और टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन उनका है । अगर तवज्जह न दी जायगी तो आगे आने वाले वक्त में उनको बोनस दे सकेंगे, इसमें दिक्कत नजर आती है, साथ ही उतनी तादाद में दे सकेंगे, यह भी मुश्किल नजर आता है और जो हम काम बढ़ाना चाहते हैं वह नहीं बढ़ेगा ।

चारों तरफ यह शोर है कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाय । हमारे मंत्री जी जाते हैं और बाहर जाकर कहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, पर क्या आज बढ़ा हुआ प्रोडक्शन हमारे चोटी मजदूरों के अवार्ड के लागू कराने में दिक्कत नहीं डाल रहा है ? अगर डाल रहा है तो क्या यह मजदूरों को डिस्करेज करने की बात की बात नहीं है कि एक तरफ तो उसे कहा जाय कि वह प्रोडक्शन बढ़ाये और दूसरी तरफ यह कहा जाय कि क्या करें, माल बहुत बन गया है इसलिये हम अवार्ड तुम्हारा लागू नहीं कर सकते तुम्हें इन्तजार करना चाहिये । तो यह बात बहुत गौर से समझी जानी चाहिये और यह बहुत नामुनासिब है । जब स्टाक ज्यादा हो जाय तो मजदूर पर आपत्ति, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाय तब उस पर आपत्ति, फसल खराब हो जाय तब आपत्ति । आखिर कहीं तो संरक्षण मिलना चाहिये । मिल मालिक इतना नफा कमाते हैं, लेकिन मजदूरों को उसका कोई फायदा नहीं मिलता । तरक्की की बात कही जाय तो कहते हैं कि वेज बोर्ड आने वाला है इसलिये कोई तरक्की नहीं देंगे । जब वह आ जायगा तो उसके मुताबिक देंगे । तो मैं अर्ज करूंगा कि यह चीज मजदूरों का जो इंटेरेस्ट है और वेज-बोर्ड को लागू करने की बात है उसके रास्ते में नहीं रहनी चाहिये ।

इन अल्फाज के साथ में, जो अनुदान पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—आचार्य दीपंकर ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, आचार्य जी के बोलने के बाद समय का नियोजन होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—आचार्य जी १५ मिनट बोलेंगे । उसके बाद फिर हर एक को १० मिनट मिलेगा और विशेष अवस्थाओं में ५ मिनट अधिक ।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में और देश में यद्यपि समाजवादी व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था के निर्माण की जो घोषणाएं हैं, वह की गयी हैं, तब भी मजदूर वर्ग के प्रति जो सरकार का दृष्टिकोण है वह ऐसा है कि जिससे मजदूर तबाह हो रहा है और उसके जितने अधिकार हैं वह तो कम हो ही जाते हैं उसके अलावा समाज के आर्थिक विकास में मजदूर वर्ग जो अपनी भूमिका अदा कर सकता है, उसको वह बिलकुल नहीं कर पा रहा है बल्कि रोजाना की उसकी जो कठिन जिन्दगी है उसकी समस्याओं को भी नहीं सुलझा पाता है । दूसरी तरफ जब नेता लोग जाते हैं और जब कभी भी मजदूरवर्ग अपनी मांग रखता है तो उसको मानने के बजाय यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहा जाता है कि तुम ज्यादा पैदावार बढ़ाओ, जैसे मजदूर काम नहीं करते हैं वह कामचोर हैं और नेताओं के लिये यही कार्य रह गया है कि वह मजदूरों को उनके कर्तव्य का बोध करावें और उनके अधिकारों को नजरअन्दाज कर दें ।

माननीय मंत्री जी ने आपने भाषण में एक बात यह कही कि शुगर वेज बोर्ड की जो सिफारिशें हैं, उनको इस वजह से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि चीनी नहीं बिक पाती है, चीनी के गोदाम भरे पड़े हैं और इस कारण मालिकों के पास पैसा नहीं है । इस कारण सरकार दबाव मिल मालिकों के ऊपर नहीं डाल सकती कि वह शुगर वेज बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार करें ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मैं एक स्पष्टीकरण दे दूं कि मैंने यह नहीं कहा कि इम्प्लीमेन्टेशन नहीं किया जायगा, मैंने कहा कि विचार कर रहे हैं और यह दिक्कतें हमारे सामने हैं ।

आचार्य दीपंकर—अगर आपकी राय यह होती कि शुगर वेज बोर्ड की जो सिफारिशें हैं उनको स्वीकार करने जा रहे हैं, तो मेरे लिये बड़ी खुशी की बात होती, परन्तु उस बात को उन्होंने दूसरे प्रकार से कहा । अगर स्पष्ट तरीके से बात कही जाती तो कम से कम मुझे बड़ी खुशी होती । शुगर वेज बोर्ड की वजह से जैसा कि माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि पिछले चार पांच वर्षों से चीनी मिल मालिकों ने मजदूरों की एक भी बात को स्वीकार नहीं किया, यह बहाने करते रहे कि शुगर वेज बोर्ड आये । और जब शुगर वेज बोर्ड आया तो मिल मालिकों ने गलत नीति की वजह से चीनी के दाम इतने ज्यादा बढ़ाये कि आज आम जनता चीनी नहीं खरीद सकती है । अखबारों में समाचार आ रहे हैं कि विदेशों में चीनी का भाव ४०० रुपया फी टन है जबकि हिन्दुस्तान में ७०० रुपया फी टन है । तो ऐसी स्थिति में हिन्दुस्तान की चीनी विदेशों में भी नहीं जा सकती है और सरकार शायद विचार कर रही है कि हिन्दुस्तान के कन्जूयमर को ज्यादा महंगी चीनी बेचकर विदेशों को चीनी भेजी जाय ताकि किसी प्रकार से मिल मालिकों के मुनाफे में कमी न आने पाये । मैं श्रम मंत्राणी जी से कहना चाहता हूं कि जहां तक शुगर वेज बोर्ड की सिफारिशों का संबंध है, उसके कारण मजदूरों को बहुत नुकसान उठाने पड़े हैं, और उसकी सिफारिशें आने के बाद अब जो लाभ हो सकता है वह उन्हें तुरन्त मिलने चाहिये ।

इसी प्रकार एक बात अभी कांग्रेस कैम्प के दो माननीय सदस्यों ने बहुत उचित कही कि सरकारी प्रतिष्ठानों और संस्थानों में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके विवादों का निपटारा किस प्रकार से होगा इसके लिये सरकार की तरफ से समुचित इंस्टीट्यूशन्स तजवीज नहीं किये गये हैं । इस संबंध में मंत्राणी जी ने भी कुछ नहीं कहा। जहां तक प्राइवेट मिल मालिकों और मजदूरों के बीच चलने वाले विवादों का संबंध है उनका निपटारा भी उचित ढंग से नहीं होने पाता है और जब भी कभी कोई विवाद होता है उसमें सरकार मिल मालिकों का ही पक्ष ज्यादा लेती है । इसके अलावा मजदूरों का संघर्ष ही न होने पाये इसके लिये आई० एन० टी० यू० सी० द्वारा वह मजदूरों के संघठन को छिन्न-भिन्न करती है और जब वह छिन्न भिन नहीं हो पाते तो कोई दूसरा कदम उठाती है और उसमें मिल मालिकों का साथ देती है । इस प्रकार से मजदूरों को पंगु बनाया जाता है और उनकी बातों को स्वीकार करने में रुकावट पैदा की जाती है परन्तु फिर भी जहां तक व्यक्तिगत कारखानों में काम करने वालों का सम्बन्ध है उनके लिये कोई प्राविधान है भी लेकिन सरकारी मुहकमों में काम करने वाले लोगों के विवादों का निपटारा करने के लिये सरकार ने कोई तजवीज अब तक सामने नहीं रखी है । मैं आशा करता हूं कि सदन की इस आकांक्षा को सामने रखते हुये मंत्राणी जी अपने विभाग की कार्यवाही के संबंध में कोई निश्चित नीति निर्धारित करेंगी । इसी प्रकार पिछले ८—१० वर्षों से यह मांग की जाती रही है मजदूर यूनियनों की तरफ से कि जैसे-जैसे मंहगाई बढ़ती है उसी के इंडेक्स के अनुसार

[आचार्य दीपंकर]

महंगाई भत्ता बढ़ाना चाहिए । आज स्थिति यह है कि चाहे खाद्य पदार्थ हों और चाहे दैनिक आवश्यकता की अन्य चीजें हों, सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं । तो मजदूर यूनियनों की तरफ से और उनके आन्दोलन की एक मांग यह भी है कि बढ़ती हुई कीमतों के अनुसार भत्ता बढ़ाया जाय ।

इसी प्रकार जहां तक मजदूरों के सहयोग से काम करने का प्रश्न है कांग्रेस की यह घोषित नीति रही है कि मालिक और मजदूरों को आपस में सहयोग से कल-कारखाने का काम चलाना चाहिए । वह नीति अभी तक कहीं अमल में नहीं आ पाई है । जहां तक सरकार द्वारा चालित कारखानों का प्रश्न है और ऐसे कारखानों का प्रश्न है जहां पूंजी भी सरकारी है और सरकारी देख-रेख में ही काम चलता है, वहां कम से कम मजदूरों को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह वहां के मैनेजमेंट में सक्रिय रूप से भाग ले सकें । लेकिन होता यह है कि जहां तक प्राइवेट मिलों का संबंध है, वहां तो कम से कम एक वेलफेयर आफिसर, लेबर आफिसर होता है और दूसरे सरकारी मुहकमे होते हैं, सरकार कुछ न कुछ हस्तक्षेप करती है । लेकिन जहां तक सरकार द्वारा चालित कारखानों का संबंध है, वहां मजदूरों को आसानी से यूनियन बनाने का मौका नहीं मिलता है और अगर बन भी जाय तो तमाम बंधनों से जकड़ दिया जाता है और मान्यता भी यूनियन को बड़ी मुश्किल से मिलती है और मिलती भी है तो उसे इतना पंगु बना दिया जाता है कि मजदूरों की बात वह कह नहीं सकती । तो यह बात बिलकुल खोखली रह जाती है कि मजदूरों को मैनेजमेंट में हिस्सा देकर ऐसी ट्रेनिंग दी जायगी कि आगे चलकर वह खुद काम सम्हाल सकें ।

जो कारखाने सहकारिता के आधार पर चल रहे हैं और खास तौर से कुछ चीनी मिल जो सहकारिता के आधार पर चल रहे हैं वहां की व्यवस्था में न तो मजदूरों को और न उस इलाके के किसानों को कोई अधिकार होता है । मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बतलाऊं । मेरठ में बागपत के पास एक शुगर मिल लगी है । इस वर्ष उसमें काम भी हुआ है, गन्ना भी पेरा गया है, लेकिन जो जनरल मैनेजर और दूसरे उच्च अधिकारी तैनात किये गये हैं वह इतनी निरंकुशतापूर्वक वहां के मजदूरों और किसानों के साथ व्यवहार करते हैं कि डर होता है कि मिल नाकामयाब न हो जाय और उससे सहकारी आन्दोलन न बदनाम हो जाय ।

जहां तक प्राइवेट मालिक वाले मिलों का संबंध है, वहां भी मैनेजमेंट में मजदूरों का हिस्सा होना चाहिए । लेकिन जब तक वहां नहीं होता है तब तक सरकार के द्वारा जो चालित कारखाने और संस्थाएं हैं उनमें तो अवश्य ही यह प्रबन्ध होना चाहिए ।

आज मजदूरों के साथ जो भी व्यवहार होता है, अगर कहीं कोई कंसीलियेशन की प्रोसीडिंग्ज होती या जो बड़े-बड़े अफसर हैं . . . .

श्री उपाध्यक्ष—आचार्य जी, कोरम नहीं है, जरा आप बैठ जायं ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

आचार्य दीपंकर—मान्यवर, मुझे केवल दो छोटी छोटी बातों की तरफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सरकार का ध्यान दिलाना है ।

एक बात यह है कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन में प्रोटेक्टेड लेबर की प्रणाली चालू रही है कई वर्षों से । और यह बात हुई इसलिये कि आम तौर से मिल मालिक मिल के उन मजदूरों को निकाल देते थे जो मजदूर कि संगठित रूप से कार्य करते थे । उनकी एक ब्लैक लिस्ट बना कर रखी जाती थी और जब भी मौका मिलता उसको फैक्ट्री से बाहर कर देते थे । पहले इसका बहुत ज्यादा बोलबाला था। इसलिये कोई भी मजदूर ट्रेड यूनियन का काम करने के लिये तभी साहस कर सकता था जब वह अपनी नौकरी को खतरे में डाल दे । बहुत ज्यादा दबाव डालने पर सरकार की तरफ से यह नियम बनाया गया कि यूनियन जिन मजदूरों को

अपने कार्यकर्ता की संज्ञा दे उनको प्रोटेक्टेड मजदूर समझा जाय । जब वह कोई ज्यादा गलती करता है या अनुशासन भंग करता है तभी उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाता है । यहां तक तो कोई ऐतराज की बात नहीं है कि प्रोटेक्टेड मजदूर यदि अनुशासन भंग करे तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय । परन्तु मैं आपके द्वारा सरकार को यह बताना चाहता हूं कि यद्यपि किताबों में यह बात लिखी हुई है तो भी यदि पूरे प्रदेश के तथ्यों की रोशनी में उसको देखा जाय तो यह बात ही हमारे सामने आती है कि प्रोटेक्टेड मजदूर भी बड़ी तदाद में विक्टिमाइज किये जाते हैं और फैक्ट्री से निकाल दिये जाते हैं । इस बात की स्पष्टतया गारन्टी होनी चाहिये कि उसके खिलाफ कार्यवाही उसी हालत में की जा सकती है जब कि सरकार मंजूरी दे दे, इसके पहले न हो ।

आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि जैसे-जैसे हमारी पंचवर्षीय योजनायें बढ़ती जाती हैं वैसे-वैसे बेरोजगारी भी बढ़ती जाती है, यह बात बहुत से माननीय सदस्यों न कही है । यह बात बिलकुल ठीक है । आज से ४–५ वर्ष पहले बेरोजगारों की संख्या ९ लाख थी लेकिन आज १९ लाख है । यह भी १९ लाख की संख्या वह संख्या है जो रोजगार जुटाने वाले दफ्तरों में अपना नाम लिखा लेते हैं लेकिन रोजगार दिलाने वाले दफ्तरों में बहुत से बेरोजगार पहुंच भी नहीं पाते हैं । बहुत से लोगों को तो यह पता भी नहीं है कि वहां नाम लिखाना भी चाहिये । एक बात और है । रोजगार दिलाने वाले दफ्तरों में बड़ी धांधली है । बेरोजगारों द्वारा वहां अपना नाम लिखाना भी एक बड़ी भारी समस्या बन जाती है । इस चीज को सरकार के सामने रखता हुआ, जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । सबसे पहले आदरणीय मंत्राणी जी को बधाई इसलिये देना चाहता हूं कि जब से उन्होंने यह पद संभाला है तब से उन्होंने मजदूरों के हितों में काम करना शुरू कर दिया है । जैसे कि अभी जिक्र किया गया २६ जनवरी, १५ अगस्त और २ अक्तूबर, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है और जिस अवसर पर सब जगह छुट्टी हुआ करती थी लेकिन मिलों के मजदूरों को मिल मालिक छुट्टी नहीं देते थे । कई बार यह प्रश्न यहां पर उठाया गया लेकिन बार बार मिल मालिक बहाना करते रहे । लेकिन आदरणीया मन्त्राणी जी ने एक बिल लाकर इन राष्ट्रीय पर्वों पर छुट्टी देने की व्यवस्था कर दी । उसके लिये वे एक विधेयक ले आयी हैं जो विधान परिषद् से पास हो गया है ।

मान्यवर, मजदूर दो तरह के हैं । एक तो शहरों में कारखानों में काम करते हैं और दूसरे खेतिहर मजदूर । मैं सबसे पहले खेतिहर मजदूरों के विषय में कहना चाहता हूं । खेतिहर मजदूरों पर यद्यपि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू है लेकिन उसमें कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि जो रजिस्टर्ड फार्मों पर या ५० एकड़ के फार्म हैं उनमें या एक निश्चित सीमा में जो मजदूर काम करते हैं उन्हीं पर वह अधिनियम लागू होता है । लेकिन बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो १, २, ३,४ की संख्या में खेतों पर काम करते हैं लेकिन उनको बहुत कम मजदूरी दी जाती है । हमारे यहां जौनपुर में दिन भर काम करने पर कहीं ५ पाव कहीं २ सेर मजदूरी बड़ी मुश्किल से दी जाती है जब कि वह सुबह ६ बजे से रात के ८ बजे तक खेत पर काम करते हैं । इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे उनके लिये समय बांध दिया जाय और मजदूरी भी । हमारे यहां मजदूरी पैसे में न दे कर गल्ले में दी जाती है, इसलिये मैं चाहूंगा कि गल्ले के रूप में ही उनकी मजदूरी बांध दी जाय । अभी तो हालत यह है कि मजदूरी में बड़ा खराब गल्ला दिया जाता है, मोटा और सड़ा हुआ अनाज दिया जाता है । यह एक ऐसी गुलामी की व्यवस्था हो गई है कि किसी मजदूर ने अगर एक दफा अपने मालिक से, वह मालिक जो खुद खेती नहीं करते हैं पर काश्तकार कहलाते हैं, १०, १५, २० रुपया शादी विवाह के लिये या और किसी काम के लिये कर्ज में ले लिया तो १ आना महीना उस पर सूद लेते हैं और बराबर वह सूद बढाया करते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि जिन्दगी भर वह कर्जा अदा नहीं होता । अतः एक तरह से

[श्री माता प्रसाद]

गुलामी हो जाती ह । और अगर वह कभी सोचें कि हम काम नहीं करेंगे तो जोड़कर उनको सैकड़ों रुपये का उधार बताया जाता है जो, वह दे नहीं सकते, जिसकी वजह से विवश होकर उनको काम करना पड़ता है । पश्त दरयुश्त वह काम करते हैं एक ही जगह । इस गुलामी की प्रथा को समाप्त किया जाय और ऐसे खेतिहर मजदरों के लिये भी जो रजिस्टर्ड फार्मों पर काम न करते हों, उन्ह अन्न क रूप में मजदूरी दी जाती ह, उनके लिये भी मजदूरी की व्यवस्था करें जिससे उनका निर्वाह अच्छी तरह से हो सके और जीवन स्तर ऊपर उठ सके । अगर हम खेतिहर मजदूरों की हालत में सुधार करते हैं तो अन्न उत्पादन भी बढ़ेगा । अतःमंत्री जी इधर अवश्य ध्यान दें ।

शहरों में या फैक्टरीज में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिये मिल मालिकों को मजबूर किया जाय कि वे उनके निवास के लिये उचित व्यवस्था करें । बहुत से मिल मालिक करते हैं लेकिन बहुत थोड़ा करते हैं । बहुत ज्यादा मजदूर ऐसे होते हैं जिनके रहने के लिये उचित व्यवस्था नहीं होती है । कानपुर म ग्वालटोली वगरह म बहुत से अहाते हैं, मैं उनक बीच में रहा हूं और जानता हूं कि वहां की बहुत खराब हालत है । सरकार एक विधेयक लाने जा रही है कि वहां के ऐसे स्लम्स गिराये जायेंगे और नई बस्तियां बसाई जावेंगी । बहुत अच्छी बात है लेकिन वहां के मजदूरों में तहलका मचा हुआ है कि हमको शहर से दूर हटाया जायगा और फिर हमको काम पर आने में बहुत कठिनाई होगी । इसलिये मिलों के आसपास ही ऐसी व्यवस्था हो और वहीं मजदूरों को बसाया जाय ।

एक बात और । एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में हरिजनों के जैसे अन्य सब बेकारों की रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ह, राधाकृष्णन आयोग जो हरिजनों के लिये नियुक्त हुआ उसने सिफारिश की है कि हरिजनों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिये जो कास्ट सर्टीफिकेट देना पड़ता है उसमें सुविधा हो । मैंने अपने जिले में जांच की तो वहां इम्प्लायमेंट आफिसर ने यह बताया कि अब तक हमें ऐसे आदेश थे कि कोई एम० पी०, एम० एल० ए० और एम० एल० सी० कास्ट सर्टीफिकेट दे दे तो मान लिया जाय लकिन अब ऐसे आदश आ गये ह कि केवल कलक्टर का ही कास्ट सर्टीफिकेट माना जायगा । कलक्टर का कास्ट सर्टीफिकेट क्या अर्थ रखता है । लेखपाल क बाद कानूनगो, कानूनगो के बाद तहसीलदार और तहसीलदार के बाद कलेक्टर, जो लेखपाल लिख देगा तो मान लिया जायगा लेकिन जो वहां व्यक्तिगत रूप से जाननेवाले विधेयक या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति लिखे तो उसको नहीं मानेंगे, तो इस तरफ मैं माननीय मंत्राणी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य मदन पांडेय जी ने रखा ह मैं उसके समर्थन में बोलना चाहता हूं । मिल मालिक और मिल मजदूरों के सम्बन्ध में अब त क इधर के बैठनेवाले चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने, जो मजदूरों के हित की बात कही है मैं उससे बिलकुल सहमत हूं । लेकिन एक मामले में यह हिन्दुस्तान की सरकार और प्रदेशीय सरकार भी अभी तक कोई नीति निर्धारित नहीं कर पाई है कि वह खेतिहर मजदूरों का मामला कसे हल किया जाय । उनके जीवनस्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाय, कैसे उनके बच्चों को तालीम दी जाय और कैसे उनके रहन-सहन का प्रबन्ध किया जाय । इस सम्बन्ध में ही हमारी सरकार अब तक असफल सी रही है । इस ओर मंत्राणी जी से मैं निवेदन करता हूं कि वे ध्यान दें और यदि इस तरह सुविधाजनक कदम सरकार ने उठाया तो उसके लिये मैं उनको कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से धन्यवाद दूंगा । इन गरीबों का कोई पूछने वाला तक नहीं है । पश्चिमी जिलों के बारे में मुझे खास जानकारी नहीं है लेकिन पूर्वी जिलों के बारे में मैं कह सकता हूं कि खेतिहर मजदूर इसमें जेठ और बैशाख के महीने में, मेरे गाजीपुर जिले में, जब गन्ने के खेत में पानी चलाता है, आबपाशी का कार्य करता है तो उस मजदूर को ४ पैसे या ६ पैसे मजदूरी मिलती है । इससे ज्यादा मजदूरी वहां नहीं है और एक लोटा शीरे का शरबत दिया जाता है । मान्यवर, इसके अलावा कुछ नहीं । और पहले यह

हालत थी कि लोग अन्न की मजदूरी दिया करते थे लेकिन आज यह प्रथा नहीं है । जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है उसी तरह से इस चीज को ले कर आज जो मजदूर मिट्टी का काम करता है, घरों की दीवार उठाता है या अन्य कोई कार्य करता है उसको दिन भर की मजदूरी ४ आना, ६ आना या ८ आना मिलते हैं ।

मैं मंत्राणी जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि १२ जुलाई, १९४७ को एक कांफ्रेन्स बुलाई गई थी पूरे हिन्दूस्तान के लिये मजदूरों के जीवन स्तर पर सोचने के लिये, उस कान्फ्रेन्स के अध्यक्ष थे श्री गुलजारी लाल नन्दा । उस में यह प्रस्ताव आया कि इन मजदूरों के स्तर को ऊंचा कैसे उठाया जाय और उनकी न्यूनतम मजदूरी क्या होनी चाहिये । तो उसमें यह तय पाया गया सर्वसम्मति से कि एक मजदूर के पीछे कम से कम उसकी बीबी और दो नाबालिग बच्चे मान लिये जायं तो उसके लिये न्यूनतम वेतन १२५ रु० होना चाहिये । अब मैं इस कांग्रेसी सरकार को क्या कहूं सिवा इसके कि धन्यवाद दूं । यह मजदूरों की दुखित आह से अब तक कैसे बैठी है और जिस दिन मजदूर अपनी दुखित आह को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा उस दिन इस सरकार को कुर्सी छोड़नी होगी और मुल्क में क्रान्ति हो जायगी । उन गरीब मजदूरों को कुचल कर मिल मालिकों के हक में यह सरकार कदम उठा रही है, उसकी यह नीति गलत है ।

मैं स्वयं कृषक मजदूर हूं । मैं दूसरी चीज यह पेश करना चाहता हूं कि खेतिहर मजदूरों के सिलसिले में सरकार एक आफिसर मुकर्रर करे, वह तहसीलदार ही हो जो कृषक तथा मजदूरों के बीच में आये दिन जो झगड़े होते हैं, उनके वेतन के सिलसिले में, उनके बच्चों की तालीम के सिलसिले में, उन पर विचार करे ।

इसके अलावा पूर्वी इलाके में कर्घा उद्योग जो है उसमें भी मजदूर होते हैं । मंत्राणी जी ने अपने भाषण मे इन खेतिहर मजदूरों तथा कर्घा मजदूरों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा तो मुझे असंतोष-सा हुआ । यह कोई नई बात नहीं है, बड़ी पुरानी बात है और मंत्राणी जी इन्हीं बातों में अब भी लीन हैं और इन खेतिहर मजदूरों, पी० डब्ल्यू० डी० के मजदूरों, नहर और हाथकरघा में काम करने वाले मजदूरों की तरफ उनका जरा भी ध्यान नहीं गया है । इसलिये मैं आपके द्वारा मंत्राणी जी का ध्यान फिर आकर्षित करना चाहता हूं कि उसमें इन मजदूरों को भी जोड़ लीजिये, जैसे गाजीपुर में पहाड़गंज, कासमाबाद, गाजीपुर, नोनहरा और आजमगढ़ में मऊ घोसी, ये ऐसे स्थान हैं जहां खाली बुनाई का कार्य होता है और मजदूर दिन भर बुनाई का कार्य करते हैं । कम से कम उनके भी जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की ओर मंत्राणी जी ध्यान दें ।

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो अपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया । वाकई में उत्तर प्रदेशीय सरकार ने मिल के श्रमिकों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी कानून बना कर उन्हें उचित मजदूरी दिलाने का बड़ा सराहनीय कार्य किया है । हमारी सरकार मजदूरों के रहने के लिये भारतीय सरकार से सहायता प्राप्त करके २०, ६९० क्वार्टर बनवा चुकी है और ४,८९८ क्वार्टर बनवाने जा रही है । इसके अतिरिक्त उन्हें प्राविडेंट फंड की सुविधा दी गई है । इसके अलावा विभागीय नव-युवकों को विभिन्न पेशों की ट्रेनिंग दे रही है और तृतीय पंचवर्षीय योजना में ३० प्रतिशत प्रशिक्षण स्कूलों की व्यवस्था कर रही है जिससे नवयुवकों की बहुत अंशों में बेरोजगारी समाप्त हो जायगी । किन्तु खेद का विषय है कि देहात में जो लोग खेती पर मजदूरी करते हैं, और मैं बता दूं कि इनमें सब से अधिक हरिजन और गरीब तबके के लोग हैं, जिनको मजदूरी जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि पुरुषों को ८ आने, औरतों को ६ आने और १२ साल के बच्चों को ४ आने दी जाती है, उनकी ओर यह सरकार कोई विशेष ध्यान नहीं देती है । उदाहरण के रूप में मैं बताऊं कि चैत के महीने में तो ये लोग काट कर किसी तरह अपना पेट पाल लेते हैं लेकिन बैशाख से ३-४ महीने वे बेचारे क्या खायं ? इसलिये मजबूर हो कर ४ आने पर काम करते हैं और देहात के बड़े बड़े किसानों से, ताल्लुकेदारों से आना रुपया सूद पर कर्ज लेते हैं । अब आप सोचें कि आना रुपया सूद पर जो १०० रुपया कर्ज लेगा तो एक महीने में सवा ६ रुपया सूद का

[श्री सुखराम दास]

हुआ, अगर दो महीने बाकी रह गया तो साढ़े १२ रुपये सूद देना पड़ेगा और मजदूरी कर रहा है वह ४ आने रोज पर । तो वह कैसे अपने बच्चे को पढ़ाये या खुद खाये या बीबी को खिलाये या वस्त्र कैसे लाये ? सरकार ने उन लोगों के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और न कोई ऐसा कानून ही बनाया कि उनको उचित मजदूरी मिल सके । सरकार उनकी मजदूरी तभी ज्यादा बढ़ा सकती है जब उनकी बेकारी खत्म हो जाय । वे विवश हैं, जिससे उन्होंने कर्ज लिया है या तो उसे काम करके पटावें या और कहीं से कर्ज ले कर उसको रुपया दें । तो जब ४, ६ और ८ आने मजदूरी है, पश्चिमी जिलों को मैं नहीं कहता, वहां के बारे में मैंने एक सदस्य से बात की थी तो मालूम हुआ कि वहां ज्यादा है, एक रुपया मजदूरी मिलती है, लेकिन पूर्वी जिलों में ४, ६, ८ आने से ज्यादा मजदूरी नहीं दी जाती है । मगर फिर भी आज तक पूर्वी जिलों में सरकार की तरफ से बेकारी दूर करने के लिये कोई उपाय नहीं किया गया और न ही कुटीर उद्योग चलाये गये और न कोई कारखाना खोलने जा रहे हैं तो वह बिचारा कैसे समझे कि आजादी में उसको सुख मिल रहा है कांग्रेस के राज्य में । हम लोग गांवों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम आपको वोट देते हैं लेकिन आप हमारे लिये क्या करते हैं । हमारे पास क्या उत्तर है जो हम उनको दें । हम यही कहते हैं कि आपके लिये सरकार अच्छे से अच्छे कानून बना रही है । लेकिन वह कहते हैं कि क्या अच्छा कानून बना रहे हैं । हम भी देखते हैं और यहां पर कह जाते हैं लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ।

जब सब से ज्यादा आदमी गांवों में बसते हैं और शहरों को भी अपनी मेहनत से पैदा करके खिलाते हैं तो उनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये । सरकार उन मजदूरों की ओर ध्यान देती है जिनकी मजदूरी फिक्स है जैसे रेलवे तथा डाकखाने के मजदूर । तीन तरह के मजदूर हैं । एक तो ठेके वाले मजदूर हैं, दूसरे मिल वाले मजदूर हैं और तीसरे खेतिहर मजदूर हैं । मिल वाले जो मजदूर हैं उनको तो यूनियन के द्वारा मजदूरी मिल जाती है । जिन मजदूरों को बराबर सूत मिलता है वह अच्छी तरह काम करते हैं और उनको खाने भर को मिल जाता है । लेकिन जिनको कम सूत मिलता है वह खाने भर को नहीं पैदा कर पाते । उनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये कि उनको पूरा काम मिल सके । लेकिन खेतिहर मजदूरों की कोई बात नहीं पूछता है । मेरा निवेदन यह है कि खेतिहर मजदूर की मजदूरी बढ़ाई जाय । जब तक उसकी मजदूरी नहीं बढ़ती है तब तक उसके बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं और न उसकी तरक्की हो सकती है । उसके पास न तो खेत हैं और न वे घर ही बना सकते हैं । उनमें ज्यादातर हरिजन हैं । मिल मजदूरों के लिये तो सरकार पक्के क्वार्टर बनवाती है लेकिन इनके लिये कोई घर नहीं है । जो म्युनिसिपैलिटी में भंगी का काम करते हैं उनके रहने के लिये कोई घर नहीं है । टांडा म्युनिसिपैलिटी में उनके लिये घरों का इंतजाम नहीं है । हम तो दारुलशफा में अच्छे मकान में रहते हैं लेकिन जो सफाई करता है, टट्टी उठाता है उसके रहने के लिये कोई जगह नहीं है । इसके लिये सरकार को सोचना चाहिये । जिस तरह से मिल मजदूरों को सुविधा दी जाती है और सरकारी मजदूरों को दी जाती है उसी तरह से खेतिहर मजदूरों को भी सुविधा दी जाय । आज जो अनुदान प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव मदन पांडेय जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, जो धनराशि अनुदान के अन्तर्गत रखी गई है आज सवाल उसके स्वीकृत या अस्वीकृत होने का नहीं है बल्कि इसमें प्रश्न यह है कि जिस धनराशि को आज स्वीकार किया जाना है उससे प्रदेश में कौन सी श्रम नीति अपनाई जा रही है और कैसे संचालित की जा रही है । किसी भी सफल श्रम नीति के लिये यह आवश्यक है कि मजदूरों में सामूहिक समझौता की वृद्धि हो, इंडस्ट्रियल पीस हो, मजदूरों के काम करने एवं रहने की व्यवस्था में सुधार हो, उत्पादन में वृद्धि हो और मजदूरों की आर्थिक दशा में भी सुधार हो । अगर इस दृष्टि से यहां की श्रम नीति का विश्लेषण किया जाय तो मैं कहने के लिये तैयार हूं कि प्रदेश की श्रम नीति हर जगह विफल हो रही है । श्रम मंत्री जी ने आंकड़े

देकर यह बताने की चेष्टा की है कि हमारा प्रदेश सब से सर्वोत्तम स्थिति में है । उन्होंने सबसे पहले इस ओर संकेत किया था कि हमारे प्रदेश के ८.४ प्रतिशत लोग उद्योग के ऊपर निर्भर हैं । मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की इस मामले में भी सातवीं स्थिति है । अगर उन आंकड़ों को ही देखने की कोशिश करें तो उनको पता चलेगा कि जब कि वेस्ट बंगाल में १५.४, आसाम में १४.७, बम्बई में १३.८, मध्य प्रदेश में १० बिहार में ९.३ और उत्तर प्रदेश में केवल ८.४ की आबादी उद्योगों पर निर्भर हैं तो यहां पर भी हमारी स्थिति खराब है। इसी संदर्भ में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के मजदरों की वार्षिक आय भी अन्य प्रदेशों के मुकाबले में सबसे गिरी हुई है । उसमें भी हमारी सातवीं स्थिति है । त्रिपुरा जो 'सी' क्लास स्टेट है, सेंन्ट्रली ऐडमिनिस्टर्ड है, वहां की भी स्थिति करीब-करीब हमारे बराबर है । वहां पर हर मजदूर को ११४७.१० रुपये वार्षिक मजदूरी प्राप्त होती है । उत्तर प्रदेश में जहां की बड़ी सफल श्रम नीति कही गई है, ११४७.७० रुपये प्राप्त होते हैं । इस लिये यह कहना कि उत्तर प्रदेश की बहुत सफल श्रम नीति है, अपने को भ्रम में रखना है ।

इस श्रम विभाग का सबसे बड़ा यह काम है कि मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिये कानूनों को बनाये और उनको लागू करे तथा साथ ही साथ इस बात के लिये मशीनरी सेट-अप करे जो इस बात की जांच करे कि श्रमिकों के सम्बन्ध में जो कानून बनाये गये हैं वह अच्छी तरह से माने जा रहे हैं या नहीं । इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि १९५७ से जब स नये सदन का गठन हुआ है तीन श्रम मंत्री हो चुके हैं । पहले श्रम मंत्री जी ने ट्रेड यूनियन ऐक्ट को बदलने की कोशिश की, लेकिन वह चले गये । उसक बाद दूसरे श्रम मंत्री आये । तो उन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट को बदलने की कोशिश की और यह कहा कि शाप्स ऐंड कामर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स ऐक्ट में भी परिवर्तन किया जायगा । लेकिन वह भी ऐसा नहीं कर सके । एक नया बिल-इंडस्ट्रियलरिलेशन्स बिल-को स्थायी समिति के सामने रखा किन्तु उसको भी वह सदन में नहीं ला सके । वह भी चले गये । अब तीसरे श्रम मंत्री आये हैं । उनका खास तजुर्बा नहीं हुआ है, लेकिन विश्वास यही है कि मजदूरों के हित में वह भी कोई विशेष बात नहीं कर सकेंगे । भूतपूर्व राज्यपाल, गिरी जी ने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया था कि सरकार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट और शाप्स ऐंड कामर्शियल इस्टेब्लिशमेन्ट्स ऐक्ट में परिवर्तन करेगी । दुर्भाग्य की बात है कि उनके कार्य काल में ऐसा नहीं हुआ । दूसरे राज्यपाल महोदय आये, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है । मुझे विश्वास है कि शायद उनके या नये मंत्रीजी के प्रयत्नों से कुछ मजदूरों के सम्बन्ध में अच्छे कानून बन सकें या कानूनों में संशोधन हो सकें ।

जहां तक मजदूरों के कानून लागू करने का सवाल है, यह सरकार बिलकुल असफल रही है । माननीय मंत्री जी ने कभी यह चेष्टा नहीं की है कि मजदूरों के हितों की वह रक्षा करें । यह लेबर मिनिस्ट्री है, लेकिन उसका जो काम रहा है वह एम्पलायर्स मिनिस्ट्री का रहा है । स्वदेशी काटन मिल के सम्बन्ध में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का जो उत्तर दिया गया वह श्रम मंत्री का उत्तर नहीं माना जा सकता । जो उत्तर उन्होंने दिया वह ऐसा मालूम होता है कि एम्प्लायर्स असोसियेशन का प्रेसीडेंट यहां पर बैठ कर उत्तर दे रहा है । कहा गया कि कमेटी बैठी, लेकिन कोई सब्सटेंशियल ग्राउंड नहीं पाया गया । मजदूरों से ९ घंटे काम लिया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि कोई सब्सटेंशियल ग्राऊंड नहीं है कि इसमें कोई परिवर्तन किया जाय । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या वह उत्पादन के नाम पर मजदूरों से ४ घंटे फ़ी हफ्ते ज्यादा काम करवाना चाहती हैं ? अगर वह यह स्वीकार करती हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि कानपुर के और ११ मिल हैं, उनको भी यह सुविधा प्रदान की जानी चाहिये । लेकिन अगर वह यह समझती हैं कि नहीं, मजदूरों के हितों की रक्षा उनको करनी है तो फिर स्वदेशी काटन मिल के साथ इस तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिये ।

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

मान्यवर, यहां पर एक और तरीका चल गया है कि जितने भी वेज बोर्ड बनते हैं उनकी सिफारिशों को यहां का एम्पलायर किसी तरह से कार्यान्वित नहीं करता है और यहां की गवर्नमेंट भी उनको कार्यान्वित कराने के सम्बन्ध में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करती। कुछ समय तक वह उनको अपने यहां डिपाजिट रखती है दफ्तर में, और जब महीने, दो महीने, चार महीने हो जाते हैं, श्रमिकों की तरफ से आवाज उठने लगती है कि इन सिफारिशों को लागू क्यों नहीं किया गया, तब सरकार त्रिदलीय सम्मेलन बुलाती है और उन त्रिदलीय सम्मेलनों का यही नतीजा हमेशा रहा है कि वह असफल होते हैं और उसके बाद सरकार नोटिसें देती है। नोटिसों का जवाब आता है, उसके बाद फिर दूसरी नोटिस जाती है, दूसरी नोटिस का जवाब दिया जाता है। इस तरह से एम्प्लायर इस बात की कोशिश करता है कि वह वेज बोर्ड की या कोई भी बोर्ड हो, उसकी सिफारिशों को न माने और सरकार उनको इस बात की छूट दिये रहती है कि वह बराबर उसको टालते चले जायं। एक वेज बोर्ड नहीं, शुगर के सम्बन्ध का वेज बोर्ड, जूट का वेज बोर्ड, टैक्सटाइल का वेज बोर्ड, पत्रकार भाइयों के सम्बन्ध में पत्रकारों के अधिनियम के सम्बन्ध का वेज बोर्ड, यह तमाम वेज बोर्ड बने। लेकिन कोई भी सिफारिशें उनकी लागू नहीं की गईं। पत्रकारों के सम्बन्ध के अधिनियम का एक अंश भी कानपुर में लागू नहीं किया गया लेकिन उसके ऊपर इस सरकार की तरफ से आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मान्यवर, इस सरकार को एक और भी सनक सवार हुई है कि हर चीज पर एक कमेटी वह बैठा देती है। एक इवैल्युएशन कमेटी बनी है जो जांच करेगी कि श्रम-हितकारी केन्द्रों की क्या अवस्था है। रिपोर्ट उसकी अभी तक नहीं आयी। मंत्री जी ने अभी बताया कि शायद तीन-चार दिन हुये, रिपोर्ट आ गई है। लेकिन उसको कबतक कार्यान्वित किया जायगा, यह हमको अभी पता नहीं चला।

एक और कमेटी का जिक्र उन्होंने कर दिया। श्री राजाराम जी शास्त्री उसमें जांच करेंगे। तो कमेटियां बनती जाती हैं। सरकार उनकी सिफारिशों पर साल दो साल तक विचार करती रहती है, लेकिन उनको लागू नहीं किया जाता। निम्नतम वेतन के सिलसिले में अधिनियम १९४८ में पारित हुआ। सन् ५१ में १२ जिलों में वह लागू किया गया। इसके बाद पुनरीक्षित करने के लिये दूसरी कमेटी बनाई गई। मार्च सन् ६० में उसकी रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन आज तक सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि वह उस रिपोर्ट को प्रकाशित कर सके, कार्यान्वित करना तो दूर रहा। जहां पर लागू किया वहां सन् ५१ में खेतिहर मजदूरों को जो सुविधायें प्राप्त थीं उनको वापस ले लिया और जहां पर कि बड़े-बड़े फार्म्स थे लगभग साढ़े ५ हजार के, उनसे भी इसको वापस ले लिया। छोटी-छोटी जगहों पर इसको लागू कर दिया। तो यह सब बातें इस बात को साबित करती हैं कि यहां की सरकार प्रो-एम्प्लायर है और वह मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं करना चाहती है। मान्यवर, किसी भी सफल श्रमनीति के लिये यह कहा जा सकता है कि वह अच्छे परसोनेल तैयार करती है। आप पाश्चात्य देशों की तरफ देखें--हिटलर एक राज का लड़का था, मुसोलिनी एक लुहार का लड़का था, प्रजातांत्रिक देश ब्रिटेन में रैमजे मैकडानेल्ड एक हाकर का लड़का था और अर्नेस्ट बेविन जो कि लेबर मिनिस्ट्री के जमाने में लेबर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, वह एक खदान में काम करने वाले थे। लेकिन अपने राज्य-काल के इन चौदह सालों में इस कांग्रेस हुकूमत ने क्या किसी भी मजदूर के लड़के को इंजीनियर बनाया है, किसी भी मजदूर के लड़के को क्या डाक्टर बनाया है, किसी को प्रिंसिपल या प्रोफेसर बनाया है? यह कहना कि हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक नहीं है। सरकार ने ऐसे वातावरण, ऐसे एनवायरनमेंट्स नहीं पैदा किये हैं जिससे यहां का मजदूर आगे बढ़ सके। यहां के मजदूर के लिये तो वह हालात यहां पैदा कर रखी हैं कि जिससे उसको जीवन भर अपने जीवन-यापन के लिये ही चिन्तित रहना पड़े।

मान्यवर, बड़ी चर्चा इस बात की की गई कि हमने सबसे ज्यादा कंसेज एजूकेशन में भेजे हैं। मान्यवर, यह इस बात का भी द्योतक है कि हमारे यहां इंडस्ट्रियल पीस नहीं है और

जब इंडस्ट्रियल पीस नहीं है तो मैं कोई कारण नहीं समझता हूं कि हर मामले को कंसीलियेशन में भेजें और जब सरकार मुनासिब समझे तब वह उसको ऐडजुडिकेशन में भेजे। दो पार्टियों में जब फैसला नहीं होता तो वहां इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको राहत किसी तरह से मिले और यह भी निर्विवाद है कि सदा एग्रीव्ड पार्टी मजदूर ही रहता है। जो भी मजदूरों के मामले हैं उनको एडजुडीकेशन में भेजा जाय। मालिक कंसीलियेशन मशीनरी की बात नहीं मानते हैं। आज मजदूर को जस्टिस नहीं मिल रही है, यह बात भी गलत है। आवश्यकता इस बात की है कि जितने मामले उठें उन सारे मामलों को एडजुडीकेशन में भेजा जाय। उन मामलों पर फैसला हो और मजदूर को जस्टिस मिले।

यहां पर इस बात की चर्चा की गई कि बेकारी दूर करने के लिये श्रम मंत्रालय ने बहुत तरह के कार्य किये हैं। हमारे प्रदेश में १९ लाख आदमी बेकार हैं। इन १९ लाख आदमियों की बेरोजगारी दूर करने के लिये क्या कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है, मैं उसको जानता नहीं। यहां पर सौभाग्य से प्लानिंग विभाग और श्रम विभाग एक ही मन्त्री के जिम्म ह। मेरा खयाल है कि इन १९ लाख आदमियों की बेरोजगारी को दूर करने के लिये यह नियोजन विभाग अवश्य ही कोई कार्यवाही कर रहा होगा। जिस समय श्रम मन्त्री जी इस बहस का उत्तर देंगी तो मुझे विश्वास है कि इस बात पर प्रकाश डालेंगी कि हमारे प्रदेश में १९ लाख आदमियों की बेरोजगारी दूर करने के लिये कौन तरीका अपनाया जा रहा है। इन १९ लाख आदमियों की बेरोजगारी से हमारे प्रदेश की इकानामी को कितना नुकसान पहुंच रहा है, इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। १९, २० करोड़ रुपये की आदमनी बढ़ाने की कोशिश की जाती है, किन्तु इतने आदमियों को काम न देने से लगभग ३८ लाख रुपये रोज की क्षति इस प्रदेश को हो रही है। इस प्रकार से मैं जानना चाहता हूं कि इन १९ लाख आदमियों की बेकारी को दूर करने के लिये क्या तरीका अपनाया जा रहा है?

मान्यवर, यह सरकार सरकार ही नहीं है बल्कि माडल इम्प्लायर भी है। कानपुर की बिजली कम्पनी है। उसको नेशनलाइज किया गया है। सरकार ने उसको अपने हाथ में लिया है। डेढ़ दो साल पहले इस बात की व्यवस्था की गई थी कि हर.....

श्री मोतीलाल अवस्थी—इस समय सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री भगवतीसिंह विशारद—मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार केवल सरकार ही नहीं है, बल्कि एक माडल इम्प्लायर भी है। इस प्रदेश में कुल ३७ अन्डरटेकिंग्स हैं जिनमें वर्क्स कौंसिल बननी चाहिये लेकिन २३ जगहें वर्क्स कौंसिल बनी हैं और १४ जगहों में अभी नहीं बन सकीं। कानपुर की जो बिजली कम्पनी है जिसको नेशनलाइज किया जा चुका है, सरकार अब उस कम्पनी का संचालन कर रही है और वहां पर पिछले २ वर्ष से निरन्तर इस बात की कोशिश की जा रही है कि वर्क्स कौंसिल बने लेकिन यहां के अधिकारी और यह सरकार इसे मुनासिब नहीं समझती है। इस हाउस में यह जवाब दिया गया कि वहां पर स्थान नहीं है इसी वजह से वहां पर कौंसिल नहीं बन रही है। प्रतिनिधियों को इस बात का पता नहीं चलता है कि कौंसिल वहां पर बनेगी या नहीं। वहां पर इसकी स्थापना न करके सरकार मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं कर रही है।

एक तरफ वह मजदूर हैं जो बड़ी-बड़ी फैक्टरियों में, बड़े-बड़े कारखानों में काम करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो संगठित नहीं हैं और छोटे-छोटे कारखानों में, दुकानों में, बाजारों में काम करते हैं। इन दुकानों, बाजारों और छोटे-छोटे कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की जो स्थिति है वह इतनी दयनीय है, कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हमारे प्रदेश में ऐसे लोगों की संख्या लगभग १०, १५ लाख है, लेकिन इन मजदूरों के हित की रक्षा करने का कोई भी इन्तजाम नहीं है और न सरकार की तरफ से कोई ऐसी मशीनरी है कि

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

जो इस बात की जांच करे कि उनके सम्बन्ध में जो कानून बनाये गये हैं उनका सही रूप में पालन हो रहा है या नहीं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि शाप्स ऐंड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट को लागू हुए इतने दिन हो गय हैं, लेकिन क्या सही रूप में उसका पालन होता है? अगर सरकार या उसके अधिकारी उसके सही रूप में पालन होने की बात कहते हैं तो वे मेरे साथ चलें, मैं किसी भी छुट्टी के दिन उनको बाजार में सौदा खरिदवा दूंगा और कर्मचारियों को काम करते हुए दिखला दूंगा। छुट्टी के दिन कर्मचारियों से काम लिया जाता है, काम के नियत घंटों से अधिक उनसे काम लिया जाता है और मुसीबत यह है कि वे बेचारे कंसीलियेशन से आगे जा भी नहीं सकते। स्वदेशी काटन मिल के मजदूर का मामला कंसीलियेशन से आगे भी जा सकता है, लेकिन उसके जो मैनेजिंग एजेंट हैं उनके कर्मचारी का मामला कंसीलियेशन से आगे नहीं चल सकता। तो इससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार की नीति यह है कि छोटे कर्मचारी, जो संगठित नहीं हैं, जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, उनके हितों की उपेक्षा की जाय। पिछले दो वर्षों से लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है कि शाप्स ऐंड कामर्शियल ऐक्ट में परिवर्तन किया जायगा, लेकिन आजतक किसी तरह का भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह आवश्यक है कि सरकार उसमें शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक परिवर्तन करे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मदन पांडे जी के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्रीमन्, माननीय श्रम मंत्री महोदया ने अपने भाषण में श्रम मंत्रालय की बहुत सी कार्यवाहियों की तरफ आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित किया। मुझे तो इस साल सब से पहली बात जो खली वह यह कि इस साल इस मंत्रालय की कोई रिपोर्ट नहीं छपी है। पता नहीं दूसरे सदस्यों को मिली है या नहीं, मिली हो तो मुझे बतावें....

कई सदस्य--मिली है, मिली है।

श्री उग्रसेन--लेकिन मुझे नहीं मिली। आपको मिली होगी।

मुझे इसमें खास तौर से जो बात कहनी है वह यह कि श्रम विभाग का सब से बड़ा कार्यालय श्रम आयुक्त का है जो कानपुर में है। कानपुर में सब से बड़ा आर्गनाइजेशन टेक्सटाइल मजदूरों का है और आज जितना बड़ा संकट उनमें है उतना बड़ा संकट प्रदेश के और मजदूरों में नहीं है। उनकी सब से बड़ी समस्या, मैं एक बार सदन में कह भी चुका हूं आज फिर दोहराना चाहता हूं, यह है कि उन ४५ हजार मजदूरों में ११ हजार एवजीदार हैं। वहां के जो बड़े-बड़े मिल मालिक हैं, एलगिन मिल, विक्टोरिया मिल, स्वदेशी काटन, लक्ष्मी रतन, एथर्टन वेस्ट, टेक्सटाइल, कानपुर काटन, म्योर आदि के, वे रेगुलर मजदूरों से काम नहीं लेते, बल्कि काम ठेके से लिया जाता है। अंग्रेजी जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ कि उन मजदूरों को ठेके पर काम दे दिया जाय। १९४७ से जो सांचे खाली हैं उनकी पूर्ति आज तक नहीं हुई है। दो-दो, तीन--तीन आदमी जिन सांचो पर, जिन जगहों पर काम करते थे आज उनकी जगह पर एक आदमी काम करता है और फ़िक्स्ड रेट पर उनको दाम दे दिया जाता है। श्रम कानून के हिसाब से जो थोड़ी बहुत सुविधा उन मजदूरों को मिल सकती थी वह भी इस प्रकार से नहीं मिल पाती। यह ठेके की बड़ी बुरी बीमारी है और मिल मालिक ने सरकार की छत्रछाया में जो यह काम शुरू कर दिया है उससे टेक्सटाइल का मजदूर पिस रहा है और पांडेजी जानते हैं कि यह बीमारी चीनी मिलों में भी फैलती जा रही है। पूर्व और पश्चिम, सभी जगह की चीनी मिलों में यह बीमारी बढ़ रही है। मिल-मालिक मजदूरों को उन के हक-हकूक न दे कर, उन्हें एवजीदार मजदूर बना कर जो उनके श्रम की चोरी कर रहा है और अपनी तिजोरियों को भर रहा है, यह उचित बात नहीं है। मिल-मालिक कहता है कि हमें बड़ा नुकसान हो रहा है और उसकी वजह से जो सुविधा मजदूर को देनी चाहिये वह देने काबिल नहीं है। अगर उनको नुकसान हो रहा है तो वह बड़ी-बड़ी मिलें क्यों

खरीद रहा है ? कानपुर में ऐसे भी मिल-मालिक हैं जिनके डेलीगेशन विदेशों में गये हैं और वे यह कोशिश कर रहे हैं कि विदशों में अपनी पूंजी लगायें। मगर यहां यही कहा जाता है कि घाटा हो रहा है उनको। अगर घाटा है, तो मेरा सुझाव है कि चीनी और कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। सरकार ने जो एथर्टन मिल अपने अधिकार में कर रखा है उसमें इस योजना को लागू किया जाय।

मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रबन्ध में मजदूरों का हिस्सा दिया जाय, इसके लिये स्वर्गीय बल्लभभाई पटेल, श्री गुलजारीलाल नन्दा और खांडूभाई देसाई ने काफी जोर दिया है और अहमदाबाद में इस बात पर तेजी से विचार भी किया जा रहा है। उन्होंने ही इसकी नींव डाली है। वहां इस बात का विचार किया जा रहा है कि किस तरह से प्रबन्ध में उनको हिस्सा दिया जाय। हमारे यहां भी माननीय मंत्री जी को इस प्रश्न पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिये।

यह भी कहा जाता है कि उत्पादन में घाटा हो रहा है। श्रीमन्, बद्रीनाथ तिवारी ने एलगिन मिल के बारे में संराधन अधिकारी, कानपुर, को लिखा कि वहां पर २५ से ४५ फीसदी तक लोग उत्पादन में चोरी करते हैं। कोई कार्यवाही उनके लिखने पर भी नहीं हुई, उन्होंने यही कहा कि इसके लिये थाने में रिपोर्ट कर दो। यूनियन की तरफ से भी शिकायत आती है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती। मैं कहता हूं कि कानपुर में कम से कम इस तरह की बातों को समाप्त किया जाय। मैं कहता हूं कि सरकार अगर सही बात का पता लगाना चाहती है तो वह घाटे वाली एक मिल को ले ले और मुनाफे वाली १० ले ले और फिर इसका पता लगाये कि घाटा ह या मुनाफा है। और कोई चारा इसके लिये नहीं हो सकता है।

आप चमड़े के मजदूरों को देखिये, जूट के मजदूरों को देखिये, और दूसरे मजदूरों को देखिये, आपको मालूम होगा कि उनकी हालत क्या होती जा रही है। १९३६ में एलगिन मिल में जो मजदूर एक सांचे पर काम करता था, उसको ४५ रुपये वेतन मिलता था, आज वह दो मशीनों पर काम करता है, उसको १८ रुपये, मंहगाई के अतिरिक्त, वेतन मिलता है। वे लोग टी०बी० के शिकार होते चले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मजदूर आज आपको टी० बी० के शिकार मिलेंगे। एक दिन में १७–१८ मजदूर टी० बी० अस्पताल में भर्ती होते हैं। उनको वहां पर जगह नहीं मिलती है। अगर आप उनको तनख्वाह नहीं दे सकत हैं, अगर आप उनको जीने के लिये सुविधायें नहीं दे सकते हैं, तो उनको मरने के लिये तो कम से कम सुविधायें दीजिये। आप भुवाली में बेड्स क्यों नहीं बढ़ा देते ? टी० बी० का एक अलग से अस्पताल क्यों नहीं कानपुर में खोल देते ? सबसे ज्यादा टी० बी० के मरीजों की संख्या आपको कानपुर में मिलेगी।

अब गोरखपुर के गीता प्रेस को लीजये। गोरखपुर में गीता प्रेस है। वहां से एक लाख "कल्याण" हर महीने छपता है और राम भगवान आदि के फोटो छापे जाते हैं। कपड़ा, जूता, लकड़ी, बिजली आदि बनाने वाले मजदूरों की तो दशा दयनीय है ही, किन्तु अब भगवान बनाने वाले मजदूरों की दशा भी उनसे ज्यादा गिरी हुई है। जरा सरकार गौर तो करे इस पर। सारा धन सीता राम दफ्तरी खाता, गोपालराम दफ्तरी खाता, तथा अन्य खातों के द्वारा जालान ब्रदर्स की जेबों में चला जाता है जो मजदूरों का धन लूटा जाता है। यह धन गीता गार्डेन और ऋषिकेश के आनन्द भवन पर खर्च हो रहा है। वहां के सभी ८०० मजदूर अस्थायी हैं और उनका कोई ग्रेड भी नहीं है। जब चाहते हैं उनको निकाल देते हैं। माननीय मंत्रीजी इसकी जांच केलिये कम से कम एक कमेटी तो बिठायें और इन सारी बातों की जांच करायें।

यूनाइटेड टाकीज, गोरखपुर के मजदूरों के लिये २८ हजार का एवार्ड लेबर कोर्ट से हुआ। सरकार क्यों नहीं वह पैसा उन मजदूरों को दिला रही है ? मालिक लोग वह पैसा उनको नहीं दे रहे हैं।

[श्री उग्रसेन]

अब जरा पब्लिक सेक्टर को देखिये। वाराणसी में जो साहू केमिकल्स फैक्ट्री है, वहां शान्तिप्रसाद जैन ने क्या किया? डबल काम लेते हैं, पूरा काम लेते हैं, ओवरटाइम का एक पैसा नहीं देते। आजकल छटनी लगी हुई है और मजदूरों में आन्दोलन है और जब कहते हैं तो सरकार के अफसरान कहते हैं कि रेफरेंस दीजिये। रेफरेंस के ४ (के) में लिखा हुआ है कि जब सरकार की यह राय होगी कि कहीं डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है... डिस्प्यूट है, यह बात नहीं है, जहां कहीं लेबर डिस्प्यूट हों वहां रफरेंस दीजिये उन्हें, कभी बादशाह सलामत खुश ही नहीं होंगे। तो पब्लिक सेक्टर के मजदूर अस्थायी हैं, उन पर मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू नहीं है। हमने बार-बार कहा कि परिवहन के कर्मचारियों पर, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारियों पर कानून लागू कर दीजिये, रिहंड के मजदूरों पर लागू कीजिये, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। मिनिमम वेजेज कमेंटी के सदस्यों ने कहा था कि १०० एकड़ से बड़े फार्म में पश्चिमी जिलों में मजदूरों की मजदूरी ४५ रुपया महीना और पूर्वी जिलों में ३७ रुपया महीना और १०० एकड़ से कम वाले में पश्चिमी जिलों में ३७ रुपया और पूर्वी जिलों में ३२ रुपया होनी चाहिये, लेकिन गवर्नमेंट ने ऊपर वाले लागू नहीं किये, नीचे वाले लागू कर दिये। ११ शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज हैं जिनमें मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू नहीं है, जबकि इस सम्बन्ध में सर्व-सम्मति से रिपोर्ट है कि लागू होना चाहिये। आज भदोही के गलीचे बनाने वाले मजदूरों की क्या हालत है? एक ट्रेड यूनियन है प्राइवेट, वजीर बख्श कम्पनी, उसकी बात यहां आयी थी कि एक मजदूर मर गया और उन्होंने यह कह दिया कि वह हमारे यहां का नहीं था, दूसरी जगह का था। तो पब्लिक सेक्टर में मजदूर की बुरी हालत है और मंत्रालय चुप है, कोई सुनवाई नहीं है।

अगर मजदूरों को राहत पहुंचानी है तो "इनटक" और "ऐटक" का भरोसा हम नहीं कर सकते और कोई नहीं कर सकता। सभी यूनियनों में रेफ्रेन्डम होना चाहिये, फेडरेशन में भी रेफरेंडम करा लें। अगर हम हार जाते हैं, चाहे यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर यूनियन हो या फेडरेशन हो, अगर हम हार जाते हैं तो हम उनकी बात मान सकते हैं। पहले चीनी मिलों में "इनटक" की कौंसिल बनी तो बहुमत की नहीं बनी और आज भी लोग कहते हैं कि "इनटक" का जहर देहली में घोला गया...

श्री उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त हो गया।

आपने शिकायत की थी कि श्रम विभाग की रिपोर्ट नहीं मिली आपको, लेकिन २३ मार्च को १६ प्रतियां आपके दफ्तर में पहुंचा दी गयी हैं, श्री रामेश्वरसिंह ने दस्तखत किये हैं।

श्री उग्रसेन—वहां से लिख कर आया था अभी छपी नहीं है।

*श्री जोखई (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि बहुत परेशानी के बाद मुझे समय मिल गया। मैं आज श्रम विभाग के बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मेरा क्षेत्र बहुत जंगली एरिया में है। वहां जंगली एरिया में कुछ ग्रामोद्योग चलाने के बारे में मैं माननीया मंत्राणी जी को कुछ सुझाव दूंगा। इलाहाबाद जिले में तहसील मेजा में एक चर्म उद्योगशाला खोलने की मेरी सिफारिश है। क्योंकि जितने चमड़े हैं वह सब कानपुर में बड़े-बड़े धनियों के यहां चले जाते हैं और गरीब बेचारे अपने कंधों पर, मूड़ों पर ढो कर स्टेशन पर ले जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। मेजा तहसील में पुरांव बाजार है, वह कस्बा है, वहीं खोला जाय तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि वहां ज्यादा जानवर हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दसरा सुझाव यह है कि जंगली एरिया में कुछ शहतूत के पेड़ बोये जाते हैं। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कुछ पेड़ तो रेशम के कीड़ों के खाने के लिये शहतूत के वहां पाये जाते हैं और कुछ सरकार की सहायता से लगाये जा सकते हैं। वह इसका प्रबन्ध करें जिससे भूमिहीन मजदूरों को कुछ रोजी मिल जावेगी। यह हम नहीं कह सकते कि वहां की जलवायु में कीड़े पाले जा सकते हैं या नहीं, इसके लिये सरकार मालूम करा ले।

मेरे क्षेत्र में तहसील करछना में एक चर्म-उद्योग है। हम उम्मीद करते थे कि हम गरीबों का इससे बहुत भला होगा। खास तौर से जो वहां हरिजन कहे जाने वाले चमार जाति के लोग हैं, वह इस पेशे को करते हैं। इनके अलावा कोई दूसरे लोग नहीं करते हैं। हमारे माननीय बहुगुणा जी के कर-कमलों से वह उद्योग स्थापित किया गया था, लेकिन उसमें सरकारी सहायता बहुत कम मात्रा में दी जाती है। उसका विस्तृत रूप नहीं हो रहा है, वह "ना" के बराबर चल रहा है। बहुत थोड़े से लोग उससे फायदा उठाते हैं। हमारे माननीय सदस्यों ने अभी सरकार से कहा कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिये कुछ करें। सारे प्रदेश को भोजन देने वाले मजदूर ही हैं। उनके पास रहने की भी व्यवस्था नहीं है। जिनके यहां काम करते हैं उन्हीं के घर में रहते हैं। जब नहीं काम करते हैं, किसी परेशानी की वजह से या बीमारी के कारण तो घर से भी निकाल दिये जाते हैं। ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन सरकार के पास आईं कि उनसे जबरन काम कराया जाता है, मजदूरी नहीं देते हैं, उनसे बोनस लेते हैं। जैसे सरकारी कर्मचारियों को सरकार बोनस देती है, उसके बिलकुल विपरीत उनसे बोनस गांव की सरकार लेती है। मैं विवरण के साथ बताऊंगा कि कैसे लेते हैं। उनके पास कोई जमीन तो है नहीं। उनको ५० रुपये कर्ज देते हैं और ५०० बनाकर उनसे बोनस लेते हैं, जब वे मजदूरी करने से इन्कार कर देते हैं। कहते हैं कि इतना रुपया दो, और अगर नहीं देते हो तो घर भी छोड़ दो। ऐसी बहुत सी शिकायतें सरकार के पास आईं हैं। मैं अपोजीशन के माननीय सदस्यों से कहूंगा, वे मजदूरों के बहुत हमदर्द बनते हैं, बड़ी-बड़ी यूनियनों के बारे में उन्होंने बातें कीं। एक हमारे हरिजन भाई ने तो भूमिहीन मजदूरों के बारे में कुछ थोड़ी सी बात की, नहीं तो दूसरों ने तो कानपुर की कम्पनी की और फलानी और ढिकानी कम्पनियों की बातें कहीं। वोट आपको उन्हीं से मिलता है इसलिये और ज्यादा गरम होते जा रहे हैं चूंकि सन् ६२ नजदीक आ रहा है। वे उनके ज्यादा शुभचिन्तक हैं लेकिन उनसे कई गुने हम हैं जो परेशान रहते हैं कि उनका उत्थान कैसे हो, कैसे गांव में समानता की स्थिति में वे आवें और मनुष्य गिने जावें।

मंत्राणी जी से मेरा सुझाव है कि उनके रहने की व्यवस्था नहीं है, यह कराने की कृपा करें। सबसे पहले उनके रहने की गांव में व्यवस्था होनी चाहिये। जब बिगड़ते हैं तो घर से निकालने की धमकी देते हैं। जहां कहीं आबादी नहीं कटी है, वहां हमारे माल मंत्री जी से सिफारिश की जाय कि उनकी आबादी कटकर वे उस गांव के बाशिन्दे गिने जावें। एक और बात है। उनके ऊपर मुकदमे कायम होते हैं। १०० रुपये के नीचे उन पर नालिश हो जाती है, अदालती पंचायत में और २ गवाह पकड़ कर, गवाही होकर मुकदमा उनके खिलाफ हो जाता है। हमारे क्षेत्र में कम से कम बीसों ऐसे मुदकमें दायर हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें गैरकानूनी करार दिया जाय। और मैं ज्यादा सुझाव क्या दूं?

*श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—उपाध्यक्ष महोदय, श्रमिकों की जो इस प्रदेश में दशा है वह वास्तव में कहने से कहीं ऊपर है और जितनी उनकी मुसीबतें और रुकावटें हैं जिन पर इस सदन में विचार हो रहा है, मैं भी उसके बारे में कुछ अपने विचार बताना चाहता हूं। खास तौर से खेतिहर मजदूरों का बहुत जिक्र आया है। वास्तव में उनकी दशा बहुत ही दयनीय है। एक भाई ने तो यहां तक बतलाया कि गाजीपुर जिले में १ आना और १।। आना तक मजदूरी मिलती है। सम्भव है कि यह ठीक हो। लेकिन मैं मंत्राणी जी को यह बताना चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलदेवसिंह]

हूं कि आखिर इसका सुधार हो कैसे, यह काम कैसे चलेगा, कैसे इन्हें ठीक मजदूरी मिल पावेगी। जहां बेरोजगारी की संख्या १९ लाख बताई गई वहां जो कम काम पाते हैं या जिनके पास दिन भर का काम नहीं है, केवल थोड़े समय काम करते हैं, अगर उनको भी जोड़ा जाय तो बड़े बड़े जिलों में उनकी संख्या लाखों में हो जायगी। वे बेचारे रात-दिन मजदूरी की तलाश करते हैं। भूखे और नंगे होने पर कहीं थोड़े से पैसे में वे काम करने चले जाते हैं। इसलिये जब तक बेकारी की समस्या हल नहीं की जायगी तब तक मजदूरों की हालत कुछ सुधरे, यह नामुमकिन सी चीज नजर आती है। गोरखपुर और देवरिया के लोग, मुझे मालूम है, आसाम में लकड़ी चीरने का काम करते हैं। वे उधर जाकर नाव चलाते हैं। अगर उनको अपने जिले में काम मिल जाता और मजदूरी ठीक मिलती तो क्यों वे इतनी दूर अपना घर छोड़ कर जाते? मैं पिछली दफा आसाम गया था तो मुझे सदिया के करीब गोरखपुर के लोग मिले। नाव चलाने वाले और लकड़ी चीरने वाले मजदूर मिले। २६ रुपये मिनिमम वेजेज ऐक्ट के मुताबिक होते हैं, रजिस्टर भी बने हैं, लेकिन बहुत सी जगह रजिस्टर फर्जी होते हैं और उनको वास्तविक रूप से कुछ नहीं मिलता है। अगर मजदूर को कहीं दूसरी जगह ऐसी सम्भावना हो कि इससे अधिक मजदूरी पा सकता है तब उसकी मजदूरी बढ़ सकती है वरना नहीं बढ़ सकती है। जब तक बेकारी फैली हुई है, प्रदेश में उद्योग-धंधे नहीं खुलते, तब तक श्रमिकों को काम नहीं मिलेगा और काम के बिना जब वह भूखों मरने लगेंगे तो जितने पर भी उनको काम मिलेगा वह करने के लिये बाध्य होंगे। मान्यवर, खेतिहर मजदूरों की हालत तो यह है कि खेतिहरों की भी हालत अगर देखी जाय तो न तो खेतिहर के पास वस्त्र हैं और न मजदूर के पास वस्त्र हैं। दोनों की हालत गिरती जा रही है। मान्यवर, आपने देखा होगा कि सामूहिक सहकारी खेती का बिल इस सदन में आ रहा है उसमें साफ तौर से जिक्र है कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू नहीं होगा। वहां मजदूर अगर चार पैसे भी नहीं पायेंगे, वही शीरे का शर्बत लोटा भर दे देंगे तो उससे भी काम करना पड़ेगा। वहां वेजेज ऐक्ट नहीं लागू होगा।

हमारे जिले में भी चीनी के चार मिल हैं। वहां पर पहले काफी लोगों को काम मिल जाता था और वह अपनी जीविका कमा लेते थे। लेकिन जब से मिनिमम वेजेज ऐक्ट पास हुआ कि ५५ रु० से कम न दिया जाय तो मिल-मालिकों ने दूसरा तरीका अपनाया। मिलों में जितना भी माल का लोडिंग और अनलोडिंग होता है, शकर के बोरों का लोडिंग और अनलोडिंग का काम होता है, मिल में मिट्टी डालने का काम होता है या खोई निकालने का जो काम होता है वह सारा काम ठेके पर कर दिया गया है। और जो ठेकेदार ठेका ले लेता है वह मजदूरों को आठ आने, दस आने पैसे भी नहीं देता है। फिर भी हालत यह है कि गरजमन्द मजदूर उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं और चाहते हैं कि काम मिल जाय। इसलिये जिस दाम पर वह चाहता है मजदूरों से काम करवा लेता है। यह सरकार की नीति के कारण हुआ। पहले अंग्रेजी राज्य में उन पर प्रतिबन्ध था, वह ठेके से काम नहीं ले पाते थे। लेकिन आज कोई मिल-मालिक इन कामों के लिये मजदूर नहीं रखता, क्योंकि अगर नौकर रखे तो वेजेज ऐक्ट के अनुसार ५५ रु० देने पड़ें। तो मान्यवर, मैं सरकार से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस धांधागर्दी को, जिसके शिकार मजदूर हो रहे हैं, रोकना चाहिये।

मान्यवर, जैसा कि और जगहों पर नियम है, अध्यापकों तक के लिये नियम है कि अगर वह एक साल तक बराबर पढ़ा लिये तो दूसरे साल कन्फर्म हो जाते हैं, लेकिन बेचारा मजदूर चाहे १२ साल भी बराबर काम करता रहे लेकिन उसे मुस्तकिल मजदूर नहीं कहा जा सकता। जहां जहां भी इस सरकार के कदम पड़े हैं वहां बेकारी बढ़ती चली गई है। मैं अपने जिले का ही हाल बतलाता हूं। हमारे गोंडा जिले में बड़ा भारी जंगल है। उस जंगल से पहले मजदूर गिरी पड़ी लकड़ी बीन कर बाजारों में बेच लेते थे जिससे उन्हें रुपया, १२ आना मिल जाता था और उनकी बसर हो जाया करती थी। लेकिन इस राज्य ने उन मजदूरों को लकड़ी बीनने से रोक दिया। इसी प्रकार से हमारे यहां बड़े बड़े तालाबों और घाघरा, सरयू, राप्ती नदी

के किनारे मछुए बसे थे जो कि मछली मारकर अपनी जीविका कमा लेते थे, लेकिन वह सारे तालाब और नदियां इस सरकार के आडम्बर में आ गईं और उन मछुओं को अधिकार नहीं रह गया कि वह नाव लेकर जायं और अपना जीविकोपार्जन कर सकें। अब उन मछुओं के चालान हो जायं, अगर वह जायं। उनका कोई ठिकाना नहीं रह गया है।

मान्यवर, अभी परसों बड़े जोर से एक बात कही गई कि सरकारी कर्मचारियों की भी वही दशा है अगर आप रोडवेज में जाकर देखें। वहां सैकड़ों किस्म के नौकर ऐसे हैं जिनको मिनिमम वेजेज भी नहीं मिलते। मेहतर की तनख्वाह ५-६ रुपया है। इसी तरह से चौकीदार भी ५-६ रुपया पाते हैं और रात भर चौकीदारी करते हैं और सरकार कहती है कि पार्ट-टाइम नौकर हैं।

दूसरे जो १९ लाख की संख्या है, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि यह आंकड़े सही नहीं हैं और मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में इन बेकारों की संख्या कम से कम ५० लाख होगी। कानपुर, गोरखपुर, बस्ती, बलिया, देवरिया का आगणन करें तो डेढ़-डेढ़ लाख और दो-दो लाख लोग मिलेंगे जो मजदूरी के लिये तरसते हैं। और अगर एक मजदूर की जगह या खलासी की जगह या पाइंट्समैन की जगह खाली हो तो २००-२०० और ३००-३०० रुपया रिश्वत देने को तैयार हो जाते हैं और सोचते हैं कि चार-छः महीने की तनख्वाह चली जाय, लेकिन काम तो मिल जाय। इतनी बेकारी की समस्या हमारे यहां है।

श्रमिकों की स्थिति बड़ी दयनीय होती चली जा रही है। अभी माननीय उग्रसेन जी ने कहा था कि कानपुर में टी० बी० जोर पकड़ रही है। कानपुर में ही नहीं, आप हमारे जिले की मिलों को देख लें। सुबह के वक्त हर मिल के गेट पर हजार, पांचसौ आदमी आकर बैठ जाता है और इस इंतजार में रहता है, कि कोई मजदूरी मिल जाएगी। अगर कोई मजदूर गैर-हाजिर हो जाता है,तो एवजी पा जाता है वरना ठेकेदार के यहां चला जाता है तो आठ आने से अधिक नहीं पाता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि यह प्राब्लम मामूली नहीं है और जब तक आप बड़े उद्योग-धंधों और कारोबार से देश के श्रमिकों की हालत नहीं सुधारेंगे तब तक देश का कल्याण होने वाला नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मदन पांडेय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करता हूं। श्री मदन पांडेय जी की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उससे मुझे आश्चर्य होता है कि जिन मजदूरों के बारे में माननीय सदस्य ने एक प्रकार से यह भर्त्सना की कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है उन्हीं के अनुदान के लिये उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, यह उचित नहीं मालम होता है।

श्रीमन्, दो तरह के मजदूरों का वर्णन किया गया है, जिनमें से एक वह हैं जो कि मिल और कारखानों में या ऐसी जगहों में काम करते हैं जहां उनको रुपये के रूप में वेतन मिलता है। उनको जो वेतन दिया जाता है उसके बारे में सभी लोगों ने कहा कि कम वेतन दिया जाता है। कम तो जरूर दिया जाता है लेकिन इतना जरूर है कि उनको कुछ पैसा मिल जाता है जिससे शाम को रोटी खा लेते हैं। लेकिन जहां तक उनके परिवार का, रहन-सहन का, बच्चों के पठन-पाठन का सवाल है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाय तो हमें यह सोचना होगा कि वह किस प्रकार से अपने रहन-सहन को ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार बच्चों को पढ़ा सकते हैं और किस प्रकार परिवार का भरण-पोषण कर सकते हैं और किस प्रकार आज के संसार में, जोकि तेजी के साथ बढ़ रहा है, अपना हाथ बटा सकते हैं। अगर उस तरफ सरकार ध्यान नहीं देगी तो सदियों बीत जाने पर भी वह उसी जगह पर पड़े रहेंगे।

उनके मकान की बड़ी भारी समस्या है। अभी मुझे कानपुर जाने का मौका मिला और मजदूरों से मिलने का मौका मिला। उन लोगों के मकानों को देखा जाय तो पता लगता है कि

[श्री रामसमझावन]

एक कोठरी में ८-८, १०-१० और १५-१५ लोग रहते हैं। उसी जगह खाना बनाते हैं और रात को चटाई बिछाकर सो जाते हैं। मकान के बगल में ही नाली है। बदबू आती है। कहने का मतलब यह है कि रहने का उचित ढंग का प्रबन्ध नहीं है। मजदूर से यदि काम लेना चाहते हैं तो यह भी आवश्यक है कि उनके रहने के लिये क्वार्टर्स अवश्य बनाये जायं। मुझे कुछ ऐसी बस्तियों को देखने का मौका मिला है जिनके बारे में अब सरकार द्वारा आयोजन किया गया है कि उनको अब गिराकर फिर से उन पर मकान बनाये जायं। लेकिन यहां यह शिकायत है कि ये मकान जब बन जाते हैं तो उन लोगों को नहीं मिलते हैं जो मजदूर हैं, गरीब हैं, बल्कि उन लोगों को मिलते हैं जिनके पास सिफारिश है या जो अधिक किराया दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बस्तियां जब बनायी जायं तो पहले मजदूरों को ही मकान दिये जायं, बाद में किसी दूसरे को दिये जायं।

मजदूरों की दवादारू का भी प्रबन्ध मिलमालिकों को ही करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त अब तक खेतिहर मजदूरों की तरफ जिनके बारे में इधर और उधर के सभी लोगों ने चर्चा की है, कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह वह मजदूर हैं जो खेतों पर काम करते हैं जिनकी संख्या, जो खेत के मालिक हैं जिनके खेत हैं, उनसे कहीं अधिक है। वे परिश्रम से उनके खेतों पर काम करते हैं लेकिन उनकी क्या हालत है? जैसा अभी बताया गया कि पूर्वी जिलों में मजदूरी के लिये प्रायः १ सेर अनाज दिया जाता है, क्योंकि गांवों में पैसे में मजदूरी देने का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन वह और उनका परिवार उस गल्ले से पेट नहीं भर सकते। फिर भी वे परिश्रम करते हैं और उसी मजदूरी पर संतोष करते हैं। सरकार के जो कानून बने हुये हैं वह मिलों और कारखानों के लिये ही बने हुये हैं, लेकिन खेतिहर मजदूरों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि यदि सरकार चाहती है कि सचमुच देश में गल्ले का उत्पादन बढ़े तो उसके लिये यह आवश्यक है कि उन मजदूरों की तरफ ध्यान दे जो खेतों पर काम करते हैं। वे भूखे पेट खेतों पर काम करते हैं और बिना भेट भर अन्न पाये वह उतना परिश्रम नहीं कर सकते जितना उनको करना चाहिये। उनको खाने को नहीं मिलता है। यदि अधिक से अधिक भोजन उनको मिले तो वे अधिक से अधिक काम कर सकें और इसका परिणाम तब यह होगा कि देश का उत्पादन बढ़ेगा और देश की तरक्की होगी। गांव में जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी के सम्बन्ध में शीघ्र कानून बनना चाहिये। इस सम्बन्ध में यह भी नियम होना चाहिये कि एक कमेटी उनकी जांच के लिये नियुक्त की जावे जो सरकार को रिपोर्ट देती रहे कि उनके लिये जो श्रमिक कानून बनाये गये हैं और जो मजदूरी उन मजदूरों के लिये नियुक्त की गयी है, सचमुच उनको दी जाती है या नहीं।

इसके अलावा जो सरकारी कमेटी वगैरह बनायी जाती हैं जैसा कि सरकार ने एलान किया है कि वह कोई कमेटी बनाने वाली है जिससे मिनिमम वेजेज आदि के बारे में जांच हो सके, लेकिन जहां तक मेरा खयाल है उन सब में ऐसे लोग रखे जाते हैं जो या तो मिलमालिकों से सम्बन्ध रखने वाले हों या ऐसे लोग हैं जिनका पेट भरा हुआ है। अब ऐसे लोग गांवों में जाकर छोटी छोटी बातों की जानकारी करना अच्छा नहीं समझते और रिपोर्ट दे देते हैं कि ठीक है। मेरे खयाल में किसी कमेटी ने आज तक सही ढंग पर यह रिपोर्ट नहीं दी है कि १ आने या डेढ़ आने या चार आने मजदूरी पूर्वी जिलों में गांवों में दी जाती है। शायद किसी ने भी नहीं दी होगी और इसीलिये सरकार को उसका इल्म भी नहीं होगा। तो ऐसी कमेटियों में ऐसे लोग रखे जायं जो असल में मजदूरों से हमदर्दी रखने वाले हों और उनकी हालत के जानकार हों।

इसके अलावा जो टेक्नीकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी मजदूरों के बच्चों की भरती करनी चाहिये जिससे वे वहां पर जाकर काम सीख सकें और अपनी मजदूरी करके अच्छी तरह से अपने पेट को भर सकें। इन शब्दों के साथ मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि वह गांव में रहने वाले मजदूरों की तरफ अधिक से अधिक ध्यान दे तभी देश का उत्पादन बढ़ सकता है और तभी देश तरक्की कर सकता है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उन लोगों के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं जो बेरोजगार हैं और जिनकी संख्या १९ लाख इस राज्य में बतायी गयी है। उनकी तरफ जब मैं सोचता हूं तो मुझे अपने उस मित्र की बात याद आती है जो शादी करके लौटा था। उससे मैंने पूछा "कहो अब क्या हालचाल है?" तो उसने कह कि" The fate of Indian husband is the fate of a coolie." तो मान्यवर, मैं ऐसा मानता हूं कि "Fate of the Indian unemployed is the fate of the Indian husband." बेरोजगारी आज की यह एक आवश्यक समस्या है।

हमें इस विभाग की ओर से एक पत्रिका दी गयी है प्रशिक्षण और सेवायोजन के संबंध में, उसमें बताया गया है कि १९४५ में फौज से लौटे हुए कुछ लोगों को काम दिलाने के लिये सेवा योजना कार्यालयों की स्थापना की गयी और १९५९ में राज्य सरकार ने उसको अपने अधीन ले लिया और उसमें कहा गया है कि इस विभाग द्वारा सफलता पूर्वक बेरोजगारी को हल किया गया है। लेकिन मान्यवर, अगर हकीकत जानना हो तो जो टेस्ट वर्क चल रहें हैं वहां जाकर देखिये। इन सेवायोजन कार्यालयों के बारे में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि नाम तो सरकार द्वारा बहुत अच्छे दिये जाते हैं श्रमदान, सेवायोजन, वस्तुतः यह नाम वस्तुस्थिति पर पर्दा डालने के लिये ही होते हैं। हमारे मित्र ने बताया कि १९ लाख बेकारों की संख्या होगी जब कि पत्रिका जो दी गयी है उसमें लगभग २ लाख बतायी गयी है।

ये सेवायोजन कार्यालय कई वर्षों से काम कर रहे हैं और उनके काम को आगे बढ़ाने के लिये १९५९ में कानून भी पास किया गया। उसके पास हो जाने के बाद मैं मंत्राणी जी से पूछना चाहता हूं कि जब उसमें यह दिया हुआ है, कि कोई भी एम्प्लायर बिना एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज की मरजी के किसी को नौकर नहीं रख सकता, उसमें कुछ ऐक्सेप्शन्स भी हैं, तो उनके अधीन चलने वाले विभागों का काम देने का तरीका क्या है? वे किन लोगों को काम देते हैं? केन कमिश्नर का जो महकमा है उसके मुताल्लिक में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे पिछले दिनों एक साहब मिले कि हमको रोजगार दफ्तर ने केन कमिश्नर के दफ्तर में भेजा, लेकिन जब वहां पहुंचे तो देखा कि डायरेक्ट कैंडीडेट्स वहां बहुत बड़ी संख्या में खड़े थे। आपने भी एक वक्तव्य जारी किया था और उसमें कहा था कि मैं चाहती हूं कि जिस किसी विभाग म भर्ती हो वह रोजगार दफ्तर से नाम आने पर दी जाय। कहां तक इन बातों का पालन हो रहा है, यह आपको देखना चाहिये।

इस दिशा में मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। आपने इसी पुस्तिका में जो आपने वितरित की हैं, स्वयं यह लिखा है—

"बेरोजगारी के सम्बन्ध में सही आंकड़ों के उपलब्ध न होने के कारण समस्या की जटिलता एवं दुरूहता का सही अंकन करना काफी कठिन है।"

यह सही है कि आप सही अंकन नहीं कर पाते हैं, लेकिन दिन-रात जो हमारे सामने आत्महत्याओं की रिपोर्ट्स आती हैं, उनको तो आपने देखा होगा। ये आत्महत्यायें कौन लोग किया करते हैं? क्या आत्महत्यायें बहुत से बेरोजगार नहीं कर रहे हैं?

मजदूरों के सम्बन्ध में भी बहुत चर्चा की गई। यह वेज बोर्ड बना, वह वेज बोर्ड बना प्रेस करेसपान्डेंट्स के बारे में वेज बोर्डबना लेकिन प्रेस में काम करने वाले जो तीन–चौथाई मजदूर हैं, उनके बारे में कोई वेज बोर्ड नहीं बना। लखनऊ के प्रेस कर्मचारियों का एक जलूस निकला था और उसकी एक सभा भी हुई थी। उस सभा में मुझे भी शरीक होने का मौका मिला। एक बात जानकर मुझे महान आश्चर्य हुआ कि जो लोग समाजवाद का दावा करते हैं, समाजवाद के प्रणेता कहे जाते हैं, उन लोगों का ही नियन्त्रण जिस कारखाने में होता है यानी "नेशनल हेरल्ड" में, उसमें २० रुपया मजदूर को मिनिमम वेज मिलता है। २० रुपया मिनिमम वेज उस कारखाने का मजदूर पाता है जिसकी मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती इन्द्रा गान्धी

[श्री रामायणराय]

हैं। मुझे बताया गया है कि श्रमिकों को अवकाश मिलता है, लेकिन छुट्टियों की बात तो जाने दीजिये, पहली मई की छुट्टी जो संसार के सभी देशों में मजदूरों को मिली हुई है, मैं मन्त्राणी जी से पूछना चाहता हूं कि भारतीय मजदूरों को क्या वह भी छुट्टी दी जाती है?

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मेरी समझ में यह जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज खुले हुये हैं इनमें आज जो क्लासीफिकेशन किया जाता है वह बहुत ही फाल्टी है। जो नैशनल क्लासीफिकेशन वहां होता है, एक सेक्शन क्लर्क्स का खुला हुआ है, एक नान-टेक्नीकल आदमियों का सेक्शन है जिसमें आठ दर्जा पास तक के लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं और एक सेक्शन अनस्किल्ड लोगों का है। इस तरह से जो क्लासीफिकेशन है वह बहुत ही दोषपूर्ण है। क्लेरिकल सेक्शन में अगर पता लगाया जाय तो १०वें दर्जे पास से लेकर एम० ए० तक पढ़े हुये लोगों का नाम दर्ज कराया जाता है, उसे लैबरिकल सेक्शन कहा जाता है। अंग्रेजों के जमाने में अगर यह कहा जाता तो ठीक था। लेकिन आज जब आप दावा करते हैं कि व्यक्ति के स्वभाव के अनुकूल काम देना चाहते हैं तो हमको इस क्लासीफिकेशन में आमूल परिवर्तन करना चाहिये। और अगर आप यह मानते हों कि यह विभाग बेकार है तो इसे तोड़ दीजिये। लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है एक देश में जहां योजना चल रही हो, हर प्रकार की समस्याओं के लिये योजनायें बन रही हों, उस देश में बेकारों के लिये, उन लोगों के लिये, जिनके लिये आप समाजवाद का दावा करते हैं, कोई योजना न हो यह कितना हास्यास्पद है।

सेवायोजन कार्यालय की कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों को जब तक यह एहसास नहीं होगा कि वे ह्यूमन इन्जीनियर्स हैं, उनके हाथ में यह हक है कि व्यक्ति के स्वभाव के अनुकूल काम चुन कर देंगे, जब तक ऐसा नहीं करते हैं तब तक यह कार्यालय बिलकुल बेकार है। उन कार्यालयों की तरफ सरकार जितनी उदासीन है, मैं जानता हूं। मैंने उस विभाग के बारे में जानना चाहा तो कुछ कर्मचारियों ने बताया कि यह विभाग १९५९ में प्रदेशीय सरकार के हाथ में आया। उसके बाद उस विभाग के कुछ कर्मचारी हैं जिनकी संख्या लगभग १३० होगी जिनको आप के हाथ में आने के पहले केन्द्रीय सरकार का पे स्केल मिला करता था, लेकिन आपके हाथ में जब आये तो आपने उनका पे स्केल चेंज कर दिया। उनमें भयंकर असन्तोष है। मैं तो केवल यही आग्रह कर रहा हूं, मेरी समझ में आपके हाथ में सबसे पवित्र काम दिया गया है, उन लोगों का साहस बढ़ाने का जिनके पास जीविका नहीं है। उनकी आखिर हालत क्या है?

हमारे देश में जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो माता-पिता समझते हैं कि एक दिन हमारा बच्चा कोई न कोई धन्धा पायेगा। लेकिन जब पढ़ने के बाद घर पर बेकार बैठता है तो उसके सम्बन्ध में लोग कानाफूसी करने लगते हैं, जसे एक आदमी के शादी कर लेने के बाद कई साल तक बच्चा न हो तो गांव की बूढ़ी औरतें यह सोचने लगती हैं कि इस मनुष्य में पुरुषार्थ नहीं है। यही हाल उस बेकार का होता है, अगर उसको काम नहीं मिलता तो लोग उसकी कार्य क्षमता पर सन्देह करने लगते हैं।

आपके आंकड़े देखे जांय, इस राज्य में ग्रेजुएट्स की संख्या जिनके पास काम नहीं है ६,७०० है। यह हमारे लिये और आपके लिये लज्जा की बात है और खास कर उन लोगों के लिये जो समाजवादी समाज बनाने का दावा करते हैं।

अन्त में मैं मन्त्राणी जी से कहना चाहता हूं कि बेकारी से उत्पन्न भग्नाशा को और उससे उत्पन्न जो निराशा है वह निराशा इस राज्य की शांति को अशांति में डुबा देगी। इसलिये अपने इस महत् कर्तव्य की तरफ ध्यान दीजिये, और विभाग का जो पवित्र स्थान है वह देने की कृपा कीजिये।

*श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपर)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस लेबर अनुदान की हिमायत में खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी हुई जब कि माननीया कृपलानीजी इस विभाग की मत्री नियुक्त हुई। जहां तक मेरी जानकारी है इस थोड़े से अर्से में उन्होंने काफी इस विभाग में मेहनत से काम लिया और मेरा यह पूरा विश्वास है कि अगर उनको और टाइम मिलेगा सन् ६२ के बाद तो वह विभाग वाकई में एक मजदूर विभाग होगा। इसमें शक नहीं कि मजदूर की आर्थिक, सोशल तथा मारेल दिशा में तब्दीली हुई, लेकिन जैसा होना चाहिये था वैसा नहीं हो पाया। उसके असबाब हैं और मैं थोड़े से वक्त में उन असबाब का जिक्र नहीं कर सकता। मैं अपनी सरकार का थोड़ी सी बातों की ओर ध्यान दिलाऊंगा।

पहली बात यह है कि यह मेरा कंविक्शन है कि लेबर डिपार्टमेंट ज्यादातर कारखानेदारान का पार्ट अदा करता है बनिस्बत मजदूर के। यह खत्म होना चाहिये, क्योंकि यह मजदूर विभाग है।

दूसरे, जो हमने लेबर लाज बनाये हैं, उनमें ऐसे लीकेजेज हैं जिनकी वजह से कारखानेदार फायदा उठाता है। उन लीकेजेज को हमें दूर करना चाहिये।

तीसरे, ट्रीब्युनल का एक ही बार फैसला होना चाहिये। जो मजदूर निकाला जाता है उसे ३, ४, या ५ साल तक रगड़ना पड़ता है। सरकार को इस तरफ तवज्जह देनी चाहिये। ट्रीब्युनल का एक ही बार में फैसला हो जाय चाहे वह मजदूर के हक में हो या खिलाफ हो।

एक और बात की तरफ मैं सरकार की तवज्जह दिलाना चाहूंगा कि वर्क्स कमेटीज कारखानेदारान ने कायम कीं और अब उनका वजूद नहीं। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के आर्डर्स आये हुये हैं कि हर कारखाने में वर्क्स कमेटीज कायम की जांय, लेकिन अभी तक हमारे सूबे में वह रायज नहीं हुईं। उससे यह फायदा था कि मालिक और मजदूर के बीच में वह कमेटी ठीक फैसला कर देती थी जिससे मुकदमात ज्यादा नहीं जाते थे।

थोड़ा सा मुझे ओल्ड एज पेंशन के बारे में भी कहना है। दिक्कतें बड़ी हैं। जिनको वे पेंशनें दी गईं वे सरकार के शुक्रगुजार हैं। लेकिन श्रम विभाग को जल्दी से जल्दी इस तरफ कदम उठाना चाहिये कि बहुत देर के बाद यह फैसला होता है और बुड्ढे बेचारे जा नहीं सकते।

मैं सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूँ कोड आफ डिसिप्लिन की तरफ, यानी मजदूर का डिसिप्लिन ठीक है या मैनेजमेन्ट का। रिपोर्ट यह जाहिर करती है कि मैनेजमेंट ने ३० परसेन्ट और लेबर ने २८ परसेन्ट डिसिप्लन तोड़ा है। तो मजदूर ने कम और कारखानेदारान ने ज्यादा तोड़ा है। इससे जाहिर है कि मजदूर ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता जाता है। एक और बात इसकी वजह से है। स्टैंडिंग आर्डर्स की निगरानी नहीं होती। अगर बाकयादा लेबर डिपार्टमेन्ट और मालिक उसकी निगरानी करे तो मेरे खयाल में ज्यादा बेहतर होगा। यह एक प्वाइन्ट है जो मैं देना चाहता हूं।

दूसरे, यह सब को मानना पड़ेगा कि हमारी सरकार ने टेक्निकल स्कूल्स खोले हैं और उनमें नौजवानों को तालीम मिलती है और बहुत कामयाबी के साथ वह चल रहे हैं। मैंने पिछले साल भी इनके बारे में कहा था कि इनकी अजहद जरूरत है, मजदूर की आर्थिक, सोशल और मारल हालत दुरुस्त करने के लिये। लेकिन अगर १०० लड़के ट्रेनिंग हासिल करके निकलते हैं तो उनमें से २३.३ को जाब नहीं मिलता है। वैसे कहा यह जाता है कि अगर ट्रेन्ड हों तो हम रोजगार दें। तो फिर क्या वजह है कि २३.३ को एम्प्लायमेंट नहीं मिलता? या तो उन्होंने अच्छी तरह से काम नहीं सीखा या कोई और वजह है। मैं इस तरफ सरकार की तवज्जह जरूर दिलाना चाहता हूं कि जो भी ट्रेनिंग सेन्टर से निकले उसको जवाब दें ताकि अनएम्प्लायमेंट कम हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री एस० जी० दत्त]

वर्कर्स हाउस के बारे में मुझे शिकायत थी और अब भी है। सरकार ने लाखों रुपये खर्च करके मजदूरों की रिहाइश के लिये क्वार्टर बनवाये हैं लेकिन कुछ बाहर के लोग भी उनमें आबाद हो गये हैं। किसने उनको आबाद किया, या वे कैसे आ गये, यह मैं नहीं कहता; लेकिन वे आबाद हैं।

दूसरे, हमारे कानपुर में मजदूरों को पानी की बड़ी दिक्कत हुई। उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया, बिजली का खर्च बढ़ा दिया गया। यह लेबर डिपार्टमेन्ट का काम है कि वह देखे कि पानी की कमी न हो और उसपर टैक्स न लगाया जाय। बाकी, यह जरूर है कि लेबर डिपार्टमेन्ट ने कई बातों में अच्छा काम किया है, लेकिन इसकी तरफ उसे जरूर ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, इस देश में किसान और मजदूर ही एक ऐसी हस्ती है जो इस मुल्क की आजादी को कायम रख सकती है, यह मेरा दावा है। अगर मजदूर मर जाय तो फिर इस मुल्क की आजादी, मैं समझता हूं, कोई मानें नहीं रखती। मजदूर के बच्चों की तालीम के लिये स्कूल खुलने चाहिये। इस वास्ते यह जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं नहीं जानता कि इनमें तालीम : लस टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है या नहीं, लेकिन यह जरूरी है कि मजदूर के बच्चों को यह मिले।

रही खेतिहर मजदूर की बात, तो वह अभी तक वैसे ही है। मैं इस मद में तजुर्बा रखता हूं, हालांकि अब मैं खेतिहर मजदूरों में काम नहीं करता लेकिन यह जरूर है कि मैंने हालत देखी है, खेतिहर मजदूर वही हैं और उनकी हालत बदतर होती जाती है। इस वास्ते खेतिहर मजदूर की तरफ सरकार को तवज्जह देनी चाहिये और उसकी आर्थिक और सामाजिक दशा सुधारने के लिये जो कुछ भी वह कर सकती है उसको वह करना चाहिये।

आखिर में मैं अपने भाइयों से फिर कहूंगा कि कमियां सब में होती हैं, खामियां भी होती हैं, इन्सान हैं, कामिल कोई नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि कमियों में साथ देते हुये हमें इस विभाग को इन्करेज करना चाहिये और साथ ही साथ जो हम मदद कर सकते हैं वह करनी चाहिये।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो कटौती का प्रस्ताव हमारे विरोधी भाइयों की ओर से श्रम विभाग के सम्बन्ध में पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन करते हुये श्रीमती सरकारे आलिया से कहूंगा कि मजदूरों के सम्बन्ध में जो सरकार की नीति है और जिसको आज देखते देखते १५ साल हो चुके हैं, यह कम जिन्दगी नहीं हुई है। अगर कोई बच्चा होता तो इतने दिनों में वह भी जवान हो गया होता और हमारी यह सरकार जहां पर थी वहीं पर है! मजदूर जहां थे वहां से इतनी दूर चले गये हैं और उनकी क्या दुर्दशा हो गई है इसको देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। अंग्रेजी राज्य में डेढ़ रुपये का धोती जोड़ा मिलता था जो आज १०–१२ रुपये का मिलता है। आज मजदूरों के पास कपड़े नहीं हैं। और उधर मिलें और दुकानें कपड़े से बेतहाशा भरी हुई हैं। मजदूर के पास एक दिन के लिये खाना तक नहीं है और न बर्तन ही हैं और न कुछ है, तो उसके लिये किसकी तारीफ की जाय? सरकारे आलिया की या भाग्य की या ब्रह्मा की?

मैं श्रीमन् के द्वारा सरकार से कहूंगा कि खेती के विस्तार को बढ़ाइये और मजदूर को कम कीजिये। यह जो कह दिया जाता है कि खेती में और इजाफा नहीं हो सकता तो यह सरकार के दिमाग की कमी है। मैं कहूंगा कि आप १९–२० लाख की बात कहते हैं। अभी ५–६ लाख आदमी तो खाली लखीमपुर में ही खेती में समा सकते हैं और बहुत सी परती जमीन छोड़ी हुई है। कहीं जमीन में पानी भरा हुआ है और ऊसर जमीन है लेकिन किसानों को नहीं दी जाती है। अगर किसी सरकारी नौकर ने कह दिया कि वहां जंगल है

तो उसकी बात मान ली जाती है। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि सरकार बताये कि जंगलों के बीच में कितनी जमीन पड़ी है तो उसका जवाब दिया गया कि कोई जमीन नहीं है । लेकिन कोई मेरे साथ चलता नहीं। मैं बताऊं कि लाखों एकड़ जमीन उल्ल नदी, शारदा नदी, कठिना नदी और गोमती नदी, इनके बीच में पड़ी हुई है। उन जंगलो के नाम हैं आंवरा, भीखमपुर और मुहम्मदाबाद। व्यर्थ के जंगल सरकार ने पाल रखे हैं। ३,८०० एकड़ में जगल हैं जिसमें सरकार को मुश्किल से ३०० रुपये साल की आमदनी होती है। वहां पर ५०० रुपये की एकड़ की आमदनी हो सकती है।

सरकार के दिमाग नहीं है। जो नौकर कह देते हैं वही होता है । श्रम मन्त्री जी ने जो आज यहां सुनाया है, वह उनके दिमाग की उपज नहीं है बल्कि सरकारी अधिकारियों की है। जो वह लोग कह देते हैं वही बछिया की पूंछ पकड़ कर यह लोग चलते हैं।

आजकल चारों ओर युद्ध के बादल घिरे हुये हैं और आज क्या दुनिया की परिस्थिति हो रही है, इसको यह लोग न देखते हैं और न ध्यान ही देते हैं । यह लोग हमारी बात को भी न सुनते हैं और न मानते हैं। इन लोगों को सोचना चाहिये कि इनकी क्या दशा होगी। मुझे तो कोई बात नहीं है और न मेरी जिम्मेदारी है। आज १५ साल से हिन्दुस्तान की बागडोर आपने अपने हाथ में ले रखी है और अगर कोई बात होती है तो आप की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। मैं यह कहूंगा कि यह कहावत "गुड़ लपटा" जो है वह चरितार्थ होती है। आप मेरी बात सुनते नहीं हैं। मैंने उचित कहा, लेकिन उसको अनुचित करार दे दिया। आज आपकी तरफ के कितने ही आदमी ऐसे हैं जिन्होंने सरकार की श्रम नीति की निन्दा की है लेकिन यह प्रस्ताव जब यहां पेश होगा तो सब लोग "हां" कहेंगे। अगर आपके दिमाग है और आप उचित नहीं समझते हैं तो अपना वोट न दें, सरकार सही काम नहीं करती तो उसका साथ न दें ।

सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को तो आप हर इतवार को छुट्टियां देते हैं, लेकिन किसान को कभी छुट्टी देते हैं? जिसपर हमारे प्रदेश का जीवन आधारित है उसको एक भी छुट्टी नहीं दे सकते हैं। हमारे कृषि मन्त्री जी ने उस दिन कहा था कि कृषि के आधार पर ही भारत का निर्माण हो सकता है तो भी आप किसान को एक भी छुट्टी देना नहीं चाहते हैं। किसान महीने में दो दिन की छुट्टी लेता है, अमावस और पूर्णिमा की। उसी के अनुसार आप सरकारी कर्मचारियों को भी छुट्टी दें। आप उनके अधीन हैं या वह आपके अधीन हैं ? आप ही उनके अधीन हैं जब ही उनके द्वारा बताये स्थान पर आप दस्तखत करते हैं तब सरकार को चलाते हैं। आप उनसे डरते हैं। आपके ऊपर सरकारी नौकर सवार हैं। आप छोड़ दीजिये ऐसी सरकार को जिसके ऊपर आप कन्ट्रोल नहीं रख सकते वरना आपका सरकार बनाना बेकार है। श्रीमन्, हमारा तो यह है कि....."सिजदा नहीं करेंगे उस अल्लाह के सामने, जो खुद नहीं सिजदा करे मजदूर के लिये।" ब्रह्मा ५ चीजों से दुनिया बनाता है और मजदूर भी ५ चीजों से दुनिया बनाता है—— क्षिति, जल, पावक,गगन, समीर ।

"धातु,काष्ट, मृण, अग्नि नीर से, रचें सृष्ट भौतिक शरीर से,
सरकारें संचालित करते, श्रमोनियम से क्षमा धीरे से,
किन्तु इन्हीं को क्रांति दबाते, सरकारी मगरूर,
कहां तक सहन करे मजदूर?

सहन शक्ति की भी कुछ हद है, अत्याचारों की कुछ हद है,
अधिकारों का भोग कहां तक, कुढ़ कुढ़ मरने की कुछ हद है,
हद बाहर अति इति होती है, यही प्रकृति दस्तूर।
कहां तक सहन करे मजदूर?"

[श्री बंशीधर शुक्ल]

तो मैं अध्यक्ष महोदय, मैं इस अन्धी और मूर्ख सरकार से कहूंगा कि वह सब चीजें छोड़ कर मजदूरों के आधार पर देश का निर्माण करे, तब तो यह थोड़े दिन और चल सकती है नहीं तो भारत माता की जय।

श्री मदन पाण्डेय—अध्यक्ष महोदय, मैं जितने बोलने वाले हैं उनको इसलिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक को छोड़ कर बाकी सबने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मेरी मदद की है। जिन प्वाइन्ट्स को मैं भूल गया था उनको उन्होंने याद दिला दिया है। बाकी जो मैंने कहा था उसका उन्होंने समर्थन किया है।

एक सज्जन डाक्टर जय गोपाल जी हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें जरूर कही हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा कि जिस फेडरेशन को मजदूरों का बहुमत प्राप्त करने का दावा है वह हड़ताल करवा कर अपनी मांगों को क्यों नहीं पूरा करवा लेता है। एक तरह से अगर वह आई० एन० टी० यू० सी० के स्पोक्समैन कहे जायं, तो मैं माननीया श्रम मंत्राणी जी का इस ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा। हम पर औद्योगिक अशांति का इल्जाम लगाया जाता है, सहारनपुर में माननीय गुप्ता जी भी कहते हैं, और श्रम मंत्राणी जी भी कहती हैं, कि जो कोई इंडस्ट्रियल पीस को भंग करेगा, तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, उसको हम फ्रश करेंगे। तो हम यह कहते हैं कि आई एन० टी० यू० सी० के स्पोक्समैन का यह कहना है, इस सदन में उन्होंने हमें ललकारा है, कि अगर मांगने से नहीं देते हैं तो हम लड़ें। उनके चैलेंज को स्वीकार करने में हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन हम लड़ें मिल मालिकों से और बीच में आ जाती है सरकार। मैं बहेड़ी का उदाहरण देता हूं। अभी अध्यक्ष महोदय, आपने नियम ५२ में एक सूचना को स्वीकार किया था और उस पर मंत्री जी का वक्तव्य हुआ था। उसमें कानूनन १५ दिन की नोटिस देकर हड़ताल की गयी। आज उनका विक्टिमाइजेशन हो रहा है। हम लोग बातचीत करने गये बरेली, तो वहां के श्रम अधिकारियों ने कहा कि यह मामला सीधे लखनऊ से डील हो रहा है। तो मैं आई० एन० टी० यू० सी० के स्पोक्समैन से कहना चाहता हूं कि हममें लड़ने का दम है अगर वह और सरकार बीच में न आवे। लेकिन अगर सरकार हमारी हड़ताल को यह समझे कि उसको उलटने के लिये कांस्पिरेसी हो रही है, तो यह सरकार का सोचना गलत है। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि १५ वर्ष तक जो पालिसी चलती रही, उसको छोड़ कर अब वह एक उदार नीति को बरतें।

जहां तक शुगर बोर्ड की रेकमेंडेशन्स का संबंध है उस पर बहुत कुछ जिक्र किया जा चुका है। इस वक्त केवल एक चीज का जिक्र मैं करूंगा। मुझे अभी सूचना मिली है कि आपने माननीय मन्त्रवर, एक घंटे का समय दिया है, बी० डी० पुरी के वक्तव्य के सम्बन्ध में विवाद करने के लिये।

श्री अध्यक्ष—आज नहीं होगा। १५ तारीख को होगा।

श्री मदन पाण्डेय—पुरी साहब का इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन का वक्तव्य पढ़ा जाय, और सहारनपुर का गुप्ता जी का वक्तव्य पढ़ा जाय, मालूम होता है कि गुप्ता जी ने मिल मालिक की हैसियत से वह वक्तव्य दिया है दोनों में फर्क कोई नहीं मालूम होता है। बिला वजह एक्सेस प्रोडक्शन बता कर आज मजदूरों को वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करवाने से रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है, गन्ना उत्पादकों के गन्ने के दाम इस लिये रोके जा रहे हैं क्योंकि सरकार मिल मालिकों की हां में हां मिलाती है। यह चीज बरदाश्त के बाहर है। यह सारी चीजें ध्यान में रखकर के वेज बोर्ड ने फैसला किया है। अगर वेज बोर्ड के फैसले को कोई मंत्री जी या और कोई सज्जन पढ़ें तो वह देखेंगे कि उसमें जस्टिफिकेशन दिया गया है कि शुगर वेज बोर्ड की रेकमेंडेशन मौजूदा भाव को रखते हुए दी जा सकती हैं। अगर दाम बढ़ाकर देना था तो क्या जरूरत थी लाखों रुपया खर्च करके कन्या कुमारी से काश्मीर तक जा जाकर गवाहियां लेने की। सीधे-सीधे जितना बढ़ाना चाहते थे उतना बढ़ाकर चीनी का दाम

जितना बढ़ाना चाहते बढ़ा देते । लेकिन जब इतनी जांच हुई थी उसका स्पष्ट मत है कि जो एग्जिस्टिंग प्राइसेस हैं उनको रखते हुए इतना बढ़ाया जा सकता है जिसकी कि रेकमेंडेशन उन्होंने की है।

यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन का एक प्रस्ताव यह हुआ था कि अगर ३१ मार्च तक यह वेज बोर्ड की सिफारिशें नहीं लागू की गई तो उस हालत में फेडरेशन स्ट्राइक करेगा। यूनाइटेड फेडरेशन जिसको कि ७१ परसेंट का बहुमत होने का दावा है बावजूद इसके कि जय-गोपाल जी यह कहते हैं कि अब वह नहीं है तो अगर वह चाहें तो अपनी सरकार से मिलकर के फिर से वोट डलवाकर देख लें, अगर बहुमत नहीं होगा तो हम हट जायंगे, तो उस फैडरेशन ने स्ट्राइक के लिये मत लिया। ९९ प्रतिशत स्ट्राइक के फेवर में थे। उसके बाद यह निश्चय हुआ। तो एक तरफ तो इंडस्ट्रिअल पीस रखने की जिम्मेदारी की बात माननीया श्रम मंत्राणी जी और हमारी सरकार करती है और दूसरी तरफ यह भी मजबूरी है कि सीजन खत्म हो रहा है और १५ दिन की नोटिस स्ट्राइक के लिये देना जरूरी है, क्योंकि स्ट्राइक तो १५ दिन की नोटिस के बाद भी अक्सर गैरकानूनी करार दी जाती है, इसलिये हमने यह मुनासिब समझा और गन्ने के किसानों के हित में तथा इंडस्ट्रिअल पीस रखने की बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह निश्चय किया कि २५ अप्रैल को सुबह ८ बजे तक जो वाजिब से वाजिब मांग उनकी है उसको पूरा कराने के लिये, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिये कोई उपयुक्त कदम हमें विश्वास दिलाने योग्य नहीं उठाया गया तो मैं स्वयं और हमारे फैडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री बी० डी० शुक्ला तथा ठाकुर मुकुन्द सिंह मेरे निवास स्थान पर और प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना २०५, नार्थ एवेन्यू पर अपना आमरण अनशन प्रारम्भ कर देंगे। यह बात मुझे इस सिल-सिले में कहनी थी।

दूसरी बात, डाक्टर जय गोपाल ने यह कही कि मैंने कुछ अन्य चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिलाया, तो मैं कुछ उनका भी जिक्र करना चाहता हूं। पहली बात, ऐग्रीकल्चरल वेजेज के संबंध में एक मिनिमम वेजेज कमेटी बनी हुई है। उसकी सिफारिशों के संबंध में यह जानकारी मुझे हुई है कि अगर गोरखपुर के जिले में कोई मजदूर काम करता है तो उसको ८ रुपये कम मिलने चाहिए बनिस्बत जो मेरठ में काम करता है उसके। यह हमारी समझ में कुछ नहीं आया। कुछ दिन पहले यह एक जिक्र जरूर आया था कि एस० पी० का घोड़ा अगर हो तो वह ५५ रुपये में खायेगा और थानेदार का अगर हो तो वह १५ रुपये में खायेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विषमता अब दूर की जानी चाहिये। माननीय श्रम मंत्राणी जो इस विषमता को मिटाने की बात पर ध्यान दें और अगर उन्हें वाकई मजदूरों की गिरी हुई दशा को सुधारना है तो ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मजदूरों को दिलाने की कोशिश वह करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीया श्रम मंत्राणी जी बहुत दिलचस्पी ले रही हैं मजदूरों की दशा का ज्ञान प्राप्त करने में। तो मैं उन्हें बनारस, मिर्जापुर, गोरखपुर या इलाहाबाद के किसी एक बीड़ी के कारखाने को देखने की दावत देना चाहता हूं। बीड़ी का उद्योग हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। अभी पिछले साल एक सवाल के उत्तर में यह बताया गया था कि ७५ लाख रुपये की लागत इसमें लगी हुई है और सरकार के ही आंकड़ों के अनुसार ३७ हजार मजदूर इसमें कारखानों में काम करते हैं। मेरे अन्दाज से तो यह संख्या ५० हजार से भी ऊपर होगी। लेकिन ३७ हजार ही मानकर के चलें तब भी वह कुछ कम नहीं है। आज इन मजदूरों की दशा क्या है मैं चाहता हूं कि माननीय श्रम मंत्राणी जी इसको जरूर देखें और यदि वह अपने दौरे की तिथि मुझे सूचित करें तो मैं उन्हें एक कारखाना बीड़ी का दिखाना चाहता हूं। आज जितने टी० बी० के मरीज होते हैं बीड़ी बनाने वाले उसमें सबसे ज्यादा होते हैं। मैं यह अनुरोध करूंगा कि इन पीड़ित, प्रताड़ित दलित बीड़ी के मजदूरों के लिये कोई कमेटी माननीया श्रम मंत्राणी जी बैठायें जो उनकी तमाम समस्याओं पर विचार करके उनकी समुचित व्यवस्था करे।

[श्री मदन पांडेय]

इसी तरह से जूट इंडस्ट्री के संबंध में इम्पलीमेंटेशन का बड़ा भारी दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि हम और स्टेट्स से बहुत आगे हैं इम्प्लीमेंटेशन के सिलसिले में। अभी जूट इंडस्ट्री के सिलसिले में वेज बोर्ड का फैसला हुआ। अक्तूबर से दिसम्बर तक २ रुपया ८५ नये पैसे और जनवरी से जून तक ३ रुपया ४२ नये पैसे की अंतरिम रिलीफ देने की बात है। यह इन्टेरिम रिलीफ है। यहां कभी-कभी महीनों बीत जाते हैं लेकिन इन्टेरिम रिलीफ नहीं दी जाती है। यह इम्प्लीमेन्टेशन का सवाल है जिसके लिये डाक्टर जय गोपाल जी दावा करते हैं कि हम इम्प्लीमेंटेशन में कितने आगे हैं।

रिफरेन्स की बात कही गई कि किसके रिफरेन्स ज्यादा है। हो सकता है आई० एन० टी० यू० सी० के ज्यादा हों लेकिन मैं उस तादाद पर जाना नहीं चाहता हूं। मैं उसकी नेचर की तरफ जाना चाहता हूं कि नेचर आफ केसेस किस तरह के हैं जो कि विरोधी यूनियन की तरफ से रिफरेन्स के लिये जाते हैं। एक केस सहजनवा जूट मिल का है उसको किस तरह से इनएक्स-पीडिएट कह दिया गया है यह सब जानते है। लेकिन आई० एन० टी० यू० सी० की मारफत जो केसेज जाते हैं उनको कुछ भेदभाव से देखा जाता है। यह चीज गलत है। यह नहीं होनी चाहिये।

मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रम मन्त्राणी जो को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ६ घंटे तक लगातार यहां पर बैठकर श्रमिकों के दुख दर्द की कहानी सुनी है और मुझे आशा है इन चीजों पर गौर करके वे जवाब देने की चेष्टा करेंगी। वर्किंग जर्नलिस्ट के बारे में जो यहां पर जिक्र किया गया अगर उनकी दशा जांचने की और कोई कमेटी बिठाने का निश्चय वे करेंगी तो हम उसकी ताईद करेंगे। जो और चीजें बताई गई हैं उनकी जांच करने की अगर वे मेहरबानी करेंगी तो इससे थोड़ा सा मजदूरों को संतोष होगा जिनकी तरफ से हम यहां पर गला फाड़ते हैं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को प्रेस करता हूं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--अध्यक्ष जी, बहुत से मेम्बरों ने बहुत से भाषण दिये हैं और बहुत से विषयों की तरफ ध्यान दिलाया है। मेरे लिये सभी विषयों का जवाब देना मुश्किल है। कुछ जनरल बातें बतलाईं और कुछ स्पेसिफिक केसेज रेफर किये गये। मैं दोनो तरह की बातों की तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान देकर जवाब देने की कोशिश करूंगी।

एक बात की मुझे तकलीफ है, मेरी दिक्कत यह है कि अभी यू० पी० में थोड़े दिन हुए मैं आई हूं। इसलिये यह जो रिफरेन्स के बहुत से केसेज होते है उनकी वाकफियत मुझे कम है। इस वास्ते उसका जवाब देना मुश्किल है और इसलिये मैं डाक्टर जयगोपाल की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कई सवालों का जवाब दे दिया है। उस हद तक मेरा काम घटा दिया है। जब जय-गोपाल जी ने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कमियां है उनका सुधार किया जाना चाहिये। मैं उनको धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमारा ध्यान उस तरफ दिलाया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका सुधार कर सकें। अगर यह पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में यह खराबी है तो उसको जरूर सुधारा जायगा। यह डिबेट ही इसलिये होती है कि हम आपकी राय जान लें कि आपकी क्या राय है और हमारी क्या राय है और फिर जो खराबी मिले उसको ठीक करना चाहिये।

राजनारायण जी ने आमनीबस कटमोशन को रखते हुए एक झाड़ू से सारे डिपार्टमेन्ट को ही साफ कर दिया। उनका कहना यह है कि हमारी नीति सरासर एन्टीलेबर है और इधर १५ साल से लेबर के लिये जो कुछ हम लोगों ने किया है वह गलत काम ही किया है। इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। वह जो चाहें कहें यह उनका हक है। हम कांग्रस वाल इस बात का दावा नहीं करते कि हमने उस उद्देश्य को पूरा किया है लेकिन उस उद्देश्य की तरफ जाने की हमारी कोशिश जरूर है। मगर मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि उन्होंने गान्धी जी की दुहाई दी और गान्धी जी की दुहाई देते हुए कुछ व्यक्तिगत बातें मेरी तरफ भी कहीं। मुझे एतराज नहीं है। मगर मैंने यह नीति बरती है और उसके वास्ते मैं गान्धी जी की दुहाई

नहीं देती हूं और न मैं इस बात को क्लेम करती हूं कि मैं गान्धी जी के पास रही और उनसे मुझे कोई रोशनी मिली और उस रोशनी की तरफ जाने की मैं कोशिश करूं। हम जानते हैं कि बहुत सी कमजोरियां हैं। हम उनकी बड़ी हैसियत से, यह दावा नहीं करते, कि हम रोशनी लेकर आगे बढ़े। हमें अपना हिसाब सामने रखना चाहिये। अगर वह गान्धी जी का नाम न लेते और सीधे सीधे अपनी राय बताते तो ज्यादा अच्छा होता।

उन्होंने मीन्स से एन्ड अचीव करने का जिक्र किया। अगर उनका यह कहना है कि हमने गलत मीन्स, गलत रास्ते से उस एन्ड को अचीव करने की कोशिश की तो यह हम मंजूर करते हैं कि हमारे अन्दर कमजोरियां हैं इसको मानते हैं और यह जरूर है कि हममें से कोई इस बात का दावा नहीं करता कि हमारे यहां आइडियल फंक्शनिंग हुई है।

उन्होंने कहा कि मजदूरों के लिये सन्डे वर्किंग के लिये हम जोर लगा रहे हैं कानपुर में, लेकिन अगर हमें इतवार को यहां बैठ कर काम करना पड़े तो हम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे भी कहा है मुझे इतवार को बैठने में तकलीफ होगी। राजनारायण जी बहुत तगड़े आदमी हैं, लेकिन मैं भी बहुत काफी तगड़ी हूं और मैंने जिन्दगी भर बहुत काम किया है। सन्डे का अगर हिसाब लें और उस हिसाब से मजदूर से काम करवायें तो उसे मन्डे से ज्यादा काम सन्डे को करना पड़ेगा। हमने रेशनालाइजेशन का सारा मसला संपूर्णानन्द जी को देना तय किया है और उसके फैसले को उस आर्बिट्रेशन में जो तय हो उसे हम सबको स्वीकार करना चाहिये। कोई नहीं चाहता कि सन्डे को वर्क किया जावे, लेकिन इंसाफ के लिये उस मामले की छानबीन करना बहुत जरूरी है।

और बहुत सी बातों का जिक्र किया गया। राजनारायण जी ने कहा कि राष्ट्र में मजदूरों की तनख्वाह और सब से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले के वेतन में १—५ से ज्यादा रेशियो नहीं होना चाहिये। अगर ऐसा हो सके और यही आधार सामने रहे तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। लेकिन मैं बतलाना चाहती हूं कि कम्युनिस्ट कन्ट्रीज भी १—५ का रेशियो नहीं रख पाये। मिसाल यूगोस्लोवेकिया की आपके सामने है। हम इसे लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन राजनारायण जी या कोई और अगर यह समझता है कि मैजिक से यह काम हो जावेगा एक दिन में, तो यह संभव नहीं है। आहिस्ते-आहिस्ते लेजिस्लेशन के द्वारा और दूसरे तरीकों से हमें इसे लाना पड़ेगा और इसमें समय लगेगा। हम उस पालिसी की तरफ चल रहे हैं।

फिर मकान के बारे में उन्होंने कहा। मैंने आपको सुबह ही बतलाया था कि जो इंडस्ट्रियल हाउसिंग का प्रोग्राम चल रहा है वह काफी हद तक हम पूरा कर चुके हैं। यह सेंटर की स्कीम है वह लोग हमको सब्सीडी देते हैं और उसके अनुसार हमको मकान बनाने पड़ते हैं। इन मकानों का किराया १७, १८ रुपये होना चाहिये, लेकिन उनसे १० रुपये लिया जाता है। हम यह मानते हैं कि यह दस रुपया भी ज्यादा है क्योंकि जो मजदूर ३ रुपया देकर स्लम में रहता है उसके लिये दस रुपया देना ज्यादा ही होगा, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मकान उनके लिये एक स्टैन्डर्ड के ही बनाये जाते हैं। अगर उससे घटिया मकान बनाये जायं तो वह भी एक नुक्ताचीनी की बात हो जायगी। इसलिये यह मकान ऐसे हैं और उनका किराया दस रुपया रखा गया है। यह भी बात गलत है कि उनमें मजदूर नहीं रहते। यह ठीक है कि दूसरे लोग भी हैं उन मकानों में जो मजदूर नहीं है, लेकिन मजदूर ज्यादा हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वहां अफसर रहते हैं। मुझे तो थोड़ा ही वक्त मिला है, लेकिन मैंने घूमा है और उन मकानों को भी देखा है। मुझे तो कोई अफसर वहां रहता दीखा नहीं और मैं नहीं समझती कि उन मकानों में कैसे कोई बड़ा अफसर रह सकता है। लेकिन उसके बाद भी बाहर के लोग हैं। जैसे सी० ओ० डी० के कुछ वर्कर्स हैं। गवर्नमेन्ट का ऐक्ट जो है जिसके मातहत यह मकान बने हैं उसके अनुसार केवल प्राइवेट सेक्टर के मजदूर ही इनमें रह सकते हैं और सी० ओ० डी० प्राइवेट सेक्टर में नहीं हैं लेकिन वह परेशान थे और पहले के लोग

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

जहां-जहां वे उन्होंने उनको वहीं रहने दिया। इस तरह से जो नान एलिजिबिल्स हैं वह भी ज्यादातर मजदूर ही हैं। उनमें थोड़े से सरकारी मुलाजिम भी हैं, लेकिन वह बहुत थोड़े हैं।

एक साहब ने कहा कि पानी का टैक्स बढ़ा दिया। मैं इस गलतफहमी को हटाना चाहती हूं। कोई पानी का टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। पानी सप्लाई करती है उस शहर की म्युनिसिपैलिटी। उनके अपने रेट्स हैं और उसका प्राविजन उन मकानों के किराये में रखा गया है। लेकिन जितना पानी उनको हिसाब से मिलता है अगर उससे एक्सेस पानी वह इस्तेमाल करते हैं तो एक्सेस रेट उनको देना पड़ेगा। आप जानते हैं कि हमारे हिन्दुस्तान में क्या हालत है। नल खुला पड़ा रहता है, धड़ाधड़ पानी बहता जाता है लेकिन कोई उसे बन्द नहीं करता और इसे हम सब जानते हैं। इसके लिये पिछले साल ८ लाख रुपया लेबर मिनिस्ट्री ने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। अब मैं चाहती हूं कि यह पेमेंट सरकार को न करना पड़े, वह लोग खुद दें। इसके लिये पानी के मीटर लगाने की कोशिश भी की जा रही है। पानी की जिम्मेदारी सरकार के मत्थे न रहे इसके लिये यह किया गया है। कोई रेट नहीं बढ़ाया गया है। सिर्फ जो लोग एक्सेस पानी इस्तेमाल करते हैं उनसे उसका चार्ज लिया जा रहा है।

अब दो बातें बतायी गयीं जो बड़ी अहम हैं, यह बड़ी मुश्किल बातें हैं, कोई आसान बातें नहीं हैं। बहुत से मेम्बरान ने यह फरमाया कि एग्रीकल्चरल लेबर को मिनिमम वेज दिया जाय, उनके लिये एक मिनिमम वेज तय कर दिया जाय। यह मिनिमम वेज तय तो कर दिया गया है, हां, यह बात सही है और मैं मानती हूं कि उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा है। आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि देहातों की आर्थिक स्थिति आज कैसी है। उसको देखते हुये हम यह काम कर सकें, यह कोई आसान बात नहीं है और न ही आसानी से यह काम हो सकता है। उसके लिये एक सेना हो जो वहां जाकर कुछ बातों को चेक कर सके, कुछ कंट्रोल कर सके। हमारे पास लेबर डिपार्टमेंट है, कुछ आफिसर्स हैं जो इन सब बातों को देहातों में जाकर देखते हैं, मगर फिर भी उतना स्टाफ नहीं है जितने स्टाफ की जरूरत है और इसके लिये होना चाहिये। फिर भी हमने जो काम किया है, वह एक शुरुआत ही है, शुरू हालत में है, और जो भी हिन्दुस्तान की हालत से वाकिफ है, वह जानता है कि इसमें टाइम लगेगा। हमको लेबर को मिनिमम वेज दिलवाना चाहिये, यह ठीक है, मगर यह कार्य धीरे-धीरे होगा, एक दम से नहीं। हमारे यहां स्टाफ की कमी है, इस कारण हम उनको देहातों में नहीं पहुंचा पाते हैं। मगर साथ ही हम उनके हकों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और उसके लिये यह जरूरी है कि मजदूरों का संगठन बनाया जाय। उनका संगठन बनना जरूरी है। जब संगठन बनने का सवाल आता है, तब भी मेम्बरान लोग कहते हैं कि आप क्यों नहीं संगठन बनाते हैं। अब संगठन भी हम लोग ही बनायें। हम ही ट्रेड यूनियनों को बनायें। अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो उसके लिये फिर रूस जैसी स्थिति यहां पर भी हो जायेगी। मजदूरों का संगठन तो दूसरे लोगों को बनाना चाहिये, आप लोगों को देखना चाहिये कि वे ठीक तरह से अपना फंक्शन करें। आप लोग गांवों में जाकर उनको बताइये कि वे पहले संगठन कायम करें ताकि जो उनके अधिकार हैं वे उनको मिल सकें। हम लोग तो जितना कर सकते हैं और जितना हमें करना चाहिये, उतना करते ही रहते हैं, आप भी तो कुछ करिये।

दूसरा अहम सवाल है अनइम्प्लायमेंट का। बेरोजगारी का सबसे कठिन सवाल है। यह मामला ऐसा नहीं है जो भाषण देकर पूरा किया जा सके। यह समस्या बहुत मुश्किल से हल होने वाली है। अगर यह समस्या हल हो गयी, तो समझिये कि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी समस्या हल हो गयी। यह सही बात है कि आज अनइम्प्लायमेंट बढ़ा हुआ है, चाहे वह १९ लाख है या जो कुछ भी हो। हां, किसी साहब ने बताया था उनका नाम तो पता नहीं, कि लेबर पुस्तिका में जो रिपोर्ट दी गयी है उसमें २ लाख के करीब संख्या बतायी गयी है। वह संख्या वह होगी जो लाइव रजिस्टर में होती है और अनइम्प्लायड आदमी उसमें अपना नाम लिखा लेते हैं। हां यह मैं मानती हूं कि अभी तक हम इस समस्या का हल नहीं कर पाये हैं। जब पंचवर्षीय योजना

बनी थी, हमने यह आशा की थी कि इससे बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक दूर हो जायेगी, मगर हम वह नहीं कर पाये। यह नहीं कि उसके लिये इम्प्लायमेण्ट अपार्चूनिटीज नहीं बढ़ी हैं, वे तो बढ़ी हैं, किन्तु उसके बावजूद भी यह समस्या हल नहीं हुई है क्योंकि उनकी तादाद भी ज्यादा बढ़ती गयी है। हर साल इनकी संख्या बढ़ती जाती है और हर साल यह हमारे लिये परेशानी की बात होती जाती है। हर पांचवें साल परेशानी और बढ़ जाती है। यह यू०पी० की ही समस्या नहीं है, बल्कि यह समस्या पूरे हिन्दुस्तान की है और इसका हल करना बहुत मुश्किल काम है।

मेरे भाई जो अपोजीशन में बैठते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूं कि मैं भी कभी अपोजीशन में रही हूं, और मैं उन भाइयों से कहना चाहती हूं कि वे ही इस को हल करने के लिये कोई सुझाव दें और बतायें कि यह कैसे हल हो सकती है। इसका समाधान तो सारे देश को करना है, यह सारे देश की समस्या है, सब लोगों को मिल कर इस बारे में सोचना चाहिये और तभी इसको हम हल कर सकते हैं, खाली आर्गूमेंट करने से ही हम इसको हल नहीं कर सकते। इसके लिये जरूरी है कि हमारे यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, काटेज इंडस्ट्रीज काफी मात्रा में हों। देहातों में अगर इस समस्या को हल करना है तो उसके लिये यह जरूरी है कि वहां पर अधिक से अधिक काटेज इंडस्ट्रीज हों। मैं यह भी कहती हूं कि इस ओर सरकार ने जो भी काम किया है वह पूरा नहीं है, उसे देख कर मुझे खुद तसल्ली नहीं होती है, मैं खुद परेशान रहती हूं कि कैसे इसको किया जाय। हम इस कोशिश में हैं कि उनको किसी तरह रोजगार पहुंचा सकें किन्तु जो हमारे आफिसर्स हैं, जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसका अपना ढंग है, उसकी अपनी परम्परा है, अपनी तरह से वह काम करते हैं। हम उनकी गाड़ी को तेज चलवाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको तेज नहीं चलवा सकते हैं। उनकी गाड़ी तेज चलवाने की कोशिश की जाती है, रूल्स और रेगुलेशन्स भी आसान किये जाते हैं, किन्तु फिर भी वह किस हालत में हैं उससे ज्यादा हम उनको चलवा नहीं पाते हैं। इसको अगर करना है और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट कानपुर में बैठकर सारे ५४ जिलों को चलाये और हम उसको पूरा करलें तो यह हो नहीं सकता। इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन पूरा होना चाहिये यह आपका भी कर्त्तव्य है कि हमारे काम में हाथ बंटायें। आप लोग गांव में जाइये, देखिये कि वहां पर क्या इंडस्ट्री हो सकती है, क्या मदद सरकार के पास है। डिपार्टमेंट से उसकी खोज कीजिये, आपको पूरी सूचना मिलेगी। मुझे मालूम है कि ऋण और कच्चा माल आदि देने का तरीका है, उसमें काफी समय लगता है। यह उद्योग की उन्नति के लिये बहुत बाधक होता है। मैं इस विषय में बहुत सोच विचार कर रही हूं। सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पर श्री गुप्ता जी भी सदन में उपस्थित हैं। उनका ध्यान भी इस समस्या की ओर आकर्षित हो रहा है। मुझे आशा है कि गुप्ता जी और मैं बैठ कर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे।

इसमें दिक्कत इस बात की है कि रा मैटीरियल की सारे देश में कमी है। कोयले की क्या हालत है, आप जानते ह। ४ महीने से, जबसे मैं आयी हूं, हम लोगों ने कितनी ज्यादा कोशिश की है कि किसी तरफ से कोयला यहां पहुंचे, यह मैं ही जानती हूं। लोहे की कमी है। एक मुल्क जो गरीबी में जकड़ा हुआ था जब वह अपने विकास की तरफ बढ़ रहा है तो मैटिरियल की दिक्कतें होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस पर भी गाड़ी आगे खिसकनी चाहिये। मैं अपील करती हूं आप सब भाइयों से कि यह डिबेट की बात नहीं है, डिबेट तो बाद में हो सकता है, अखबार में स्पीचेज छप जायंगी, हमारे कांस्टीट्यूएंट्स पढ़ लेंगे, लेकिन असल चीज यह है कि भारतवर्ष का मसला कैसे हल करें।

आप लोग कोई सक्रिय सुझाव दें, वह मैं लेने के लिये तैयार हूं। आप लोग आइये बताइये और हम सारे मैटर्स रखने को तैयार हैं कि यह हमारी दिक्कतें हैं। हम बैठ कर समस्याओं को हल कर सकते हैं।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

मुझे एक बात का बड़ा अफसोस हुआ । मैंने आंकड़े दिये, कुछ डर कर दे रही थी । मुझे मालूम नहीं था कि इस हाउस का क्या वातावरण है और किस प्रकार के भाषण यहां होते हैं । मुझे पता चला कि आंकड़े यू० पी० के लोग पसन्द नहीं करते हैं, तो भी मैंने दिये । इसलिये दिये कि आंकड़े कोई चीज है जिसको हम पकड़ सकते हैं, ग्रैस्प में कोई चीज आती है । मगर मुझे अफसोस हुआ कि उन आंकड़ों को विकृत रूप में यहां पेश किया गया । एक भाई ने कहा कि मैंने यह कहा था कि यू० पी० में लेबर कंडीशंस और इंडस्ट्रियल रिलेशंस सबसे अच्छे हैं । मैंने यह नहीं कहा, मैंने यह कहा था कि आन दि होल रिलेशंस संतोषजनक हैं और ऐडजुडिकेशन के मामले में हम लोगों ने ज्यादा रैफरेंसेज किये हैं । मैं तो थोड़ा कम ही क्लेम करती हूं । आपने बड़ा लम्बा हिसाब मुझे पढ़ाया । जो आंकड़े आपने पढ़े हैं, वह मैंने भी पढ़े हैं मैं भी जानती हूं कि हमारे यहां वेजेज में उतनी बढ़ोत्तरी नहीं हुई है जितनी कि और प्रान्तों में हुई है, लेकिन हुई जरूर है । उनके मुकाबले में इसलिये कम हुई है क्योंकि वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन अधिक हुआ है । वहां इंडस्ट्रीज में लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं । पब्लिक से उसमें ज्यादा पैसा मिल सकता है । इसीलिए वहां डेवलपमेंट ज्यादा है । यहां इनवेस्टमेण्ट बहुत कम है । तो आपने जो कहा, वह दावा मैंने नहीं किया और न करना चाहती हूं ।

अब मैं दूसरी बातों पर जाऊंगी । श्री मदन पांडेय ने कहा रोडवेज वर्कर्स के बारे में कि उनको सारे हक हासिल नहीं हैं और प्रोटेक्शन नहीं मिलता । तो मैंने यहां आने के बाद रोडवेज के अधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं के प्रतिनिधियों को बुलाया था, उनसे बात-चीत की और इस बात की कोशिश हो रही है कि वह मसला जल्दी हल हो और वहां काम ठीक तौर से चले । गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक नया एक्ट, मोटर आपरेटर वर्कर्स ऐक्ट, पास किया है जिसके द्वारा उनको सारी सहूलियतें हासिल हो गई हैं।

श्री मदन पांडेय जी ने यह भी कहा कि निम्बकर रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं वह लागू नहीं की गयी हैं । उसमें मिनिमम वेज ३० रुपये वाली सिफारिशें को मान लिया गया था और कानपुर में यह लागू की गयी ।

आई० एन० टी० यू० सी० के बारे में काफी चर्चा हुई । उसके क्या क्लेम हैं, क्या अधिकार हैं, वह "इनटक" है या "कंटक" है, यह मैं जानती नहीं हूं, लेकिन यह जानती हूं कि जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री आफ लेबर की तरफ से सेंसेस लिया गया था मार्च, १९६१ में, उसके आंकड़े प्राप्त हैं । उसमें आई० एन० टी० यू० सी० की ५० यूनियन्स हैं और मेम्बर हैं ३१,४२६, ए० आई० टी० यू० सी० की ६ यूनियंस हैं और मेम्बर हैं ३,११५, एच० एम० एस० में १५ यूनियन हैं और ७,३२० मेम्बर हैं और यू० टी० सी० में १० यूनियंस हैं और मेम्बर ४,२५१ हैं । अगर यह सहा है और हम लोगों ने उनको कोई और रिप्रेजेन्टेशन दिया होगा तो कोई गलत बात नहीं है । हमारी कोशिश है और हम चाहते हैं कि समझौते से कोई रास्ता निकले । मुझे इस बात का जवाब देने की जरूरत नहीं थी लेकिन चूंकि बार-बार कहा गया इसलिये मैंने आपको सूचना दे दी ।

श्री उमाशंकर शुक्ल जी ने कहा कि लाल इमली में टेक्सटाइल वेज बोर्ड की सिफारिशें नहीं लागू हुईं । वह वहां लागू नहीं है । यह गवर्नमेंट आफ इंडिया के हाथ में है । अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया फैसला कर देगी तो हम लागू कर देंगे । यही बात होजरी मिल्स पर भी लागू होती है ।

रजिस्ट्रेशन के बारे में मदन पांडेय जी ने कहा और अमरोहे और मवाना का जिक्र किया अमरोहे के कागज हमारे पास नहीं आये हैं । मवाना शुगर फैक्टरी के कागज फरवरी हमारे पास आये थे और उन पर विचार किया जा रहा है ।

शुगर इंडस्ट्री के बोनस के बारे में कहा गया कि आई० एन० टी० यू० सी० वाले ही रिप्रेजेन्ट कर रहे थे । ऐसी बात नहीं है । एच० एम० एस० के रिप्रेजेन्टेटिव मि० बाजपेयी ने भी रिप्रेजेन्ट किया और पिछले दिनों कभी-कभी श्री ब्रजकिशोर शास्त्री ने भी आकर रिप्रेजेन्ट किया है ।

राजनारायण जी ने कहा कि वेज बोर्ड की सिफारिशें इम्प्लीमेन्ट नहीं की गई हैं। में बतलाना चाहती हूं कि कंट्रोल बोर्ड ने फैसला कर लिया है और उसके डिटेल्स वर्कआउट किये जा रहे हैं ।

यह कहा गया कि वर्कमैन को हिसाब देखने का मौका नहीं मिलता है । बैलेन्स शीट, प्राफिट ऐन्ड लास एकाउन्ट्स पब्लिक डाकूमेन्ट्स होते हैं उनको सभी लोग देख सकते हैं ।

वर्किंग जर्नलिस्ट के बारे में ऐक्ट पास हो जाने के बाद और भारत सरकार के आदेश आने के बाद ऐक्ट के सारे प्राविजन्स लागू करने के प्रयत्न उत्तर प्रदेश में किये गये हैं । सुबह मैंने बतलाया था कि २६ पत्रिकाओं में से २३ में कानून लागू हो गया है और ३ में कुछ बाकी है । मैं कानूनी बातों में तो जाना नहीं चाहती हू परन्तु यदि कोई स्पेसिफिक इन्स्टेंस हों जहां ठीक से इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ है तो हम उसकी जांच करेंगे और पूरी मदद करेंगे ।

इसी तरह से बहुत सी बातें कही गईं । प्राविडेन्ट फंड के अन्दर भी लोगों को मदद दी जाती है । यह जरूर है कि जितनी पेंशन की मदद हम करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं मगर डिसेबिल होने पर या रिटायरमेन्ट पर कुछ न कुछ मदद मिल जाती है ।

जहां तक इम्पलायमेंट एक्सचेंज की बात है, मैं भी जानती हूं कि उनको जितना काम करना चाहिये उतना वह नहीं कर पाते । मगर जिस परिस्थिति में इम्पलायमेंट एक्सचेंज कायम हैं, जब इम्पलायमेंट अपार्चुनिटीज ही ज्यादा नहीं हैं तो वह फिर क्या कर सकते हैं । इस संबंध में करप्शन की भी बात कही गई । करप्शन की भी गुंजायश हो सकती है, मैं इससे इनकार नहीं करती, क्योंकि वहां पर अल्पवेतन भोगी कर्मचारी होते हैं और वह चाहें तो घूंस ले सकते हैं । यह कोई नामूमकिन चीज नहीं है । मेरे पास भी यह बात आई तो मैंने बार बार डाइरेक्टर से कहा कि वह इस तरफ विशेष ध्यान दें और इसको रोकने की कोशिश करें । आप जितना जानते हैं उतना हम भी जानते हैं लेकिन जिम्मेदारी हमारे मत्थे पड़ी है । हमारी आपसे अपील है कि आप हमको रास्ता बतायें कि किस तरह से इम्पलायमेन्ट एक्सचेंज पर निगरानी रखें और रिश्वतखोरी को दूर करें । हम इसके लिये आपके शुक्रगुजार होंगे। अगर आप कोई भी सक्रिय सुझाव देंगे तो मैं बड़ी खुशी के साथ उसे मंजूर करूंगी ।

गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के बारे में कहा गया है कि लेबर लाज वहां लागू नहीं होते हैं । यह सही है कि कुछ हमारे लेबर लाज में डेफीसियेंशी है । सब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में लागू नहीं हो सकते । लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करके इस पोजीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बारे में एक परमानेन्ट कंसीलियेशन बोर्ड बना दिया गया है जिसके मातहत जितने झगड़े हैं वह सुलझाये जा सकते हैं । वर्क्स काउन्सिल २५–२६ इन्टरप्राइजेज में करीब-करीब हो गई हैं । मैं खुद इस बारे में चिन्तित हूं । मैं चाहती हूं कि गवर्नमेंट इन्टरप्राइजेज में पूरे-पूरे लेबर लाज का अमल हो । जब तक हम वहां ऐसा नहीं करेंगे तब तक प्राइवेट मिल मालिकों को कैसे कह सकते हैं कि आप ऐसा करिए । जो यह कहा गया कि हमको तो ऐज माडल एम्प्लायर की तरह चलना चाहिए, उसे मैं मानती हूं । लेकिन नई इंडस्ट्रीज में जो दिक्कतें हैं उन्हें भी देखना पड़ता है । लेकिन यह पूरी कोशिश है कि गवर्नमेन्ट इन्टरप्राइजेज में ये कानून लागू हों ।

केसा के बारे में कहा कि वर्क्स काउंसिल नहीं बनी । आप लोगों को पूरी इंफार्मेशन नहीं है । वर्क्स काउंसिल बन गई है और १६ या १७ तारीख को पहली मीटिंग भी होने वाली है ।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करती हूं कि सदन इस अनुदान को स्वीकार करेगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—श्रम तथा सेवायोजन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है । विभागीय नीति तथा योजनायें जनहित में नहीं हैं, यह स्पष्ट करना तथा समुचित नीति बिन्दुओं का उल्लेख करना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर १,४३,९८,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१३ अप्रैल, १९६१

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७४ पर)

जून, १९६० से अब तक ऐशबाग प्रेस में गड़बड़ियों के संबंध में विवरण तथा सूचना देने वाले कुल पांच पत्र उद्योग विभाग में प्राप्त हुए । प्रथम प्रतिवेदन न्यू ब्रांच प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ की कार्यसमिति के सचिव (Secretary Works Council) तथा प्रेस कर्मचारी श्री बी० पी० श्रीवास्तव, ने जुलाई सन् ६० में भेजा था । उसमें उन्होंने श्री के० जी० भटनागर जो उस समय उक्त प्रेस के प्रशासन विभाग के अध्यक्ष थे, के अवांछनीय व्यवहार के विरुद्ध शिकायत की थी । घटना इस प्रकार हुई कि श्री बी० पी० श्रीवास्तव ने अपने चपरासी से कुछ पत्र टाइप कराने के लिए प्रशासन विभाग में भेजे थे जिसको श्री भटनागर ने उसी चपरासी द्वारा यह कह कर वापस कर दिया था कि उन पत्रों को प्रधान लिपिक के कार्यालय में टाइपिस्ट द्वारा टाइप करवा लो, क्योंकि उनके यहां सिर्फ गोपनीय विषयक पत्र टाइप (Confidential Letters) ही टाइप किये जाते हैं। श्री श्रीवास्तव उन पत्रों को सामान्य टंकिका (Gereral Typist) द्वारा ही टाइप कराना चाहते थे और उन्होंने अपने चपरासी को उस विभाग के अध्यक्ष के ही पास भेजा था। अध्यक्ष को अपनी जगह पर न पाकर चपरासी अपने आप प्रशासन विभाग के अध्यक्ष श्री भटनागर के पास चला गया था। श्री श्रीवास्तव को इस नियम का पता था जिसे उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है । त्रुटि का प्रमुख कारण चपरासी का अपने आप प्रशासन विभाग में टाइप कराने जाना था । श्री श्रीवास्तव के प्रति अवांछित व्यवहार का कोई प्रमाण नहीं पाया गया फिर भी विभागीय आदेशानुसार अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश ने २४-८-१९६० के परिपत्र द्वारा समस्त कर्मचारी वर्ग के साथ और भी अधिक विनम्र एवं सभ्यता का व्यवहार करने का आदेश दे दिया है ।

दूसरे प्रतिवेदन में श्रीमती सुशीला देवी, लखनऊ ने अपनी पुत्री कुमारी पुष्पा देवी सहगल, टंकिका न्यू ऐशबाग प्रेस, लखनऊ के विषय में उस कार्यालय के कुछ लिपिकों में आपस में मारपीट के संबंध में लिखा था । इस विषय में सरकार के आदेशानुसार अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री ने स्वयं जांच की थी और दोषी व्यक्तियों को उचित दंड, चेतावनी एवं आरोप पत्र दिये गये हैं । उसके पश्चात् अब वहां कोई भी गड़बड़ी नहीं प्रतीत होती है ।

तीन अन्य प्रतिवेदन ऐशबाग प्रेस के कुछ कर्मचारियों की तरफ से थे । इन सभी में कुमारी पुष्पा देवी सहगल से सम्बन्धित मारपीट, प्रेस के कुछ कर्मचारियों की पक्षपात की नीति तथा सरकारी क्वार्टरों में बिला किराया के प्रयोग के बारे में शिकायत की गई थी । इसमें से लिखित शिकायतों की जांच अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, द्वारा करायी गयी थी । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उन प्रतिवेदनों में जिन-जिन के नाम लिखित थे उनमें से कुछ तो फर्जी नाम हैं और कुछ नाम प्रेस के कर्मचारियों के हैं। उन कर्मचारियों से पूछताछ करने पर उन्होंने इस प्रकार के किसी भी पत्र पर अपना हस्ताक्षर किए जाने अथवा इस प्रकार का कोई प्रतिवेदन देने से इन्कार कर दिया । चूंकि प्रतिवेदन देने वालों के बारे में कोई ठीक सूचना प्राप्त नहीं हो सकी, उनकी शिकायतों पर कोई और विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई । कुमारी पुष्पा से संबन्धित मामले में दोषी व्यक्तियों को जैसा बताया गया है उचित दंड दिया जा चुका है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८२ पर)

तालिका

पदों के नाम	वेतन क्रम विवरण	उन पर काम करने वाले कहां भेजे गये अथवा किन पदों पर नियुक्त किये गये	राज्य कोष को सालाना रुपये की बचत
			रु०
(क) वे पद जो समाप्त कर दिये गये			
१—आयुक्त, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	आई० सी० एस० कमिश्नर का वेतन क्रम	कमिश्नर, चकबन्दी उत्तर प्रदेश	१५,६००
२—विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सीनियर आई० ए० एस० का वेतन क्रम और ३०० रुपया विशेष वेतन	सचिव स्वायत्त शासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन	२०,४००
(ख) वे पद जो अवनत किये गये			
१—विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	१२५०–१५०० रु० और ३०० रु० विशेष वेतन	छुट्टी पर प्रस्थान कर गये	२,४००
२—उप सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सीनियर आई० ए० एस० का वेतन क्रम और २०० रुपया विशेष वेतन	छुट्टी पर प्रस्थान कर गये	१२,७२०
(ग) वे पद जो अस्थगित (abeyance) किये गये या बिना भरे रक्खे गये।			
१—सचिव, न्याय विभाग, (वाद) उत्तर प्रदेश शासन	सीनियर हायर जुडीशियल सर्विस का वेतन क्रम और ३०० रुपया विशेष वेतन	इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई	२२,५७५
२—पेटीशन्स आफिसर, मुख्य सचिव शाखा, उत्तर प्रदेश शासन	८००-५०-९०० असिस्टेन्ट सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश शासन का वेतन क्रम	सेवानिवृत हो गये	१०,८००
		योग ..	८४,४९५

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८६ पर)

सूची

पूर्व प्रसार खण्ड जो १ अप्रैल, १९६० व १ अक्तूबर, १९६० से खोले गये

१ अप्रैल, १९६० से

जिले का नाम	खंड का नाम	जिले का नाम	खंड का नाम
१—सहारनपुर	१—बल्लिया खीरी	२३—उन्नाव	२५—हिलोली
२—मुजफ्फरनगर	२—खटोली	२४—रायबरेली	२६—जगतपुर
३—मेरठ	३—छबरौली	२५—सीतापुर	२७—पहला
४—बुलन्दशहर	४—सिकन्दराबाद	२६—हरदोई	२८—माधोगंज
५—अलीगढ़	५—अकबराबाद	२७—खीरी	२९—कुम्भी
६—मथुरा	६—बल्देव	२८—फैजाबाद	३०—मिलकीपुर
बिजनौर	७—खरी झालू (हल्दोर)	२९—गोंडा	३१—सिरीवस्तगंज
		३०—बहराइच	३२—रिसिया
८—बदायूं	८—अम्बियापुर	३१—सुल्तानपुर	३३—दुबेपुर
९—मुरादाबाद	९—बनिया खेरा	३२—बाराबंकी	३४—फतेहपुर
१०—शाहजहांपुर	१०—ददरौल	३३—अल्मोड़ा	३५—लमगारा
११—फर्रुखाबाद	११—शमशाबाद	३४—गढ़वाल	३६—बड़ाहसियू
१२—कानपुर	१२—विठूरगांव		३७—चोंदकोट
१३—इलाहाबाद	१३—घम्पूपुर	३५—मैनपुरी	३८—अल्लन
१४—झांसी	१४—बड़ागांव	३६—एटा	३९—मरहेरा
१५—वाराणसी	१५—साहबगंज	३७—बरेली	४०—शेरगढ़
१६—मिर्जापुर	१६—चटरा	३८—इटावा	४१—तखा
१७—जौनपुर	१७—बदलापुर	३९—गोरखपुर	४२—सहजनवां
१८—बलिया	१८—मनियार	४०—सीतापुर	४३—कसमन्डा
१९—गोरखपुर	१९—पिपरोच	४१—गोंडा	४४—रेहराबाजार
२०—देवरिया	२०—गौरी बाजार	४२—प्रतापगढ़	४५—गोरा
२१—बस्ती	२१—बनकाटी	४३—गाजीपुर	४६—जखनिया
	२२—नौगढ़		
२२—आजमगढ़	२३—रानीपुर		
	२४—पवई		

१ अक्तूबर, १९६० से

जिले का नाम	खंड का नाम	जिले का नाम	खंड का नाम
१—सहारनपुर	१—ननोटा	९—बरेली	९—आलमपुर जफराबाद
२—मुजफ्फरनगर	२—धानाभवन		
३—मेरठ	३—सिम्भोली	१०—बदायूं	१०—इस्लामनगर
४—बुलन्दशहर	४—दिवई	११—मुरादाबाद	११—पवनसा
५—अलीगढ़	५—धानीपुर	१२—शाहजहांपुर	१२—निगोही
६—आगरा	६—किरावली	१३—पीलीभीत	१३—नन्द
७—मैनपुरी	७—बर्नाहल	१४—रामपुर	१४—मिलक
८—एटा	८—निघोली कलां	१५—इटावा	१५—भाग्यनगर

सूची

जिले का नाम	खंड का नाम	जिले का नाम	खंड का नाम
१६–फर्रुखाबाद	१६–नवाबगंज	३१–आजमगढ़	३२–परदहा
१७–कानपुर	१७–पटारा	३२–उन्नाव	३३–मियागंज
१८–फतेहपुर	१८–ऐरावन	३३–राय बरेली	३४–सिंहपुर
१९–इलाहाबाद	१९–बहेरिया	३४–सीतापुर	३५–महरहत
२०–झांसी	२०–बमोरे	३५–खीरी	३६–बांकगंज
२१–हमीरपुर	२१–रथ	३६–हरदोई	३७–पिहानी
२२–बांदा	२२–बंबरू	३७–फैजाबाद	३८–तारुन
२३–वाराणसी	२३–बड़ागांव	३८–गोंडा	३९–भुलेहुआ
२४–मिर्जापुर	२४–नगवा	३९–बहराइच	४०–पयागपुर
२५–जौनपुर	२५–सेवठा-कलां	४०–सुल्तानपुर	४१–जमोन
२६–गाजीपुर	२६–बरछनवार	४१–प्रतापगढ़	४२–शिवगढ़
२७–बलिया	२०–नव नगर	४२–बाराबंकी	४३–हरल
२८–गोरखपुर	२८–घुघली	४३–अल्मोड़ा	४४–सियालेद
	२९–बृहमपुर	४४–गढ़वाल	४५–मल्लासालन
२९–देवरिया	३०–बेतलपुर	४५–टेहरी गढ़वाल	४६–प्रतापनगर
३०–बस्ती	३१–गोड़		

उत्तराखण्ड डिवीजन में १ अप्रैल, १९६० से खोले गये ९ प्रथम सोपान खण्ड

१–पिठौरागढ़	१–विगतर	२–चमोली	५–नागपुर
	२–मुनाकोटे		६–मन्दाकिनी
	३–कनेलीछिंग		७–करनप्रयाग
	४–बेरेनाग	३–उत्तरकाशी	८–डन्डा
			९–पुरौला

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९१ पर)

तहसील का नाम	किसानों की कुल संख्या जिन्होंने सी० एल० आर० डी० योजना के अन्तर्गत निर्धारित लगानों के विरुद्ध उज्रदारियां दाखिल कीं	किसानों के पक्ष में निर्णीत हुई उज्रदारियों की संख्या	किसानों के विपक्ष में निर्णीत हुई उज्रदारियों की संख्या	अनिर्णीत उज्रदारियों की संख्या
१	२	३	४	५
सदर ..	११०९	७८४	३२५	...
मुसाफिरखाना ..	१९६७	९६३	७३९	२६५
अमेठी ..	१४४	४६	९५	३
कादीपुर ..	६०	४१	१९	.. .

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४७–४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९१ पर)

श्री इन्दु भूषण गुप्त द्वारा कमिश्नर, गोरखपुर डिवीजन को प्रेषित दिनांक ८ जनवरी, १९५९ के प्रसंगगत पत्र पर की गई कार्यवाही का विवरण

पत्र में प्रस्तावित विकास कार्य	कथित प्रस्ताव पर की गई कार्यवाही
१––ताल सलोना आजमतगढ, जिला आजमगढ़ में मत्स्य पालन विकास	१६ खास मछली के बच्चों को ताल में डालने का सुझाव विचाराधीन है ।
२––आजमगढ़ स्टेट प्राविधिक संस्थान का पुनरारम्भ	उद्योग अधिकारी की सम्मति है कि भविष्य में इस संस्थान को फिर से शुरू करने पर इसकी सफलता की आशा नहीं है ।
३––आजमतगढ़ और जियनपुर के बीच मनिकपुर ग्राम में हिरजन बस्ती की स्थापना	सर्वश्री इन्दु भूषण गुप्त तथा शशि भूषण गुप्त ने मनिकपुर ग्राम में ३२ एकड़ ७२२ कड़ी भूमि हरिजन गुरुकुल गांधी ग्राम दोहरीघाट को १९४१ में, आदर्श बस्ती बनाने के लिये प्रदान की थी । जिस स्थान पर प्रधान मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तावित बस्ती का, १९४५ में, शिलान्यास किया गया था, उस स्थान पर कुछ कच्चे भवन बने हुये थे। जो भूमि दान में दी गई थी, वह अभाग्यवश बंजर थी और बस्ती से दूर थी । हरिजन कल्याण अधिकारी के प्रयत्नों के बावजूद वहां हरिजन बसने को तैयार नहीं हुये काफी कठिनाई के पश्चात,जब मनिकपुर गांव के सात हरिजनों को वहां आदर्श गृह बनाने के लिये राजी किया जा सका है, जिनके प्रार्थना-पत्र जिला हरिजन सहायक समिति की बैठक में मंजूरी के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे । तत्पश्चात् जिले से इसके लिये आवश्यक धनराशि की मांग आने पर सरकार इस संबंध में समुचित व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करेगी ।
४––लाटघाट के निकट कल्याणपुर घाट तथा बाजार गोसाईं के निकट मेंसर घाट पर एक-एक पुल का निर्माण	ये पुल काफी बड़े होंगे जिनकी लागत का भार नियोजन विभाग वहन न कर सकेगा । इनके लिये जन अनुदान भी समुचित मात्रा में प्राप्त होना सम्भव नहीं है ।
५––बाजार गोंसाईगंज का रोना पर बिलरिया रोड से मिलने वाली कच्ची सड़क पर तथा आजमतगढ़ से हरिसिंहपुर होते हुये पनसबदा वाली सड़क पर डेस्ट वर्क	इस वर्ष जिले में कहीं भी अभाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है और इस कारण टेस्ट वर्क प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता।
६––दोहरीघाट और बड़हल गंज के बीच सरयू नदी पर जब तक पक्का पुल नहीं बनता है तब तक पीपे के पुल का इन्तजाम	यह पुल जिस सड़क पर पड़ेगा ,वह भारत सरकार के तत्वाधान में है ।
७––आजमतगढ़ चिकित्सालय में एक दाई (midwife-cum-nurse) की आवश्यकता ।	प्रशिक्षित दाइयों के अभाव के कारण आजमतगढ़ चिकित्सालय में दाई की नियुक्ति अभी नहीं हो सकी है ।

Copy of letter, dated January 8, 1959 addressed to the Commissioner Gorakhpur Division by Sri Indu Bhushan Gupta

---

MY DEAR QURAISHI SAHIB,

As per our talk at Dohrighat Canal Inspection house on the 1st January, 1959, I am enclosing herewith my schemes to develop the Sagri contituency. I shall feel grateful, if you will kindly take interest into them and make them a success.

Details of the Scheme

1. Fishery development in Talsalona, Azamatgarh, District Azamgarh. I submitted my scheme for development of this lake in August, 1947 to the Government. The copy of the letter which was published in the papers is attached hereto. The irrigation side of the scheme is complete, but not the fishery side. As a result of my Assembly questions, the fishery department has re-examined the feasibility of the scheme and has reported favourably. It is not being completed as yet for the following reason:—the department wants to get it done through the Co-operative Society of the Fisherman. But the Fisherman are under the influence of opposite group, so inspite of the best efforts of the department and myself also, no success could be achieved in formation of the society. Now some other via-media is to be found out which is not done as yet. If the Scheme is complete, the Revenue of the Government is likely to be increased by 6 lakhs per annum with an increase of food stuffs, besides the other multifarious benefits of it to the locality, Pradesh and Country also. Only an interest of some good official like you can make it a success.

2. Reopening of the Azmatgarh Estate technical Institute at Azamatgarh. There was an Azamatgarh Estate Technical Institute which was started by my revcred father in year 1922. It was training pupil in carpentary, Motor and Electric mechanism, Tailoring, Dying, Printing and weaving. The weaving side was opened by the Father of the Nation, Mahatama Gandhi in year 1930. This institution is now no more but the workers are there. As such, if it is restarted, technical hands will be employed and technical education will help in solving the unemployment of the country.

3. Opening of a Harijan Basti in village Manikpur, a place between Azamatgarh and Jianpur. I have donated 60 bighas of land in the year 1941 for starting a model village for Harijans. The Foundation of this was laid down by our Prime Minister, Pandit Nehru in year 1945. The land is unfortunately not used for the purpose it was donated, but is acquired by some other persons.

4. Two bridges, one at Kalyanpur Ghat near Lat Ghat and the other at Bhainsarghat near Bazargaosain are very essential to approach and control the Devara area. On both sides of Kalyanpur Ghat the road by Test Work is constructed. If the bridge is not constructed immediately, the road will become useless and neglected and will be ruined soon. The money and labour spent will be wasted.

Similarly another bridge at Bhainsarghat near Bazargosain is also very important. It will increase the business of the Bazar as well as the administration will have three-way approach to Devara side, and at the hours o immediate calls the remedies can be given easily.

5. Test work is needed on the existing Kachcha road which connects Bazargosain with Raunapar Bileria Road. It is about 3 miles. It is an important road.

Similarly, construction of another road by Test Work is required. It will be new road but will be very useful. It will start from village Azamatgarh up to village Pansabda via village Harsinghpur.

6. So long there is not a pacca bridge on Sarju between Dohrighat and Berhalganj, a pontoon bridge should be provided to facilitate the traffic.

7. A midwife-cum-nurse is approved for medical dispensary at Azamatgarh since past several years. It should be provided soon.

I have become sick of writing letters and reminders for these public works. I shall feel grateful, if you will feel interested in them and get them completed soon.

Trust this finds you in best of health.

Yours sincerely,
(Sd.) I. B. GUPTA.

SRI M. A. QURAISHI, I. C. S.,
Commissioner, Gorakhpur.

सत्यमेव जयते

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९२ पर)

परिशिष्ट 'क'

योजना का नाम	स्थान व तहसील	आरम्भ होने की तिथि
१–हथ करघा योजना	इस योजना के अन्तर्गत हथकरघा उद्योग के लिये हथकरघा सहकारी समितियों को ऋण तथा अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता दी जायगी। हर तहसील इस योजना से लाभ उठा सकेगी, यदि वहां सरकारी समितियां बनाई गयी हों।	प्रथम वर्ष (१९६१–६२)
२–औद्योगिक आस्थान	जौनपुर शहर	तृतीय वर्ष (१९६३–६४)
३–हस्त कला सहकारी समितियां	यह योजना प्रचलित हस्त कला उद्योगों के कारीगरों को सहकारिता के आधार पर संगठित करके उन उद्योगों को विकसित करने का प्रयत्न करेगी। इस योजना से भी हर तहसील को लाभ उठाने का अधिकार होगा, यदि वहां इस प्रकार के कारीगर होंगे ।	तृतीय वर्ष (१९६३–६४)
४–प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना	सिद्दीकपुर (जौनपुर तहसील) में ६ शिल्पों (काष्टकला, फिटर -कम मिकेनिक, मैकेनिष्ट, लोहकला, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक) का एक उन्नतिशील कुंज (cluster) तथा केराकत तहसील में जूता निर्माण उद्योग के प्रशिक्षण के केन्द्र (centre) की स्थापना की जायगी ।	प्रथम वर्ष (१९६१–६२)
५––ऋण तथा अनुदान योजना	राज्य सरकार की ऋण एवं अनुदान योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर तृतीय योजना काल में ७ लाख रुपये की धनराशि निर्धारित है, उसमें से सभी तहसीलों के लोगों व संस्थाओं को नियमानुसार वार्षिक सहायता का लाभ हो सकता है ।	,,
६–गुड़ विकास योजना	यह योजना अच्छे किस्म का गुड़ उत्पादन करने तथा उसकी बिक्री का समुचित प्रबन्ध करने के ध्येय से बनाई गई है । इसके लिय	,,

योजना का नाम	स्थान व तहसील	आरम्भ होने की तिथि
	ग्रामों का सर्वेक्षण करने के पश्चात् स्थान निश्चित किये जायेगें ।	
७—ग्रामोद्योग योजना	इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों में लगे व्यक्तियों को सहकारी समितियों के रूप में संगठित करके उन्हें विभिन्न प्रकार की आर्थिक व प्राविधिक सहायता प्रदान करने का आयोजन है । ये सहकारी समितियां विभिन्न तहसीलों में कारीगरों व उन उद्योगों की आवश्यक सामग्री की उपलब्धि के आधार पर स्थापित की जायगी।	प्रथम वर्ष (१९६१-६२)
८—सुगंधित तेल (Essential-oil) योजना	जौनपुर शहर	प्रथम वर्ष (१९६१-६२)
९—व्यापारिक चिन्हों के अतिलंघन तथा नकली माल की बिक्री की रोक थाम की योजना	जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह योजना व्यापारिक चिन्हों के अतिलंघन तथा नकली माल की बिक्री की रोक थाम के लिये प्रस्तावित की गई है। जिले की सभी तहसीलों में योजना का प्रभाव होगा तथा वे सभी इस से लाभान्वित होंगी ।	

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५३–५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९२ पर)

जिला सीतापुर की तहसील सीतापुर के उन ग्रामों की सूची जिनमें पिछली फरवरी में ओलावृष्टि तथा वर्षा हुई है

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	क्रम-संख्या	ग्राम का नाम
५० नये पैसे या उससे अधिक हानि वाले ग्राम		३६—बनिहार	
१—बक्सोहिया		३७—गद्दीपुर	
२—पिपरा घोरी		३८—पतिपुर	
३—नरहरपुर		३९—ऐलिया	
४—परसेहरा नाथ		४०—एलगवां	
५—रामपुर		४१—बेलगवां	
६—जलालीपुर		४२—कुसभा	
७—बीबीपुर फजलअली		४३—बावीपुर	
८—फतेहपुर मारावेहड़		४४—परेवा	
९—बरोसा		४५—अकबरपुर	
१०—पक्करिया		४६—दोस्तपुर	
११—भटपुरवा		४७—इब्राहीमपुर	
१२—गुरवया		४८—वाकूट नगर	
१३—परसेहरा शरीफपुर		४९—उदैमलपुर	
१४—भून्डी खेरा		५०—घोंघी	
१५—कल्यानपुर		५१—गौरिया	
१६—मुराद नगर		५२—राही	
१७—रामपुर बसेरा		५३—रोरापुर	
१८—सरायं पित्थू		५४—तारनपुर	
१९—नवा गांव		५५—जीतामऊ	
२०—तरदी पुर		५६—शेरपुर	
२१—जहांगीराबाद		५७—तलवीपुर	
२२—मदनपुर		५८—नवागांव नेवादा	
२३—कैथा भारी		५९—शरीफपुर बांसमंडी	
२४—बयूढी कलां		६०—परसिया	
२५—सुरजी पारा		६१—नयामूपुर	
२६—भीखपुर		६२—सरैया अयाखेर	
२७—नूरपुर		६३—कैनहरा	
२८—दोस्तपुर		६४—कंवेलिया	
२९—भक्षिगवां		६५—डिगौरा	
३०—बेवीपुर राजा		६६—परसेंडी	
३१—जसरथपुर		६७—अमैरा मोती सिंह	
३२—जादोपुर		६८—मोहरयम कलां	
३३—जडीना		६९—धरमपुर	
३४—ददवारा		७०—मल्लापुर	
३५—हैदरपुर		७१—टापरखजुरिया	

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	क्रम-संख्या	ग्राम का नाम
७२	मुबारकपुर	११४	महानन्दपुर
७३	गुडारा	११५	लछिमनपुर
७४	शाहपुर	११६	पीतपुर
७५	नेवादा प्रेमसिंह	११७	सिकन्दरपुर
७६	गौरअर्जुनपुर	११८	सेमरी मोतमदपुर
७७	गुराईपुर	११९	ढोलई कलां
७८	नरसोही	१२०	मुनागंजपुर
७९	खजुरिया बवांसी	१२१	वेलामऊ कलां
८०	दसेलिया	१२२	पचैनापुर
८१	खुंदला	१२३	हरैदासपुर
८२	देना	१२४	बसेतीपुर
८३	कली शाहपुर	१२५	कैमा
८४	सुलतानपुर	१२६	उमरसा
८५	तेण्डवा	१२७	धनापुर
८६	रखोला	१२८	आलमपुर
८७	वेलहरी	१२९	पसनेका
८८	मझिगवां	१३०	देखा मिलौला
८९	सुवारी	१३१	बहादुरपुर
९०	गनेशपुर	१३२	हुसेनपुर
९१	अलबलपुर	१३३	गढ़ी
९२	भवानी	१३४	फीरोजपुर
९३	धरनाग		
९४	अन्दौली		
९५	पेरसेहरा		
९६	शेरपुर सरावां		
९७	अगरपुर		
९८	ककरा माऊ सरैया		
९९	अमोरा वेनाई रामा		
१००	कहमानपुर		
१०१	मेलावां		
१०२	अकैचन्दपुर टप्पा		
१०३	ढरेवेरा		
१०४	तालगांव		
१०५	बाहनापुर		
१०६	पूरनपुर पांडे सरायं		
१०७	नरोतमपुर		
१०८	सेलूमाऊ		
१०९	पयेहरा		
११०	वायजपुर		
१११	भदेंवा		
११२	रक्सा		
११३	शेखापुर		

५० नये पैसे से कम हानि वाले ग्राम

१३५	ढोलई खुर्द
१३६	पुरवा बूधर सिंह
१३७	रामपुर नवा गांव
१३८	सरायजीत
१३९	बवज माफखां
१४०	गंगापुर
१४१	भोगीपुर
१४२	पारा
१४३	देवाई
१४४	भगवन्तपुर
१४५	इमिलया सुलतानपुर
१४६	बरिया डीह
१४७	जरेली
१४८	रसूलपुर
१४९	धैरेमाऊ
१५०	अटरिया कीरतपुर
१५१	कोंडरिया
१५२	चठिया
१५३	कोरय्या डरेपुर

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	क्रम-संख्या	ग्राम का नाम
१५४	गोकुलपुर	१८९	उमरया खानपुर
१५५	रोजहा	१९०	पट्टी कबेसर
१५६	करबपुर	१९१	कटेसर
१५७	खगेसियामऊ	१९२	जगदीशपुर
१५८	परईरामपुर	१९३	कोरय्या विशवाबली
१५९	इमिलया	१९४	लालपुर
१६०	दुधरा	१९५	बरेती जलालपुर
१६१	पारा सराय	१९६	शहजादपुर
१६२	मदनापुर	१९७	रंगोई
१६३	समैसा	१९८	पट्टी सेवई
१६४	खंरल्लापुर	१९९	पैतला
१६५	उलकपुर	२००	वजीरपुर
१६६	शरीफपुर तलहा	२०१	नकुरी
१६७	करसेवरा	२०२	अकबापुर
१६८	टकेली	२०३	अकबचन्दपुर बरेली
१६९	मिरकिल्लापुर	२०४	बिलरिया
१७०	गोकुलपुर	२०५	उदनापुर कोरय्या
१७१	रूढ़ा भौनाथपुर	२०६	नबीनगर
१७२	बसन्तीपुर	२०७	पोखरा
१७३	मानपुर	२०८	हरीरामपुर
१७४	कंजा शरीफपुर	२०९	देई रामा
१७५	दानिलपुर भत्तेपुर	२१०	अख्यातरपुर
१७६	कला बहादुर पुर	२११	सकुनपुर
१७७	दरियापुर	२१२	रौता
१७८	चान्दपुर	२१३	झरिया
१७९	जगमालपुर	२१४	सफुवा पुर
१८०	खानपुर मुहदीनपुर	२१५	खमहौना
१८१	सुलेमानपुर शाहपुर	२१६	रीछन
१८२	इटारा	२१७	वेलामाभु खुर्द
१८३	मुरदीजपुर	२१८	बड़ सेरवा
१८४	शादीपुर	२१९	गदनापुर
१८५	अग्रासी	२२०	नौनेरी
१८६	गुन्दरासन	२२१	सुलतानपुर
१८७	गोड़रिया	२२२	जवाहिरपुर
१८८	कहमहरा वजीरपुर	२२३	रतेवरा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९३ पर)

१ जनवरी, १९६० से ३१ अगस्त, १९६० तक तहसील बलरामपुर के ग्रामों में अग्निकांड से हुई हानि का विवरण

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	संख्या मकानों की जो जले	जान की हानि — मनुष्य	जान की हानि — पशु	हानि रुपयों में
१	२	३	४	५	६
१	गनवरिया	४	..	..	८७५—००
२	परिसिया माफी ..	१	..	..	४००—००
३	चैनपुर	१००	..	१	३१,५५२—००
४	बफावा	७	..	..	७१०—००
५	देवनगर	२०	..	..	२,९००—००
६	गिधरइया	२	..	..	५००—००
७	दुर्गापुर	५	..	..	१,८००—००
८	विशनापुर	२१	..	..	७,४५०—००
९	भगवानपुर	१५	..	..	२,६५०—००
१०	ईमिलिया	४५	..	..	१९,२९५—००
११	घघुलपुर	२	..	७	८२५—००
१२	रेजवापुर	२०	..	..	२,०६०—००
१३	सेमरहना	९	..	..	२,३०८—००
१४	बराव	२५	..	..	१५,७५०—००
१५	गौरा भारी	१९	..	..	१४,२२५—००
१६	गोपालीपुर	१२	३ जख्मी	..	२,२५०—००
१७	रामनगर	५	..	१	२,०८०—००
१८	जगदीशपुर ..	७		१	८७५—००
१९	डीह रूप सिंह	२७	..	२	५,३९०—००
२०	मकनहवा	८	..	..	४,५११—००
२१	कोलई	४०	..	..	११,२८५—००
२२	पड़रौना	३८	..	..	१३,८८२—००
२३	बानगढ़ पिपरी ..	२५	..	..	१४,५०५—००
२४	झोहना	३	..	..	७११—००
२५	नचौरा	३	..	..	६००—००
२६	नौबाजपुर	२	..	..	४००—००
२७	केवलपुर	१४	..	..	१,३४०—००
२८	जमली कलां	२३	..	..	३,०१०—००
२९	जमदरा	१९	..	..	३,४५५—००
३०	फतेहनगर	४	..	..	१,०००—००

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	संख्या मकानों की जो जले	जान की हानि		हानि रुपयों में
			मनुष्य	पशु	
१	२	३	४	५	६
३१	हँदरगढ़ ..	.. ७	..	..	८६०—००
३२	हलौरा ..	.. ८	..	..	३,६५०—००
३३	हडपुर जनकपुर	.. ७	..	..	१,६२५—००
३४	गोपालपुर ..	.. ३१	..	..	२७,७५०—००
३५	कोहडौरा ..	.. ५१	..	..	४,१३७—००
३६	कटरा शंकर नगर	.. ८	..	..	६४५—००
३७	मधुनगर ..	.. ६०	..	२	५,५३२—००
३८	सतधरवा ..	.. १२	..	..	४,०००—००
३९	पतझी कलां ..	.. ५५	..	..	६,५००—००
४०	सेमरहना ..	.. २६	..	..	३,५६२—००
४१	विशुनपुर कलां	.. ५६	..	..	३,३७५—००
४२	सिकन्दर बमझी	.. ५६	..	१	७३,६००—००
४३	खखरा ..	.. ८	..	..	४६०—००
४४	फलेरेन्दा ..	.. १६	..	१	१,६००—००
४५	हरसुर जनकपुर	.. ३६	१	..	८,७००—००
४६	कान्द भारी ..	.. २१	..	..	३,५२५—००
४७	भटपुरवा ..	.. ३६	..	२	५६,२००—००
४८	पचपड़वा ..	.. १७	..	..	५,६१८—००
४९	एगौरा ..	.. ३२	..	..	१७,२००—००
५०	बेतहेन्था करेहया	.. ३२	..	..	४,२६१—००
५१	हरखड़ो ..	.. ३	..	..	७००—००
५२	हरिहरपुर ..	.. ३२	..	..	८१५—००
५३	रहमखा ..	.. ५	..	..	८००—००
५४	लँबुडवा ..	.. ६०	..	..	८,६००—००
५५	धवाई ..	.. ५८	..	..	१३,६५०—००
५६	विशुनीपुर ..	.. १	..	..	३००—००
५७	परिसिया कलां	.. १३	..	..	१,५५०—००
५८	हारीमश ..	.. २६	..	..	१,३६७—००
५९	फरेन्दा ..	.. १४	..	..	१,४००—००
६०	बेलवा शुकुन ..	.. ३	..	१	६५०—००
६१	शंकरपुर ..	.. ५	..	..	९००—००
६२	जैवनार ..	.. ४	..	..	८५०—००
६३	कान्द भारी ..	.. २	..	..	४३०—००
६४	जालिम गांव ..	.. १८	..	..	३,७७०—००
६५	शिवपरन डीह ..	.. ७	१	..	३,७३७—००
६६	खमौवा ..	.. १	..	..	१००—००

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	संख्या मकानों की जो जले	जान की हानि		हानि रुपयों में
			मनुष्य	पशु	
१	२	३	४	५	६
६७	रजवापुर ..	.. ११	..	..	१,०७५—००
६८	भोजपुर थारा ..	.. ३६	..	..	८,९६५—००
६९	फतेह जोत ..	.. १	..	..	६०—००
७०	लक्ष्मीपुर ..	.. ८	..	..	२,२२५—००
७१	खैरहनिया ..	.. ८	..	..	२,०००—००
७२	विजईडीह ..	.. ६	..	..	५३५—००
७३	गैंजहवा ..	.. १२	..	..	२,६००—००
७४	शिवानगर ..	.. २५	..	..	१,९५६—००
७५	अडार पाकर ..	.. ३	..	..	५००—००
७६	लालपुल फगुइया	.. ३९	..	..	८,१४०—००
७७	चैपुरवा ..	.. २०	..	..	१,७२०—००
७८	लालपुल खगुनपुर	.. ४७	..	१	१७,०००—००
७९	महादेव ..	.. ५	..	..	१,७००—००
८०	शंकरपुर कलां	.. ५	..	..	२३०—००
८१	चौरासी ..	.. ३	..	२	५२०—००
८२	मोहल्ला बलुहा	.. १	..	..	२५०—००
	योग	.. १५९१	२	२२	४,१४,४१९—००

नत्थी 'झ'

(देखये तारांकित प्रश्न ९८–९९ का उत्तर पीछे पृष्ट २९७ पर)

प्रश्न संख्या ९८ व ९९ के तारांकित प्रश्न के उत्तर से संबंधित तालिका

तहसील का नाम	मकानों की क्षति		ग्रामों की संख्या जहां फसल की क्षति हुई		अहेतुक सहायता रु०	तकाबी रु०
	ग्रामों की संख्या जहां मकानों की क्षति हुई	मकानों की क्षति का अनुमानित मूल्य (रुपयों में)	२५ नये पैसे या उससे कम हुई	२५ नये पैसे से ऊपर और ५० नये पैसे से कम हुई	५० नये पैसे से ऊपर रही	
	अ	ब	अ	ब	स	
१	२		३		४	५
सदर ..	१७९	३१,५६१	१३३	१५	१७९	८,२५० ३१,७००
पट्टी ..	कोई क्षति नहीं हुई		२१६	१३	—	८५ ४,५००
कुंडा ..	२०	३,७८८	३१	१	१४	१,५०० २,५००
योग ..	१९९	३५,३४९	३८०	२९	१९३	९,८३५ ३८,७००

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १०५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९९ पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र १९६१ के ९ वें गुरुवार के लिये निर्धारित श्री कोतवालसिंह भदौरिया द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०५ से संबंधित आवश्यक सूचना

क्रम-संख्या	शिकायत करने वाले का नाम	अधिकारी (कर्मचारी) जिसके विरुद्ध शिकायत की गई	शिकायत का स्वरूप	कार्यवाही
१	श्री राम स्वरूप निवासी ग्राम रामपुर	चकबन्दी कर्मचारीगण (सामान्य शिकायत)	प्रार्थना-पत्र पर उचित कार्यवाही न करना	जांच करने पर आरोप निराधार पाया गया।
२	श्री गंगा महेश, निवासी ग्राम बमरौली	सहायक चकबन्दी अधिकारी	रिश्वत लेना	बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा जांच कराने पर आरोप निराधार पाया गया।
३	श्री कोतवाल सिंह भदौरिया, सदस्य विधान सभा	बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी,	यह आरोप कि उनके भतीजे श्री आर० एस० भदौरिया के विभाग में रिइम्प्लाय (reemploy) किये जाने के अधिकार की उपेक्षा की गई और उनसे जूनियर लोगों को रिइम्प्लाय किया गया।	जिलाधीश ने इस मामले की जांच की। यह पाया गया कि श्री भदौरिया के प्रति कोई अन्याय नहीं हुआ है।
४	श्री एम० एस० भदौरिया, सम्पादक 'सचेतक'	बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) एवं अन्य कर्मचारी	दुर्व्यवहार	चकबन्दी आयुक्त द्वारा इस विषय में जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी गई है।
५	श्री शम्मन लाल, नि० ग्राम दरियापुर	चकबन्दी कर्मचारीगण (सामान्य शिकायत)	गाटा संख्या ४९/३ के विषय में गलत आदेश	बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) से रिपोर्ट मांगी गई है।
६	श्री राधा मोहन ग्राम पियरगंज	चकबन्दी कर्मचारीगण (सामान्य शिकायत)	रिश्वत	बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) से रिपोर्ट मांगी गई है।

क्रम-संख्या	शिकायत करने वाले का नाम	अधिकारी (कर्मचारी) जिसके विरुद्ध शिकायत की गई	शिकायत का स्वरूप	कार्यवाही
७	नाम रहित (anonymous)	चकबन्दी अधिकारी कमलगंज	रिश्वत एवं पक्षपात	जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए परन्तु जिलाधीश की रिपोर्ट पर अयोग्यता के कारण अधिकारी को प्रत्यावर्तित एवं स्थानान्तरित किया जा रहा है।

विद्यार्थी प्रकाशन

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९९ पर)

प्रश्न संख्या १०७ के उत्तर में उल्लिखित सूची

क्रम-संख्या	तहसील का नाम		लेखपाल का नाम
१	नौगढ़	..	श्री सोमई लाल
२	,,	..	श्री राम अधार लाल
३	,,	..	श्री भवानी प्रसाद
४	,,	..	श्री दीप नारायन लाल
५	,,	..	श्री हजारी लाल
६	,,	..	श्री चन्द्र शेखर लाल
७	,,	..	श्री बंधु लाल
८	,,	..	श्री मंगल प्रसाद
९	,,	..	श्री जगदम्बा प्रसाद
१०	,,	..	श्री संकटा प्रसाद
११	,,	..	श्री राम सुन्दर लाल
१२	,,	..	श्री जुगुल किशोर लाल
१३	,,	..	श्री हरि प्रसाद
१४	,,	..	श्री राम कुमार
१५	,,	..	श्री अवधविहारी लाल
१६	,,	..	श्री सीताराम लाल
१७	,,	..	श्री राम समुझ लाल
१८	,,	..	श्री लल्लन लाल
१९	,,	..	श्री गनेश प्रसाद
२०	,,	..	श्री कृपा शंकर लाल
२१	,,	..	श्री कामता प्रसाद
२२	,,	..	श्री राम दुलारे लाल
२३	,,	..	श्री तुलशी नरायन
२४	,,	..	श्री बालेश्वर प्रसाद
२५	,,	..	श्री बजरंगी लाल
२६	,,	..	श्री विन्देश्वरी प्रसाद
१	बांसी	..	श्री त्रिलोकी नाथ
२	,,	..	श्री नन्द प्रसाद
३	,,	..	श्री अजोध्या प्रसाद
४	,,	..	श्री पटेश्वरी प्रसाद
५	,,	..	श्री औधनरायन
६	,,	..	श्री भागवत प्रसाद
७	,,	..	श्री सूरज नरायन
८	,,	..	श्री जमींदार लाल

क्रम-संख्या	तहसील का नाम		लेखपाल का नाम
९	बांसी	..	श्री हीरा लाल
१०	,,	..	श्री हीरालाल
११	,,	..	श्री हजारी लाल
१२	,,	..	श्री गया प्रसाद
१३	,,	..	श्री बच्चू लाल
१४	,,	..	श्री बृजलाल
१५	,,	..	श्री विश्वनाथ
१६	,,	..	श्री राम लखन
१७	,,	..	श्री शिव सेवक
१८	,,	..	श्री केदार नाथ
१९	,,	..	श्री दशरथ लाल
२०	,,	..	श्री गोरख लाल
२१	,,	..	श्री राम सुमुझ लाल
२२	,,	..	श्री अच्युतानन्द
२३	,,	..	श्री लाल बहादुर
२४	,,	..	श्री राम प्रसाद
२५	,,	..	श्री नरसिंह
२६	,,	..	श्री मुक्ता प्रसाद
२७	,,	..	श्री महेश्वरी प्रसाद
२८	,,	..	श्री शिव शंकर
२९	,,	..	श्री राम चरित्र
३०	,,	..	श्री घुरहू लाल
३१	,,	..	श्री शम्भू
३२	,,	..	श्री भगवन्त
३३	,,	..	श्री राम आसरे
३४	,,	..	श्री गया प्रसाद
३५	,,	..	श्री अछैबर

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—५९ एल० ए०—१९६१—८४५।